भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल
की
बैठक

दस्तावेज

1. कार्यसूची तथा कार्यक्रम
2. अध्यक्षीय भाषण
3. महासचिव की रिपोर्ट
4. 28 फरवरी की हड़ताल की समीक्षा
5. गतिविधियों की रिपोर्ट
6. 2009–10 तथा 2010–11 की आय–व्यय का ब्यौरा
7. सदस्यता तथा पी आर फण्ड
8. पत्रिकाओं की सर्कुलेशन
9. शोक प्रस्ताव
10. सूचना दस्तावेजः भारतीय श्रम सम्मेलन के 44वें सत्र की सिफारिशें

2–5 जून, 2012
कोयम्बटूर, तमिलनाडु

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल की बैठक

कोयम्बटूर, तमिलनाडु

2–5 जून, 2012

कार्यक्रम

1 शोक प्रस्ताव

2 अध्यक्षीय भाषण;

3 महासचिव की रिपोर्ट;

4 केंद्रीय श्रमिक संगठनों की सदस्यता का सत्यापन;

5 प्रस्ताव;

6 क्रेडेंशियल समिति की रिपोर्ट

7 समापन भाषण

कार्यसूची

2 जून 2012

10.00 से 11.30 बजे	उद्घाटन सत्र झण्डा रोहण तथा शहीद बेदी पर माल्यापर्ण स्वागत भाषण, शोक प्रस्ताव अध्यक्षीय भाषण
12.30 से 01.30 बजे तक	जनरल कौंसिल की बैठक शोक प्रस्ताव महासचिव की रिपोर्ट कोषाध्यक्ष की रिपोर्ट
3.30 से 5.30 बजे तक	वैरिफिकेशन पर रिपोर्ट भ्रातृ प्रतिनिधियों के संदेश, प्रस्ताव
5.30 बजे से 07:00 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस

3 जून 2012

9.30 से 1.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
तथा 03.30 से 08.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस

4 जून 2012

9.30 बजे से 1.30 बजे तक	महासचिव की रिपोर्ट पर बहस
तथा 3.30 बजे से 7.00 बजे तक	वैरिफिकेशन रिपोर्ट पर बहस
07.00 बजे	सैक्रेटैरिएट की बैठक

5 जून 2012

9.30 बजे से 2.00 बजे तक	क्रेडेंशियल समिति की रिपोर्ट बहस का जवाब, रिपोर्टें पारित करना, प्रस्ताव, समापन भाषण
5.00 बजे	रैली तथा जनसभा

(चाय के लिए अवकाशः दोपहर 11.30 से 12.00 बजे तक और शाम 5.30 बजे से 5.30.00 बजे तक)

(भोजनावकाशः दोपहर 1.30 बजे से शाम 3.30 बजे तक)

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल की बैठक

कोयम्बटूर, तमिलनाडु

2–5 जून, 2012

अध्यक्षीय भाषण

प्रिय जनरल कौंसिल के सदस्य गण, स्वागत समिति के सदस्यों तथा भ्रातृ संगठनों से आमंत्रित साथियो,

मैं, सैक्रेटेरिएट की ओर से और स्वयं अपनी ओर से जनरल कौंसिल की इस बैठक में भाग लेने के लिए पधारने पर आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूं।

सीआइटीयू के चण्डीगढ़ में मार्च 2010 में सम्पन्न तेरहवें महाधिवेशन के पश्चात् जनरल कौंसिल की यह दूसरी बैठक हो रही है। पहली बैठक नासिक में जनवरी 2011 को हुई थी। इसी बीच हमारी कार्य समिति की बैठक 29–31 जुलाई, 2011 को कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में हुई थी।

साथियों,

हम कोयम्बटूर में बैठक कर रहे हैं। यह एक औद्योगिक केन्द्र है जहां श्रमिक वर्ग ने अनेक लड़ाईयां लड़ी हैं। कामरेड पी रामामूर्ति, कामरेड के रमणि तथा कामरेड आर उमानाथ जैसे हमारे अत्यंत सम्मानित नेताओं ने इस क्षेत्र में किए गए इन संघर्षों का नेतृत्व किया था। क्योंकि यह कपड़ा उद्योग का एक बहुत बड़ा केन्द्र है इसलिए इसे कभी दक्षिण भारत का मानचेस्टर भी कहा जाता रहा है।

यह जान लेना भी कम रुचिकर नहीं होगा कि कोयम्बटूर में दूसरी बार जनरल कौंसिल की बैठक का आयोजन किया जा रहा है। पहली बैठक का आयोजन कोलकाता में सम्पन्न सीआइटीयू के स्थापना सम्मेलन के तत्काल बाद हुआ था।

अनेक साथियों ने इस क्षेत्र में वर्ग संघर्ष की पताका को ऊंचा उठाते हुए और मजबूत श्रमिक आंदोलन का निर्माण करने में अपने प्राणों का बलिदान दिया है। हम उन सभी शहीदों जिन्होंने हमारे आंदोलन की बुनियाद रखी थी, को श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं।

प्रिय साथियो,

सीआइटीयू जनरल कौंसिल की यह पहली बैठक है जब कामरेड एम के पन्धे हमारे बीच नहीं हैं। वह अपने खराब स्वास्थ्य के चलते जनरल कौंसिल की पिछली बैठक में भी भाग नहीं ले सके थे और आपको याद होगा कि उस समय उन्होंने हम सबके लिए एक पत्र भेजा था। वह स्वस्थ्य होने पर कुल्लू, हिमाचल प्रदेश में सम्पन्न कार्य समिति की बैठक में शामिल जरूर हुए थे।

किन्तु कार्य समिति की बैठक सम्पन्न हो जाने के बीस दिनों के भीतर कामरेड पन्धे का देहांत हो गया। वह अपने जीवन की अंतिम सांस तक हमारे बीच सक्रिय रहे थे।

सीआइटीयू तथा भारत के श्रमिक आंदोलन के लिए उनके योगदान का वर्णन करने के लिए हमारे पास प्र्याप्त शब्द नहीं हैं। हम कामरेड पन्धे को श्रद्धांजलि भेंट करते हैं तथा उनकी स्मृति को सलाम कहते हैं।

हम उन शहीदों को अपनी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं जिन्होंने देश तथा विशेष तौर पर पश्चिम बंगाल जहां पिछले एक वर्ष में 60 से अधिक साथियों महिलाओं तथा पुरुषों की बर्बर हत्या कर दी गई है, में श्रमिक आंदोलन पर निमर्म हमलों का सामना करते हुए अपने प्राणों का बलिदान किया था।

हम हमारी जनरल कौंसिल के सदस्य कामरेड प्रदीप टाह और कामरेड कमल गंजन का स्मरण करेंगे जो तृण मूल कांग्रेस के गुण्डा हमलों में उस समय मारे गए जब वे सभी श्रमिक संगठनों द्वारा आहूत 28 फरवरी की ऐतिहासिक संयुक्त देशव्यापी आम हड़ताल की तैयारियों के सिलसिले में एक जुलूस में शामिल हो रहे थे। ये दोनों साथी पश्चिम बंगाल में सीपीआइ (एम) की जिला समिति के सदस्य थे।

हम अपने दिवंगत साथियों जगदीश दास (पश्चिम बंगाल), श्री हरि (आंध्र प्रदेश), प्रियाल (अण्डेमान–निकोबार द्वीप समूह), सवारीदास (कर्नाटक) जो सीआइटीयू के गणमान्य नेता थे और एटक के अध्यक्ष तथा डब्ल्यूएफटीयू के उपाध्यक्ष कामरेड प्रमोद गोगोई को भी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं।

साथियो,

हम कामरेड एन वरदराजन को भी श्रद्धांजलि भेंट करते हैं जिनका पिछली 10 अप्रैल को देहांत हो गया था। कामरेड एनवी जैसा कि उन्हें स्नेह से पुकारा जाता था, तमिलनाडु में श्रमिक वर्ग के बहुत बड़े नेता थे। उन्होंने अपने जीवन की शुरूआत कपड़ा मिल के मजदूर के रूप में की और धीरे–धीरे प्रगति करते हुए सीपीआइ (एम) की तमिलनाडु राज्य समिति के सचिव तथा सीपीआइ (एम) की केन्द्रीय समिति के सदस्य बने। श्रमिक वर्ग के नेता के रूप में उनकी गतिविधियां 70 वर्ष से भी अधिक समय तक जारी रहीं।

प्रिय साथियो,

हम, सब पूरे देश से यहां एकत्रित हुए हैं, यहां आने से पहले हमने 28 फरवरी की सबसे बड़ी देशव्यापी आम हड़ताल का आयोजन किया था। भारत सरकार की नव–उदारवादी नीतियों के खिलाफ यह पहली देशव्यापी हड़ताल थी जिसमें देश के सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों ने भाग लिया था और जिसमें देश के लगभग दस करोड़ श्रमिकों ने भागीदारी की थी।

हम, जनरल कौंसिल की इस बैठक में इस प्रश्न पर विचार करेंगे कि श्रमिक वर्ग के संयुक्त संघर्षों को आगे कैसे बढ़ाया जाए। इसके साथ ही हम अपने संगठन को मजबूत बनाने और संघर्ष के दूसरे विभिन्न महत्वपूर्ण मुद्दों पर भी विचार विमर्श करेंगे।

पश्चिम बंगाल तथा केरल विधान सभा के चुनाव जिनमें वाम पक्ष की पराजय हुई थी, हुए एक वर्ष व्यतीत हो चुका है। चुनावों के बाद क्या ''परिवर्तन'' आया है, इसे सब लोग देख रहे हैं तथा अनुभव करने लगे हैं। श्रमिक वर्ग के जनवादी तथा ट्रेड यूनियन अधिकारों पर हमले जारी हैं। पश्चिम बंगाल में सरकार का एकाधिकारवादी स्वरूप जग जाहिर हो चुका है। पश्चिम बंगाल की सरकार के 28 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल के प्रति रुख ने उसके श्रमिक वर्ग विरोधी दृष्टिकोण

को स्पष्ट कर दिया है। पश्चिम बंगाल तथा केरल दोनों राज्यों में वाम पक्षी सरकारों ने जो उपलब्धियां हासिल की थीं, बंगाल में तृण मूल–कांग्रेस गठबंधन सरकार तथा केरल में यूडीएफ सरकार की ओर से उन्हें समाप्त किया जा रहा है।

जहां तक यूपीए II सरकार का सम्बन्ध है, वह पूरे विश्व में व्याप्त स्थितियों की अनदेखी करते हुए नव–उदारीकरण के अपने एजेंडे को लागू करने की हड़बड़ी में है।

इस वर्ष मार्च में प्रस्तुत केन्द्रीय बजट और रेलवे बजट से यह साफ हो जाता है कि आगे के लिए भी यहीं जन विरोधी नीतियां चलती रहेंगी।

राष्ट्र की वास्तविक स्थिति से सम्बन्धित सभी समाचारों से देश की उन खतरनाक तथा शोचनीय स्थितियों की जानकारी मिलती है जिनमें देश का श्रमिक वर्ग वह चाहे शहरों में रहता हो या गावों में, आज रहने के लिए मजबूर है। उदाहरणार्थ रजिस्ट्रार जनरल तथा जन गणना आयुक्त के कार्यालय की ओर से हाल ही में एक रिपोर्ट जारी की गई है। उस रिपोर्ट में यह जानकारी दी गई थी कि वर्ष 2010 में पारिवारिक सुविधाओं तथा परिसम्पत्तियों की स्थिति क्या थी। यह रिपोर्ट भारत के लोगों की विशाल बहुसंख्या की जीवन स्थितियों की वास्तविकताओं को उजागर करती है। हमारे लोगों की लगभग पचास प्रतिशत संख्या 6 लाख गांवों तथा 7933 नगरों में रहती है। उनके यहां पानी नहीं पहुंचता। अधिकांश भारतवासी एक कमरे के मिट्टी से सने मकानों में रहते हैं, उन मकानों के फर्श कच्चे होते हैं, उनके परिवहन का एकमात्र साधन बाइसिकल होता है, वे आज भी लकड़ी जलाते हैं, उनके मकानों में अलग–से रसोई नहीं होती, उनके यहां से गंदे पानी के निकास की समुचित व्यवस्था नहीं होती और वे खुले में शौचालय जाते हैं। पचास प्रतिशत से अधिक भारत वासियों के घरों में शौचालय नहीं होता। मनुष्य द्वारा मानव मल ढोने की व्यवस्था को समाप्त करने के कार्यक्रम अब भी सरकारी कागजों की शोभा बढ़ा रहे हैं। इस प्रकार के अमानवीय कार्यो के खिलाफ संघर्ष करने वाले संगठनों का अनुमान है कि इस समय भी 67 प्रतिशत भारत वासियों के घरों में ईंधन के रूप में लकड़ी या फसलों के अवशेष, गोबर अथवा कोयला जलाया जाता है।

एक और रिपोर्ट जिसे हंगामा रिपोर्ट के रूप में जाना जाता है, को स्वयं प्रधान मंत्री ने जारी किया था। उन्होंने स्वीकार किया था कि देश में जनता की स्थिति अब भी शर्मनाक बनी हुई है। हम बच्चों के कुपोषण, उनके कम वजन के होने और अल्प विकास जैसे मामलों में शिखर पर बने हुए हैं। यह रिपोर्ट राष्ट्रीय चुनौतियां विषय पर गठित राष्ट्रीय परिषद जिसके अध्यक्ष स्वयं प्रधान मंत्री हैं, की ओर से जारी की गई थी और इस परिषद की केवल एक ही बार अर्थात् नवम्बर 2010 में ही बैठक हुई थी।

मनरेगा जिसका बहुत जोर शोर से प्रचार किया जा रहा है, के लिए सरकारी आबंटन लगातार कम होता चला गया है। वर्ष 2010–11 में 40100 करोड़ रुपए की राशि का इस योजना के लिए आबंटन किया गया था किन्तु उसमें से केवल 35,769 रुपए खर्च किए गए। पिछले वित्तीय वर्ष 2011–12 में भी 40,000 करोड़ रुपए का आबंटन किया गया था किन्तु दिसम्बर 2011 तक केवल 22, 251 करोड़ रुपए खर्च किए गए थे। वर्ष 2011–12 के पहले नौ महीनों में 257.2 करोड़ मानव दिवसों को कम करके 160.55 करोड़ मानव दिवस कर दिया गया।

योजना आयोग ने जिस शर्मनाक तरीके से गरीबी की रेखा की गणना की थी, उसे सब जानते हैं। न्यूनतम खुराक जिस पर योजना आयोग ने भी अपनी सहमति व्यक्त की थी, ग्रामीण क्षेत्र के लोगों के लिए 2400 कैलोरीज तथा शहरी क्षेत्र के लोगों के लिए 2100 कैलोरीज थी जबकि ग्रामीण क्षेत्र के लोगों को 1972–73 में 2266 कैलोरीज, 1993–94 में 2153 कैलोरीज तथा 2009–10 में 2020 कैलोरीज मिलता था। शहरी भारत में यही आंकड़ा 1972–73 में 2107 कैलोरीज, 1993–94 में 2071 कैलोरीज तथा 2009–10 में 1946 कैलोरीज का था। राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के अनुसार भी विकास की असल तस्वीर यही है।

जहां सरकार भारी उत्पादन होने की बातें कर रही है और बता रही है कि किस तरह गोदामों में अनाज रखने की जगह नहीं है वहीं अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता तेजी से कम हो रही है और सुधारों के इन वर्षों मे तो यह खतरनाक सीमा तक कम हो गई है। डाक्टर पी साईनाथ ने पूरा विवरण देते हुए इस ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट किया है। जहां सुधारों से पहले के दौर में अनाज की प्रति व्यक्ति उपलब्धता आंकड़ा वर्ष 1972–76 में 433.7 ग्राम से 1987–91 में 480.3 ग्राम तक पांच वर्षों की प्रत्येक अवधि में बढ़ता रहा था वहीं 2006–10 में यह आंकड़ा गिर कर नीचे चला गया और 441.4 ग्राम रह गया है। डाक्टर साईनाथ ने बताया था कि यह आंकड़ा 1956–60 की पांच वर्षीय अवधि के आंकड़े 446.9 ग्राम से भी कम है।

एक ओर खाद्य पदार्थों के दाम आसमान को छू रहे हैं दूसरी ओर इनकी जरूरत को पूरा करने के लिए जो आय होनी चाहिए वह कम होती चली जा रही है, कामकाजी लोगों का जीवन स्तर गिरता चला जा रहा है। इस स्थिति में भी सरकार देश में सार्वजनिक वितरण प्रणाली लागू करने से इन्कार कर रही है और वह रेप्टाकोस एवं ब्रैट मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय के आधार पर देशव्यापी न्यूनतम वेतनों का वैज्ञानिक आधार पर निर्धारण करने की दिशा में कार्रवाई करने के लिए भी तत्पर दिखाई नहीं देती जिस पर 1957 के भारतीय श्रम सम्मेलन में भी आम सहमति बनी थी।

भारतीय श्रम सम्मेलन के हाल ही में सम्पन्न 44वें सत्र के मुख्य एजेंडे नें न्यूनतम वेतनों का प्रश्न था। इस सत्र का उद्‌घाटन प्रधान मंत्री ने किया था किन्तु अपने उद्‌घाटन भाषण में प्रधान मंत्री ने इस बारे में एक शब्द तक नहीं कहा। वह, दूसरी ओर सेवायोजकों द्वारां श्रम कानूनों में संशोधन लाने के लिए लगातार उठाई जा रही मांग पर चर्चा करना नहीं भूले क्योंकि ये श्रम कानून देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने के रास्ते की रुकावट बने हुए हैं।

भारतीय श्रम सम्मेलन के 43वें सत्र में संविदा श्रम नियामक एवं संशोधन अधिनियम में संशोधन करने के बारे में निर्णय लिया गया था, सरकार तथा सेवायोजकों के प्रतिनिधियों ने भी इस पर अपनी सहमति व्यक्त की थी किन्तु यह निर्णय आज भी सरकारी फाईलों में बंद पड़ा है। यह ऐसे समय हो रहा है जब ठेका मजदूरी की प्रणाली सभी जगहों पर अर्थात् निजी क्षेत्र, सार्वजनिक क्षेत्र तथा यहां तक कि सरकारी विभागों में भी मजदूरों के बर्बर शोषण की व्यवस्था बन गई है।

विश्व भर में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में सरकार की हिस्सा पूंजी के विनिवेश कार्यक्रमों के परिणाम अच्छे नहीं रहे इस पर भी यूपीए सरकार उन कार्यक्रमों को लागू करने के लिए हाथ पांव मार रही है और वह वित्तीय क्षेत्र के कानूनों में भी खतरनाक संशोधन करने की कोशिशों में लगी हुई है। कोल इण्डिया की घटनाओं से अब पता चल गया है कि विनिवेश कार्यक्रमों का जन विरोधी, राष्ट्र विरोधी पहलू कितना खतरनाक है। सार्वजनिक क्षेत्र की एक महारत्न इकाई सीआइएल को उसका 1 प्रतिशत का शेयर धारक जो इंग्लैंड का है, धमका रहा है। कोयले के मूल्यन के प्रश्न पर भारत सरकार के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण में जाने की धमकी दी जा रही है। यदि केवल लगभग एक प्रतिशत निवेश करने वाला निवेशक सार्वजनिक क्षेत्र की महारत्न इकाई को धमकाने की हिमाकत करने लगे तो सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों का क्या हाल होगा जबकि उनकी 49 प्रतिशत हिस्सा पूंजी का निवेश किया जा चुका है? सार्वजनिक इकाईयों पर संसद के नियंत्रण को कैसे बनाए रखा जाएगा?

इसके अतिरिक्त हाल ही में कराए गए एक अध्ययन की रिपोर्ट भी हमारे सामने है। किस प्रकार निवेशकों की ओर से विभिन्न सरकारों के खिलाफ अन्तर्राष्ट्रीय न्यायाधिकरण का द्वार खटखटाया गया और ''द्विपक्षीय निवेश संधियों का उल्लंघन करने पर'' भारी मुआवजे की राशियां वसूल की गईं। वोडाफोन ने अपने ऊपर कर लगाए जाने की स्थिति में अपने अन्तर्राष्ट्रीय लेन–देन के आधार पर भारत सरकार के खिलाफ कार्रवाई करने की धमकी दी है।

एनरों का हमारा पिछला अनुभव और अब तेल तथा गैस सेक्टर में विभिन्न सार्वजनिक इकाईयों में अपने अनुभवों को देखते हुए हमें इसके खतरों से सावधान हो जाना चाहिए। किस प्रकार निवेशक तथा नैगम घराने प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप में अपनी मांगों को स्वीकार कराने के लिए सरकार पर दबाव डालते हैं।

भारत सरकार काराधान के मामले में अपने प्रस्तावों से पीछे हट गई है जिन्हें बजट में प्रस्तावित किया गया था। सरकार अमरीका तथा यू के की सरकारों और अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों के दबाव के आगे झुक गई है और उसने अपने वित्तीय विधेयक में संशोधन किए हैं जिसका प्रमुख प्रतिपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी ने भी समर्थन किया है। वाम दलों ने इन तबदीलियों के खिलाफ अपना विरोध व्यक्त किया है।

इसके साथ ही बड़े–बड़े घोटालों तथा भ्रष्टाचार के किस्सों की श्रृंखला भी जुड़ी हुई है। इस श्रृंखला में प्रतिरक्षा से सम्बन्धित टाटरा व्हीकल्स का घोटाला सबसे नया घोटाला है।

प्रिय साथियो,

हमें इन्हीं परिस्थितियों में न्यूनतम वेतनों, संविदाकरण, ट्रेड यूनियन अधिकारों जैसी अपनी तात्कालिक मांगों को लेकर अपना संघर्ष जारी रखना होगा।

तमिलनाडु, कर्नाटक गुड़गांव (हरियाणा) में हाल ही में हुई हड़तालें तथा संघर्ष और येनाम में पुलिस द्वारा यूनियन के सचिव की हत्या और उसके बाद हुए टकरावों से स्पष्ट हो जाता है कि ट्रेड यूनियन अधिकारों को यकीनी बनाने और देश में ट्रेड यूनियनों की मान्यता को अनिवार्य बनाने के लिए पूरी गम्भीरता से संघर्ष करने की जरूरत है।

जहां कहीं भी इस प्रकार की गड़बड़ियां होती हैं और उनके फलस्वरूप सहज स्वाभाविक संघर्ष होते हैं, हमें वहां की स्थितियों में हस्तक्षेप करने में समर्थ होना होगा, सांगठनिक दृष्टि से संघर्षों का मार्ग दर्शन करना होगा और इन सघर्षों का स्वरूप श्रमिक वर्गीय हो, इसे सुनिश्चित बनाना होगा। जब तक हम यह काम नहीं करेंगे तब तक हमारे आंदोलन की मजबूती के लिए कोई अवसर पैदा नहीं होगा।

विनिवेश जैसे मुद्दों की जन विरोधी प्रकृति तथा नव–उदारवादियों के गठबंधन की लूट को बेनकाब करने के लिए और अधिक सघन अभियान तथा संघर्ष चलाए जाने की जरूरत है।

इसके साथ हमें किसानों तथा खेत मजदूरों के मुद्दों को भी जोड़ना होगा। श्रमिक वर्ग को किसानों की अंतहीन आत्महत्याओं तथा उनके बढ़ते दरिद्रीकरण के मुद्दों को उठाना होगा तभी हम एक साथ मिल कर सरकार की नीतियों के खिलाफ संघर्ष कर सकेंगे क्योंकि यही नीतियां किसानों विशेष तौर पर गरीब तथा मंझौले किसानों तथा गांवों में रहने वाले गरीब लोगों के दुःखों व मुसीबतों का कारण हैं।

हमें, पश्चिम बंगाल के जूट श्रमिकों की महान परम्परा को फिर से स्थापित करने में सक्षम होना होगा जिन्होंने साठ तथा सत्तर के दशकों में ऐतिहासिक तौर पर किसानों के हितों की रक्षा की थी। किसानों के समर्थन में देश के दूसरे विभिन्न भागों में भी अनेक संघर्ष चलाए गए थे।

जब तक संघर्षों के माध्यम से इन दो बुनियादी वर्गीय शक्तियों की एकता को मजबूत नहीं किया जाता तब तक हम सत्ताधारी वर्गों की नव–उदारवादी चुनौतियों का सामना सफलतापूर्वक नहीं कर सकेंगे। नयी जल संधि जैसे अधिक से अधिक नये नीतिगत हमले हो रहे हैं और हमें इन्हें पूरी गम्भीरता से लेना होगा।

साथियो,

मेहनतकश अवाम की सभी श्रेणियों पर हमले लगातार जारी हैं। और यह वित्तीय पूंजी के अन्तर्राष्ट्रीय हमले का एक भाग ही है। विभिन्न रूपों में हो रहे इन हमलों को अब विश्व के विभिन्न भागों में लोगों की ओर से चुनौती दी जा रही है।

डब्ल्यूएफटीयू की अध्यक्षीय परिषद की जोहान्सबर्ग में हाल ही में सम्पन्न बैठक में विश्व भर के मेहनतकश अवाम को इन हमलों के खिलाफ संघर्षों में तेजी लाने का आह्वान किया गया था।

हमने, अपने तेरहवें महाधिवेशन और उसके बाद कार्य समिति की बैठकों, जनरल कौंसिल की पिछली बैठक में वैश्विक आर्थिक संकट पर विस्तार में विचार विमर्श किया था।

यह आर्थिक संकट बिना किसी रुकावट के लगातार जारी है। लोगों तथा देशों के बीच भी विषमताएं पहले से कहीं अधिक बढ़ी हैं। आंकड़े व्यापक से व्यापक होती जा रही दरिद्रता और वंचना की कहानी का बखान खुले रूप में करते हैं। विश्व की 680 करोड़ जनसंख्या में से 140 करोड़ लोग 1.25 अमरीकी डालर से भी कम अर्थात् 62 रुपए प्रति दिन की आय पर गुजर बसर करने के लिए मजबूर हैं। 260 करोड़ लोगों को सफाई की सुविधा उपलब्ध नहीं है। 88.4 करोड़ लोग भूख की पुरानी बीमारी से त्रस्त हैं। (एफएओ)। 510 करोड़ लोगों को किसी प्रकार की सामाजिक सुरक्षा की सुविधा प्राप्त नहीं है (आइएलओ)। इस स्थिति में विश्व भर में लोगों के कष्ट, तकलीफें तथा मुसीबतें बढ़ती चली जा रही हैं। संकट का बोझ मेहनतकश अवाम पर डाला जा रहा है। इससे स्थिति और खराब हो रही है। मेहनतकश अवाम की विभिन्न श्रेणियां विश्व भर के विभिन्न भागों में संघर्ष कर रही हैं।

वर्ष 2011 में सभी महाद्वीपों जिसमें विकसित तथा विकासशील दोनों प्रकार के देश शामिल हैं, में संघर्ष की लहर चलती रही हैं।

युरोपीय क्षेत्र में संकट और गहरा हुआ है। युरोप का ऋण संकट स्वयं युरोपीय संघ के अस्तित्व को ही खतरे में डाल रहा है। इस संकट पर काबू पाने के लिए मेहनतकश अवाम पर विभिन्न रूपों में अधिक से अधिक हमले किए जा रहे हैं तथा ऐसे हमलों को और तीखा करने की योजनाएं बनाई जा रही हैं। सरकारी राजस्व में कमी होने के कारण बचतकारी कदम उठाने के नाम पर श्रमिकों के वेतनों में कटौतियां की जा रही हैं, उनके कामकाजी घण्टे बढ़ाए जा रहे हैं, उन पर काम का बोझ बढ़ाया जा रहा है और उन्हें मिलने वाले सामाजिक सुरक्षा के लाभों तथा पेन्शन लाभ को कम से कम करने की कोशिशें तो नित्य प्रतिदिन की बात बन कर रह गई हैं। सभी देशों में बेरोजगारी तेजी से बढ़ रही है।

संयुक्त राष्ट्र द्वारा दिसम्बर 2011 में जारी रिपोर्ट विश्व की आर्थिक स्थिति तथा सम्भावनाएं 2012, में बताया गया है कि किस प्रकार पिछले विश्व अर्थव्यवस्था की विकास दर जो 2011 में 4 प्रतिशत थी, कम होकर 2012 में 2.8 प्रतिशत रह गई है। रिपोर्ट में मंदी का एक और चक्र शुरू होने की चेतावनी दी गई है।

युरोपीय देशों ग्रीस, पुर्तगाल, स्पेन तथा इटली इत्यादि के सार्वजनिक ऋण का अनुपात तेजी से बढ़ा है। ग्रीस में यह 142 प्रतिशत है। इस स्थिति में ग्रीस जैसे देशों को अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, विश्व बैंक तथा युरोपीय संघ की ओर से मजबूर किया जा रहा है कि वह अपने पिछले ऋण चुकाने के लिए बचतकारी कदम उठाए। ग्रीस में श्रमिकों की आजीविका पर हमले दिन प्रतिदिन तेज होते चले जा रहे हैं।

ग्रीस को तीन अरब यूरो डालर के अपने खर्चों में कटौती करने पर मजबूर किया गया। न्यूनतम वेतनों में 207 प्रतिशत की कटौती करने के साथ–साथ पेन्शन कोष में से 30 करोड यूरो डालर कम कर दिए गए। पिछले तीन वर्षो से सार्वजनिक क्षेत्र में प्रति वर्ष 150000 रोजगार समाप्त किए जा रहे हैं। निजी क्षेत्र में वेतनों की कटौतियां चल रही हैं। वर्ष 2015 तक वेतन जाम कर दिए गए हैं। स्वास्थ्य की देख भाल तथा बाल कल्याण के खर्चे में भी भारी कटौती की जा रही है। स्पेन, पुर्तगाल, हंगरी जैसे युरोपीय संघ के दूसरे देशों की स्थितियां भी इसी प्रकार की हैं।

यूके में अगले पांच वर्षो में सार्वजनिक क्षेत्र में काम करने वाले 7,10,000 श्रमिक अपना रोजगार खो देंगे। उनमें से 80 प्रतिशत कामकाजी महिलाएं हैं। स्थानीय निकायों में काम करने वाले दस श्रमिकों में एक एक श्रमिक को काम से बाहर चले जाने का आदेश दे दिया जाएगा।

इस स्थिति में जिस प्रकार श्रमिकों की संख्या कम की जा रही है, उनका उत्पीड़न किया जा रहा है, उनकी आय में कमी लाई जा रही है उसके चलते आने वाले समय में उनका घर संसार ही बदल जाएगा। वे श्रमिक भी जो पहले अच्छी खासी स्थिति में होते थे, खस्ताहाल हो जाएंगे। अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख क्रिस्टाइन लेगार्डे को भी पिछले दिनों ब्रुकिंग संस्थान में भाषण करते समय यह तथ्य स्वीकार करना पड़ा था। उन्होंने कहा था, "बहुत लम्बे समय से विकास के लाभ मुट्ठी भर लोग लेते रहे हैं। असमानताएं बढ़ रही हैं और कमजोर वित्तीय सेक्टरों ने विश्व को अस्थिरतता तथा संकट की दलदल में धकेल दिया है। मुझे असमानताओं तथा विषमताओं के तट दिखाई दिए हैं। मुझे बेरोजगारी – मुसीबतों का चेहरा दिखाई दिया है, मुझे गरिमा की हानि तथा आर्थिक क्षति दिखाई दी है। सभी देशों वे चाहे विकसित हों, उदीयमान हों या कम आय वाले, की हालत लगभग एक जैसी है।"

अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के प्रमुख के शब्दों में "बड़े खतरे व जोखिम बने हुए हैं" और "स्थिति बहुत विकट तथा क्षण भंगुर है।"

लोगों विशेष तौर पर मेहनतकश अवाम पर जिस प्रकार संकट का अधिक से अधिक बोझ डाला जा रहा है, इन परिस्थितियों में विभिन्न देशों में जन आंदोलन उभरने लगे हैं। "वॉल स्ट्रीट पर कब्जा करो" आंदोलन सितम्बर 2011 में न्यू यार्क में शुरू हुआ था। यह आंदोलन बेल आऊट पैकेजों तथा नैगम घरानों के कभी समाप्त न होने वाले लोभ के खिलाफ था। यह आंदोलन वॉल स्ट्रीट की निरंकुश सत्ता के खिलाफ था। इस आंदोलन को विभिन्न सेक्टरों का समर्थन हासिल हुआ था। यह आंदोलन अमरीका के सत्तर शहरों में फैल गया और 82 देशों में उसके साथ एकजुटता व्यक्त करने की कार्रवाईयां हुई थीं। इस आंदोलन के दौरान अमरीका तथा दूसरे देशों में बेरोजगारी, बेघरबारी, आय की बढ़ती विषमताओं जैसे मुद्दों को उभार कर सामने लाया गया था।

इस आंदोलन के छः मास पूरे हो जाने पर अमरीका में व्यापक जन विरोध की कार्रवाईयां हुई थीं। पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर हमला किया। इससे पैदा हुई स्थिति के कारण अमरीका में 1 मई को देशव्यापी आम हड़ताल करने का आह्वान किया गया और कुछ संगठनों ने आगे बढ़ कर तथा एक साथ मिल कर विश्व स्तरीय हड़ताल का आह्वान तक कर डाला था।

ग्रीस में पिछले कई महीनों से लगातार संघर्ष चल रहे हैं। वहां के श्रमिकों ने 48 घण्टे की आम हड़ताल करके सरकार द्वारा उठाए जा रहे बचतकारी कदमो को नकार दिया था। हड़ताल के कारण पूरे देश का जन जीवन ठप हो गया था। विभिन्न केन्द्रों में श्रमिकों की सुरक्षा बलों के साथ झड़पें हुई थीं। नयी सूचनाओं से पता चलता है कि जहां कहीं भी बचतकारी कदमों को लागू किया गया है, वहां सेक्टरवार संघर्ष चल रहे हैं।

पुर्तगाल में 22 मार्च को देशव्यापी हड़ताल हुई जिसमें श्रमिकों ने भारी संख्या मे भाग लिया। इस हड़ताल के कारण पूरे देश की गतिविधियां ठप होकर रह गईं। यह हड़ताल श्रम कानूनों में बदलाव तथा बतचकारी कदमों के खिलाफ की गई थी। देश में तथाकथित समाजवादी सरकार 2009 में सत्ता में आई किन्तु संकट गहरा हो जाने के कारण उसे 2011 में ही सत्ता से बाहर हो जाना पड़ा। उसके स्थान पर एक दक्षिणपंथी सरकार सत्ता में आई। मई 2011 में जो बेल आउट दिया गया उससे देश को कोई लाभ होने वाला नहीं। ऋण–जीडीपी अनुपात 102 प्रतिशत से बढ़ कर 110 प्रतिशत हो गया है। अर्थव्यवस्था 1.5 प्रतिशत की दर से नकारात्मक विकास के रास्ते चल रही है। अगले वर्ष के लिए जो अनुमान लगाए गए हैं उनके अनुसार यह दर बढ़ कर 3.3 प्रतिशत हो जाएगी। देश निर्यातों के मामले में प्रमुख तौर पर पड़ोसी देश पुर्तगाल पर निर्भर करता है, ये भी गहरे संकट में फंसे हुए हैं। पुर्तगाल का भविष्य अंधकारमय बना हुआ है। देश में, विशेष तौर पर युवाओं में बेरोजगारी बढ़ रही है। यह दर बढ़ कर 35 प्रतिशत हो गई है। दूसरी ओर अधिक से अधिक मुनाफा कमाने के लोभ में पूंजी दूसरे देशों में उड़ान भर रही है। इसके कारण भी संकट और गहरा हो रहा है। श्रमिकों के न्यूनतम वेतनों में उल्लेखनीय कमी लाई जा चुकी है। देश में 25 प्रतिशत से अधिक लोग गरीबी की रेखा के नीचे रह रहे हैं।

इसके अतिरिक्त वेतनों तथा पेन्शनों में कटौती करने की घोषणा पहले ही की चुकी है। सरकार ने अवकाशों, ओवर टाईम वेतनों तथा बेरोजगारी लाभों में भी कटौती करने की घोषणा की है। ट्यूशन फीस, परिवहन भाड़े तथा कुछ दूसरे करों में बढ़ोतरी कर दी गई है। श्रम कानूनों में नये संशोधन करके सेवायोजकों को कामकाजी घण्टे बढ़ाने, अपने श्रमिकों की छंटनी करने और सामूहिक सौदेबाजी के अधिकार पर भी अंकुश लगाने का अधिकार मिल गया है। विद्युत उत्पादन कम्पनियों जैसी सार्वजनिक इकाईयों को व्यापक स्तर पर निजी हाथों में बेच डालने की प्रक्रिया पहले ही शुरू हो चुकी है। एयर लाईन्स, एयर पोर्ट अथारिटी, पोस्टल, बैंकों, रेलवे, तेल तथा जल आपूर्ति को भी इसके घेरे में लाया जा चुका है और उनके किवाड़ अन्तर्राष्ट्रीय निवेशकों को खुश आमदीद कहने के लिए खोल दिए गए हैं ताकि वे बेखौफ होकर आएं और धड़ल्ले से उनकी लूट मचाएं। यही वे परिस्थितियां थीं जिनमें देशव्यापी हड़ताल को जोरदार सफलता हासिल हुई और नवम्बर 2011 की पिछली हड़ताल के मुकाबले इस हड़ताल में श्रमिक वर्ग ही कहीं अधिक भागीदारी रही।

स्पेन में बेरोजगारी की दर 23 प्रतिशत हो चुकी है। अर्थव्यवस्था सिकुड़ रही है। सरकार ने बचतकारी कदम उठाने की घोषणा कर दी है। श्रमिक वर्ग की ओर से की गई 29 मार्च की हड़ताल में लोगों की जबरदस्त भागीदारी रही थी।

इटली में भी इस वर्ष मंदे की स्थिति जारी रहने की आशंका है; बेरोजगारी बढ़ रही है और जीडीपी–ऋण अनुपात बढ़ कर 120 प्रतिशत हो गया है। यूनियनों की ओर से श्रम कानूनों में संशोधन का विरोध किया जा रहा है क्योंकि इससे सेवायोजकों को जब चाहे श्रमिकों को काम पर रखने तथा काम निकल जाने पर काम से बाहर कर देने का अधिकार मिल जाएगा।

रोमानिया में बचतकारी कदमों के खिलाफ हड़तालों तथा संघर्षों का सिलसिला लगातार जारी है। प्रधान मंत्री को त्याग पत्र देने पर मजबूर हो जाना पड़ा। उन्होंने कहा था कि वह "देश में सामाजिक तनाव कम करने के लिए त्याग पत्र दे रहे हैं।"

जर्मनी में भी एक के बाद दूसरी हड़ताल हो रही है। पूरे देश में फरवरी में हड़तालों की लहर चली और श्रमिकों की ओर से महंगाई का सामना करने के लिए अपने वेतन बढ़ाने की मांग की गई। हड़ताल के लिए 15 घण्टे पहले चेतावनी दी गई थी और उसके कारण देश में मैट्रो, रेल, बस तथा वायु सेवाएं बुरी तरह ठप होकर रह गई।

चैक में दसियों हजार छात्र फरवरी में सड़कों पर उतरे वे अपनी फीसों में बढ़ोतरी किए जाने का विरोध कर रहे थे।

इसके अतिरिक्त बेलजियम मैं देशव्यापी हड़ताल हुई। उसकी राजधानी ब्रुसेल्स में युरोपीय संघ के मुख्यालय के सामने विभिन्न देशों के श्रमिकों ने विशाल प्रदर्शन करके बचतकारी कदमों के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया।

युरोप के बाहर भी नाइजीरिया, दक्षिणी अफ्रीका, किरगिज़स्तान तथा इस्त्राइल में हड़तालें हुई जो उल्लेखनीय घटनाएं हैं।

दक्षिणी अफ्रीका में 7 मार्च को काम के बढ़ते संविदाकरण के खिलाफ देशव्यापी हड़ताल हुई जिसे श्रमिक जगत में आया विस्फोट माना जाता है।

नाइजीरिया में पेट्रोल सब्सिडी में कटौती का विरोध करते हुए श्रमिकों द्वारा अनिश्चितकालीन हड़ताल की गई। ट्रेड यूनियन प्रदर्शन के दौरान तीन श्रमिक मारे गए। लागो में अत्यंत विशाल विरोध प्रदर्शन हुआ जिसमें 13 लोग मारे गए और 600 अन्य घायल हुए। इस तेल निर्यातक देश में पेट्रोल के दाम 29 पेंस से बढ़ा कर 61 पेंस प्रति लीटर कर दिए गए थे। राष्ट्रीय हड़ताल छःह दिनों तक चली और राष्ट्रपति की ओर से पेट्रोल के दामों को चुकाने योग्य बनाए रखने के लिए दी जा रही सब्सिडी आंशिक रूप से बहाल किए जाने के बाद हड़ताल वापस ले ली गई।

इस्त्राइल में ट्रेड यूनियन फैडरेशन द्वारा 8 फरवरी से अनिश्चितकालीन हड़ताल शुरू की गई जिसके चलते देश में बैंक, सरकारी कार्यालय, स्टाक एक्सचेंज, रेलवे, गोदिया इत्यादि बंद रहीं और अस्पतालों तथा हवाई अड्डों के काम भी प्रभावित हुए। हवाई अड्डों को तो अदालत द्वारा हस्तक्षेप किए जाने पर खोल दिया गया किन्तु दूसरे सभी सेक्टरों में हड़ताल जारी रही। हड़ताल का मुख्य मुद्दा संविदा श्रमिकों के अधिकारों का था जिन्हें दूसरे श्रमिकों की अपेक्षा कम वेतन तथा दूसरे लाभ मिलते हैं। श्रमिक संधों तथा सरकार के बीच बातचीत होने पर पांच दिन बाद आम हड़ताल की समाप्ति हुई। वित्त मंत्रालय को संविदा श्रमिकों के वेतन तथा दूसरे सेवा लाभ नियमित श्रमिकों की भांति देने तथा उन्हें बढ़ाने पर सहमत होना पड़ा। संविदा श्रमिकों को भविष्य में बढ़े हुए वेतन मिलेंगे और उनकी पेन्शनों, बीमारी अवकाश, अवकाशों तथा सब्सिडी पर दोपहर के खाने जैसी सुविधाओं में भी सुधार लाए जाएंगे। इस समझौते में एक अनुच्छेद रखा गया है जिसमें लिखा गया है कि फैडरेशन अगले तीन वर्ष के लिए ''आर्थिक मांगों'' पर कोई हड़ताल नहीं करेगी।

ये कुछ ऐसे संघर्ष थे जिनके समाचार प्रकाशित व प्रसारित हो चुके हैं। इन संघर्षों के माध्यम से श्रमिक वर्ग ने सत्ताधारियों की श्रेणी के खिलाफ अपने गुस्से का इज़हार किया है जो पूंजीवादी संकट का बोझ श्रमिकों के कंधों पर डालने की कोशिशों में लगे हुए हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के हमलों तथा नव–उदारवादी नीतियों के चलते क्योंकि सामान्य तौर पर अनेक देशों में श्रमिक आंदोलन कमजोर हुआ है और इस स्थिति में हड़तालों तथा संघर्षों की उपरोक्त घटनाओं का होना उल्लेखनीय है।

विभिन्न देशों में चुनावों के परिणाम उल्लेखनीय रहे हैं। पिछले तीन वर्षों में युरोपीय क्षेत्र की ग्यारह सरकारों को पराजय का मुंह देखना पड़ा है। ये परिणाम उन नीतियों के खिलाफ लोगों में पनप रहे गुस्से का परिणाम है जिन पर उन देशों की सरकारें चल रही हैं।

अभी हाल ही में फ्रांस की जनता ने सरकोजी सरकार को चलता करके ''बचतकारी'' कदमों के खिलाफ अपना रोष व्यक्त किया है। यही स्थिति ग्रीस में भी रही। सरकार में शामिल दो प्रमुख दलों को बुरी तरह हारना पड़ा। इटली, जर्मनी तथा कुछ अन्य देशों भी चुनाव परिणाम इसी स्थिति को प्रतिबिम्बित करते हैं।

पूंजीवाद के शुभचिंतक भले ही ये भविष्य वाणियां करते रहें कि यह संकट दूर हो जाएगा और वे संकट के इस दौर में से निकल जाएंगे किन्तु दुनिया भर में मेहनतकश अवाम पर हमलें बढ़ने की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता और यदि हमले होते हैं तो श्रमिक वर्ग की ओर से उनका प्रतिकार भी होगा। इस प्रकार श्रमिक वर्ग के प्रतिरोध की घटनाएं भी बढ़ सकती हैं।

अन्तर्राष्ट्रीय श्रमिक आंदोलन का एक दस्ता होने के नाते हमें इन घटनाओं पर तीखी नज़र रखनी होगी। हमें अपने कार्यकर्ताओं को इस सब के बारे में शिक्षित करना होगा और इन संघर्षों के प्रति एकजुटता की अपनी आवाज को बुलंद करना होगा।

इसके अतिरिक्त हमें फलिस्तीन की बहादुर जनता के पक्ष में एकजुटता की कार्रवाईयां करनी होगी। फलिस्तीन के लोग अमरीका–इस्राइल गठबंधन जो उन्हें अपने ही देश में जीने के अधिकार से वंचित कर रहा है ओर उनके देश की सम्प्रभुता को पांवों तले रौंद रहा है और तो और यहूदीवादी ताकतों ने उनके देश के एक बड़े इलाके पर कब्जा कर रखा है, के खिलाफ संघर्ष कर रहे हैं।

अमरीकी साम्राज्यवाद लोकतंत्र बहाल करने के नाम पर दुनिया के कई भागों पर अपनी दादागिरी लादने के लिए हमले कर रहा है। हमारे कार्यकर्ताओं को श्रमिकों के बीच जाकर उन्हें इन हमलों की जानकारी देनी चाहिए। लीबिया, अफगानिस्तान इत्यादि के बाद अमरीका अब ईरान तथा सीरिया को अपने हमलों का निशाना बनाने जा रहा है।

अमरीकी साम्राज्ववादियों तथा उसकी जुंडली के दूसरे साम्राज्यवादी देशों के इरादे साफ हैं। वे उन देशों में सत्ता पलट क्यों चाहते है, इसमें संदेह की कोई गुंजाइश नहीं है। सीरिया तथा ईरान क्योंकि साम्राज्यवादियों के निदेशों के अनुसार काम नहीं कर रहे इसी लिए उन्हें हमलों का निशाना बनाया जा रहा है।

जहां इन देशों पर हमलों का खतरा मण्डरा रहा है वहीं सीरिया में लाखों–करोड़ों डालर के हथियार भेजे जा रहे हैं।

लीबिया पर हमले का अंतिम परिणाम अब पूरी दुनिया के सामने है। उन्होंने गद्दाफी से छुटकारा तो हासिल कर लिया है किन्तु देश की पूरी की पूरी व्यवस्था चौपट हो गई है और पूरा देश जन जातीय टकरावों की आग में झुलस रहा है। अमरीका, ब्रिटेन तथा फ्रांस की बहुराष्ट्रीय कम्पनियां लीबिया के तेल तथा गैस के विशाल भण्डारों को आपस में बांट रही हैं और निर्ममता से उनकी लूट मचा रही हैं। इसी प्रकार अफगानिस्तान की स्थिति भी अच्छी नहीं है। वहां तालिबान के हमले निरंतर जारी हैं।

लातीनी अमरीका विशेष तौर पर वेनजुएला, बोलीविया, एक्वेडोर तथा निकारागुआ जैसे देशों की घटनाएं उत्साहवर्धक हैं। इन देशों में नव–उदारवादी नीतियों का एक विकल्प भले ही वह पूंजीवादी व्यवस्था के मूल ढांचे में ही क्यों न हो, उभर कर सामने आया है और विकसित हुआ है। इसके चलते जन पक्षीय नीतियों को लागू किया जा रहा है। ये देश इस बात को भी यकीनी बना रहे हैं कि बहुराष्ट्रीयों को उनके प्राकृतिक संसाधनों का दोहन करने की अनुमति न दी जाए।

हमारे पड़ोसी दे[illegible]ा

श्रीलंका में गृह युद्ध समाप्त हो जाने पर भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ है। श्रीलंका की सरकार को वहां (श्रीलंका) रहने वाले तमिल लोगों के मुद्दे का राजनीतिक समाधान निकालने के लिए तत्काल कदम उठाने चाहिएं। इसके साथ ही गृह युद्ध के [illegible]ले चरण मकें नागरिकों पर बर्बर अत्याचार करने वाले लोगों को दण्ड देना चाहिए।

बंगला देश में श्रमिक वर्ग के संघर्ष निरंतर जारी हैं और वस्त्र उद्योग जैसे उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों पर गम्भीर हमले किए जा रहे है या किए गए हैं।

नेपाल में समझौता हुए दो वर्षों से अधिक समय हो चुका है। वहां संविधान बनाने की दिशा में कुछ सकारात्मक घटनाएं हुई हैं। माओवादियों के नेतृत्व वाली मुक्ति सेना के नेपाली सेना के साथ मिल जाने के फलस्वरूप नया संविधान बनाने का रास्ता खुल गया है। पता चला है कि यह प्रक्रिया मई के अंत तक पूरी हो जाएगी।

प्रिय साथियो,

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों तथा औद्योगिक फैडरेशनों के बीच एकता स्थापित हो जाने के साथ ही जनरल कौंसिल को संघर्ष की भावी कार्रवाईयों के बारे में फैसला करना होगा।

हमारे पास अपने संगठन से जुड़े अनेक मुद्दे तथा सेक्टरवार मांगें हैं।

हमारे सामने सामाजिक उत्पीड़न से जुड़े मुद्दे भी हैं। जहां तमिलनाडु में हमारे साथियों ने इन मुद्दों पर दूसरे विभिन्न संगठनों के साथ मिल कर नेतृत्वकारी काम किया है। तमिलनाडु छुआछात उन्मूलन मोर्चे में सीआइटीयू तथा दूसरे भ्रातृ संगठनों ने राज्य के विभिन्न भागों में छुआछात जैसी निर्मम एवं अमानवीय व्यस्था को समाप्त करने के संघर्ष में सक्रिय भूमिका निभाई है। इस प्रकार की गतिविधियां चला कर हमारे श्रमिक संघों ने अनेक सबक सीखे हैं और दलितों, जन जातीय लोगों तथा दूसरे लोगों के सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ चलने वाले संघर्षों की अग्रिम पंक्तियों में रहना चाहिए।

देश के विभिन्न भागों में महिलाओं तथा बच्चों पर होने वाले अत्याचारों के सम्बन्ध में हाल ही में मिलने वाले समाचार निःसंदेह दिल दहला देने वाले हैं। यदि श्रमिक संघ तथा मेहनतकश अवाम एक संगठित शक्ति के रूप में इनके खिलाफ संघर्ष नहीं करेंगे तो और कौन करेगा? और कौन महिलाओं तथा बच्चों पर हो रहे अत्याचारों व उत्पीड़न के खिलाफ लड़ सकता है? हमें इन अपराधों के खिलाफ लोगों को जागरूक बनाना होगा और उनकी जागृति के स्तर को ऊंचा उठाने में सक्षम होना होगा।

प्रिय साथियो,

अपने अध्यक्षीय भाषण का समापन करने से पहले मैं आपको पश्चिम बंगाल में हमारे नेताओं, संगठन तथा कार्यकर्ताओं पर हो रहे हमलों का स्मरण कराना चाहूंगा। इन प्राण घातक हमलों का विवरण आप सब जानते हैं। पश्चिम बंगाल में हमारे साथियों की वर्गीय शत्रुओं के खिलाफ संघर्ष करने की बहुत पुरानी परम्परा रही है। देश के दूसरे भागों के हमारे साथियों का कर्त्तव्य हो जाता है कि वे इस संघर्ष में उनके साथ खड़े रहें। तानाशाही तथा निरंकुश शक्तियों का असल चेहरा दिन प्रतिदिन बेनकाब हो रहा है। ये ताकते बदलाव के नाम पर सत्ता में आई थीं और सत्ता में आते ही उन्होंने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया है। आईए, हम पश्चिम बंगाल के साथियों को यकीन दिलाएं कि हम उनके साथ अपनी एकजुटता व्यक्त करते हैं और इस संघर्ष में उनका समर्थन करते हैं।

प्रिय साथियो,

यह वर्ष तेलंगाना विद्रोह के लोक ख्यात नेता कामरेड पी सुन्दरैय्या का जन्म शताब्दी वर्ष है। हम उनकी स्मृति को सलाम कहते हैं और प्रण करते हैं कि उन आदर्शो को आगे बढ़ाने के लिए काम करते रहेंगे जिनके लिए उन्होंने अपना पूरा जीवन लगा दिया था और वह आदर्श था – एक समाजवादी भारत की स्थापना जहां मेहनतकश अवाम को सभी प्रकार के उत्पीड़नों तथा शोषणों से मुक्ति मिलेगी।

प्रिय साथियो,

एक बार फिर मैं आपको सलाम कहता हूं और आपके माध्यम से हमारे सभी सदस्यों तथा श्रमिकों की दूसरी सभी श्रेणियों को सलाम कहता हूं जिन्होने 28 फरवरी 2012 की देशव्यापी आम हड़ताल की अभूतपूर्व सफलता के लिए काम किया था। सीआइटीयू ने मेहनतकश अवाम की प्रत्येक श्रेणी को आह्वान करती है कि वह श्रमिक आंदोलन की एकता को मजबूत बनाए और शोषण मुक्त भारत बनाने के हमारे चरम लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जारी संघर्ष को और आगे बढ़ाएं।

आईए, हम एक बार फिर अपने शहीदों को सलाम कहें।

आईये, हम इस परम्परा को आगे बढ़ाने का प्रण करें।

सीआइटीयू जिंदाबाद!

श्रमिक वर्ग की एकता जिंदाबाद।

****

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)
जनरल कौंसिल की बैठक
कोयम्बटूर, तमिलनाडु
2–5 जून, 2012

महासचिव की रिपोर्ट

प्रिय साथियों,

कुछ अपरिहार्य कारणों के चलते सीआइटीयू जनरल कौंसल की बैठक लम्बे अंतराल (जनवरी 2011 में सम्पन्न नासिक बैठक के बाद) में हो रही है। इस मध्यावधि में सीआइटीयू कार्य समिति की बैठक कुल्लू में जुलाई 2011 में हुई थी। सीआइटीयू सैक्रेटेरिएट ने 20–21 अप्रैल को नयी दिल्ली में बैठक की थी जिसमें हमारे आंदोलन से जुड़े मुद्दों पर विचार किया गया था।

1.1.1 कार्य समिति की पिछली बैठक के बाद की अवधि घटना प्रधान रही है। राष्ट्रीय तथा अन्तर्राष्ट्रीय परिदृश्य में अनेक महत्वपूर्ण घटनाएं घटी हैं। श्रमिक आंदोलन में भी यह अवधि भारी दौड़ धूप करने वाली रही है और सीआइटीयू यूनियनों ने आंदोलन की अग्रिम पंक्तियों में रह कर काम किया है। राज्य समितियों, फैडरेशनों तथा यूनियनों के सक्रिय सहयोग के बल पर सीआइटीयू ने इस पूरे समय में जो भी चुनौती उसके सामने आई, उसने उसका सामना किया, जो भी काम उसके पास आया, उसे पूरा किया और बड़े प्रभावशाली ढंग से उसने अपने दायित्वों को पूरा किया है। जनरल कौंसिल को इस स्थिति के साथ–साथ उसकी आंदोलनात्मक एवं संगठनात्मक गतिविधियों की समीक्षा करते हुए संघर्ष की भावी कार्रवाईयों का निर्धारण करना है।

1.1.2 अध्यक्षीय भाषण में अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर घटी घटनाओं का विस्तार में उल्लेख किया गया है, उसे फिर से यहां दोहराने की आवश्यकता नहीं है। अत्यंत संक्षेप में हम यही कहेंगे कि इस मध्यावधि में अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति लगातार जारी रहने वाले और गहराते चले जाने वाले संकट की रही है। यह संकट विश्व की पूंजीवादी व्यवस्था का है जो मंदी के रूप लगातार चल रहा है और अपने साथ बेरोजगारी फैला रहा है। इस संकट से बाहर निकलने के आसार फिलहाल दिखाई नहीं दे रहे। यह संकट अमरीका के नेतृत्व वाली साम्राज्यवादी शक्तियों की और अधिक हताशा भरी, आक्रमक तथा दादागिरी लादने वाली कार्रवाईयों के रूप में प्रतिबिम्बित हुआ है। ये साम्राज्यवादी शक्तियां अपनी बहु–आयामी आर्थिक तथा व्यापारिक कूटनीति के माध्यम से विकासशील देशों की अर्थव्यवस्थाओं को गुलाम बना लेना चाहती हैं। विश्व ने बहुत अच्छी तरह देखा है कि अमरीकी साम्राज्यवादी किस प्रकार मध्य पूर्व तथा अरब देशों और विशेष तौर पर लीबिया, सीरिया तथा ईरान के खिलाफ अपनी असीम सैनिक ताकत का उपयोग किया।

1.1.3 तथापि, अन्तर्राष्ट्रीय क्षेत्र में अत्यंत सकारात्मक घटनाएं घटी हैं। वहा हड़ताली संघर्ष की एक लहर सी चल पड़ी है और इस लहर ने देखते ही देखते पूरे युरोप, अमरीका तथा अफ्रीका को अपनी चपेट में ले लिया है। जिस प्रकार पूंजीपति वर्ग महंगाई बढ़ा कर, वेतनों तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभों में कटौती करके और व्यापक रोजगार क्षतियों के द्वारा आर्थिक संकट का पूरा बोझ श्रमिक वर्ग के कंधों पर डाल देने की घिनावनी खेल खेल रहा है उसके खिलाफ श्रमिक वर्ग अपने गुस्से तथा विरोध का इजहार कर रहा है। श्रमिक वर्ग की संगठित कार्रवाईयों का विस्फोट पूरी दुनिया में हुआ है और संकट का

दुष्प्रभाव जन साधारण के जीवन तथा आजीविका पर पड़ रहा है जिसके खिलाफ विश्वव्यापी स्तर पर विरोध की जोरदार कार्रवाईयां तथा विशाल प्रदर्शन इत्यादि हो रहे हैं। जीवन के सभी क्षेत्रों से जुड़े इन संघर्षों में भाग ले रहे हैं। जन विरोध की कार्रवाईयों का यह चरण अमरीका में ही सितम्बर 2011 में "वाल स्ट्रीट पर कब्जा करो" आंदोलन से शुरू हुआ था और देखते ही देखते यह पहले पूरे अमरीका में और फिर विश्व के प्रमुख शहरों में फैल गया। इस आंदोलन में यह नारा बुलंद हुआ था, "निनानवे प्रतिशत बनाम एक प्रतिशत" और "सट्टेबाजों के लिए अरबो–खरबों डालर और जन साधारण के लिए फूटी कौड़ी।" नव उदारीकरण की आर्थिक नीतियों का यही विशेष लक्षण है।

1.2 राष्ट्रीय स्थिति

1.2.1 कार्य समिति की कुल्लू बैठक ने राष्ट्रीय स्तर की राजनीतिक घटनाओं पर चर्चा करते समय यह विचार व्यक्त किया था कि पश्चिम बंगाल तथा केरल विधान सभाओं के चुनावों में वाम पक्ष की पराजय होने और लोक सभा में उसकी संख्या कम हो जाने के बाद राजनीतिक परिदृश्य में शक्तियों का समीकरण बदल गया है और शक्तियों का झुकाव दक्षिणपंथ की ओर हुआ है। इस स्थिति में यूपीए–II सरकार और अधिक साम्राज्यवाद समर्थक दक्षिणपंथी दिशा में जाएगी, काम करेगी और निजीकरण तथा विनियमीकरण के अपने वित्तीय सुधारों को आगे बढ़ाने के लिए आक्रमक रुख अपनाएगी।

1.2.2 मध्यावधि की घटनाओं की छानबीन करें तो हमें यह समझने में देर नहीं लगेगी कि वर्तमान में शक्तियों के संतुलन का झुकाव दक्षिण पंथी ताकतों के पक्ष में है। राजनीतिक, आर्थिक तथा विदेश नीति के मोर्चे पर इस झुकाव को चौंका देने वाली सीमा तक देखा सकता है। पश्चिम की अर्थव्यवस्थाओं के गहराते संकट की पृष्ठभूमि में और राजनीतिक तथा आर्थिक मोर्चों पर विकासशील देशों को अपने सामने नतमस्तक होने पर मजबूर करने के लिए साम्राज्यवादी शक्तियों की दादागिरी और अधिक बढ़ गई है। भारत का सत्ताधारी वर्ग अमरीकी प्रकाशन की इस सामरिक खेल का भागीदार बन कर उसे प्रसन्न करने की कोशिशें जी जान से कर रहा है।

1.2.3 भारत सरकार विदेश नीति के मोर्चे पर ईरान तथा सीरिया के मामले में एक प्रकार से अमरीका की नीति का अनुसरण ही कर रही है। दक्षिणपंथ की ओर झुकाव की यह हड़बड़ी खुदरा व्यापार के क्षेत्र में बहुराष्ट्रीय कम्पनियों को शत प्रतिशत प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति दिए जाने सम्बन्धी सरकार की घोषणा में प्रतिबिम्बित होती है; यह अनुमति संसद के शरदकालीन सत्र के शुरू होने थोड़ा समय पहले दी गई थी। सरकार ने इस सत्र के दौरान सरकार ने पेन्शन के निजीकरण, बैंकिंग तथा बीमा निमयों जैसे प्रमुख वित्तीय क्षेत्र से सम्बन्धित विधेयकों पर तत्परता से काम किया; वित्त सम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति से उन्हें पारित कराया ताकि उन्हें संसद में पेश किया जा सके। इसी प्रकार सरकार भारत–युरोप मुक्त व्यापार समझौते के मामले में भी बहुत जल्दबाजी दिखा रही है; इससे मदी से प्रभावित युरोपीय अर्थव्यवस्था को तो कुछ राहत मिल सकती है किन्तु यह समझौता भारतीय उद्योगों पर कहर बरपा देगा। अत्यंत महत्वपूर्ण अंदरूनी ढांचे तथा सार्वजनिक उपयोग की सेवाओं के निजीकरण की खेल खेलने का उद्देश्य यही है कि सड़क विकास, रेलवे, संचार, सार्वजनिक परिवहन, ऊर्जा, पेट्रोलियम, जल आपूर्ति, स्वास्थ्य तथा शिक्षा और यहां तक कि प्रतिरक्षा क्षेत्र भी अर्थात् आसमान के नीचे जितनी भी सेवाएं अथवा उद्योग मौजूद हैं, उन सभी को निजी–सार्वजनिक भागीदारी के माडल में फिट कर दिया जाए।

1.2.4 इस मध्यावधि में एक के बाद दूसरे घोटाले जिनमें केन्द्रीय सरकार से जुड़े लोग संलिप्त रहे हैं, के बेनकाब होते चले जाने के कारण कांग्रेस के नेतृत्व वाली सरकार की छवि बुरी तरह खराब हो चुकी है। प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी इससे लाभ नहीं उठा पाई क्योंकि कर्नाटक तथा कुछ दूसरे राज्यों में भाजपा के नेतृत्व वाली सरकारें भी भ्रष्टाचार के कीचड़ में लथपथ रही हैं और भूमि तथा खदान सौदों में उन लोगों के हाथ भी रंगे हुए हैं। इसके साथ ही साथ अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के दाम लगातार बढ़ते चले जा रहे हैं और इसका दुष्प्रभाव जन साधारण के जीवन पर पड़ रहा है। इसके कारण लोगों ने असंतोष पनप रहा है जो देश भर में चल रहे रोष प्रदर्शनों तथा आंदोलनों के रूप में प्रतिबिम्बित हो रहा है;

ये रोष प्रदर्शन राजनीतिक दलों द्वारा भी कराए जा रहे हैं और विभिन्न जन संगठनों के मोर्चों पर भी चल रहे हैं। विभिन्न राज्यों में नैगम घरानों की ओर से भूमि अधिग्रहण किए जाने से लोगों तथा विशेष तौर पर किसानों में सहज स्वाभाविक विरोध पैदा हो रहा है और वे आगे बढ़ कर इन कार्रवाईयों का प्रतिकार कर रहे हैं। समग्र रूप में देश भर में जन साधारण के बीच एक ओर महंगाई, बेरोजगारी, कृषि क्षेत्र के संकट तथा दूसरी ओर केन्द्र में सत्तारूढ़ सरकार तथा विशेष तौर पर कांग्रेस पार्टी से जुड़े भ्रष्टाचार के मामलों के कारण जबरदस्त असंतोष, रोष तथा आक्रोश पैदा हो रहा है।

1.2.5 उत्तर प्रदेश तथा पंजाब सहित पांच राज्यों में सम्पन्न विधान सभा चुनाव इस मध्यावधि की प्रमुख राजनीतिक घटना है। कांग्रेस की हालत खराब रही किन्तु भारतीय जनता पार्टी भी इन चुनावों मे अपनी स्थिति में सुधार नहीं ला सकी। पंजाब में सत्ता विरोधी लहर को ठेंगा दिखाते हुए शिरोमणी अकाली दल अपनी सरकार को बनाए रखने में सफल रहा। उत्तराखण्ड में कांग्रेस और भाजपा में बराबर का मुकाबला रहा। दिल्ली के एमसीडी चुनावों में कांग्रेस को पराजय का मुंह देखना पड़ा। कुल मिला कर देखा जाए तो इन चुनावो में हिन्दी भाषी राज्यों में कांग्रेस के जनाधार का क्षरण हुआ है और प्रमुख विपक्षी दल भारतीय जनता पार्टी भी कुछ खास हासिल नहीं कर सकी। क्षेत्रीय दलों ने शून्य को भरा है। यह घटना केन्द्र में सत्तारूढ़ दल कांग्रेस के प्रति लोगों के बीच पनप रहे असंतोष व मोह भंग जैसी स्थिति की ओर संकेत करती है।

1.2.6 संक्षेप में, इस स्थिति के कारण और विभिन्न आंदोलनों के माध्यम से श्रमिक आंदोलन के संयुक्त प्रतिरोधी संघर्ष की पृष्ठभूमि में सरकार बैंकिंग तथा बीमा क्षेत्र के विनियमीकरण, पेन्शन सुधारों जैसे सुधार के अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने में सफल नहीं हो सकी। उसे फिलहाल मल्टी–ब्रांड खुदरा व्यापार के क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश की अनुमति देने के अपने घोषित कार्यक्रम को छोड़ देना पड़ा है।

1.2.7 एक बात विशेष तौर पर रेखांकित की जानी चाहिए। कांग्रेसी शासकों के प्रति बढ़ते असंतोष व मोह भंग की पृष्ठभूमि में राजनीतिक क्षेत्र में शक्तियों का संतुलन किसी भी तरह से यूपीए–II सरकार की दक्षिणपंथ की ओर झुकाव वाली नीतियों के लगातार व प्रधान विरोध की दिशा में नहीं जा रहा। चाहे वह राजनीतिक मोर्चा हो या आर्थिक। कोई भी क्षेत्रीय दल विदेश तथा आर्थिक नीति के मामलों में सरकार के साम्राज्यवाद समर्थक रुख अथवा नव–उदारवादी नीतियों का लगातार विरोध नहीं कर रहा। वित्त सम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति में भी वाम पक्षी दलों को छोड़ कर दूसरे किसी भी गैर कांग्रेसी दल ने पेन्शन विधेयक अथवा बीमा से सम्बन्धित विधेयक के खिलाफ जोरदार आवाज नहीं उठाई।

1.2.8 इस स्थिति में हमारे सामने नव–उदारवादी नीतियों की सत्ता के खिलाफ श्रमिक वर्ग के संयुक्त संघर्ष चलाने व उन्हें बुलंदियों तक ले जाने का काम है। इसके साथ ही हमें साम्राज्यवाद समर्थक नव–उदारवादी नीतियों के खिलाफ स्वतंत्र रूप से भी अभियान चलाना होगा ताकि राजनीतिक–आर्थिक नीतियों की सत्ता के दक्षिण पंथ की ओर झुकाव का प्रतिकार किया जा सके।

2.0 अर्थव्यवस्था की स्थिति

2.1.1 इस मध्यावधि में खुराक तथा दूसरी सभी अनिवार्य उपभोक्ता वस्तुओं के लगातार बढ़ रहे दामों के चलते जन साधारण की हालत बद से बदतर हुई है। पेट्रोल के मूल्य कई बार बढ़ने से हालत दयनीय हो चुकी है और इसका प्रपाती दुष्प्रभाव बढ़ती महंगाई के रूप में पहले ही देखा जा सकता है।

2.1.2 केन्द्रीय सरकार बढ़ चढ़ कर विकास और प्रगति की बातें करती रही है किन्तु इस पर भी मिलने वाले आर्थिक संकेत अर्थव्ववस्था तथा विशेष तौर पर औद्योगिक क्षेत्र में उसकी गिरावट को दर्शाते हैं। इसके चलते सरकार सकल घरेलू उत्पाद अथवा जीडीपी की गिरावट को रोकने के लिए कदम उठाने पर मजबूर हुई है। क्योंकि अनिवार्य वस्तुओं के दाम लगातार

बढ़ रहे हैं और लोगों की क्रय शक्ति कम हो रही है, इसलिए जीडीपी का गिरावट की ओर जाना स्वाभाविक ही है। इसका दुष्प्रभाव उपभोक्ता वस्तुओं के बाजार पर पड़ा है और फिर औद्योगिक उत्पादन इसके दुष्प्रभाव से अछूता कैसे रह सकता है?

विश्व पूंजीवादी संकट के कारण युरोपीय अर्थव्यवस्थाओं में मंदी बनी हुई है। इसका व्यापक दुष्प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर भी पड़ा है। इसके परिणामस्वरूप भारतीय उत्पादों के निर्यात का बाजार सिकुड़ रहा है और इसके चलते वर्ष 2011–12 में उसके पिछले वर्ष की तुलना में हमारा व्यापार घाटा चौंका देने वाली सीमा अर्थात् 55.8 प्रतिशत से लेकर 184.9 अरब अमरीकी डालर तक बढ़ गया है। इसका दुष्प्रभाव भारतीय रुपए पर पड़ा है और अमरीकी डालर की तुलना में उसका मूल्य तेजी से कम होता चला जा रहा है; आयात के खर्चे तेजी से बढ़ रहे हैं विशेष तौर पर कच्चे तेल के मामले में और उर्वरकों, सोने, खाद्य तेलों इत्यादि के मामले में भी। इनके कारण हमारा व्यापार घाटा और बढ़ रहा है। भारतीय उद्योगों की आयात–निर्भरता चौंका देने वाली सीमा तक बढ़ रही है किन्तु निर्यातोन्मुखी पक्षपाती नीति लागू करते समय इसकी चिंता नहीं की जा रही। विशेष तौर पर ऑटोमाबाइल्स, गहनों तथा स्थायी उपभोक्ता वस्तुओं का आयात बिल बढ़ता चला जा रहा है। इस प्रकार की स्थिति में फंस चुके भारत के शासक विदेशी संस्थागत निवेशकों तथा दूसरी सट्टेबाज एजेंसियों को प्रसन्न रखने के लिए बेहद उतावले दिखाई दे रहे हैं और वे किसी भी मूल्य पर विदेशी धन के प्रवाह को तेज करने के लिए उन्हें विभिन्न प्रकार की रियायतें व छूटें देते चले जा रहे हैं और विनियमीकरण के दूसरे कदम उठा रहे हैं। देश की अर्थव्यवस्था पर पड़ रहे नकारात्मक प्रभावों की उन्हें तनिक भी चिंता नहीं है। वास्तव में इस दोष पूर्ण नीति के कारण व्यापार–घाटे ओर वित्तीय विनियमन जैसा एक विषाक्त कुचक्र चल पड़ा है।

2.1.3 एक और पहलू को भी रेखांकित किएं जाने की जरूरत है। ऊर्जा अर्थात् कोयला, विद्युत तथा पेट्रोलियम के क्षेत्र में गम्भीर स्थिति पैदा हो गई है और इनका अभाव बढ़ रहा है। यह स्थिति भी ऊर्जा सेक्टर के सभी क्षेत्रों में निजी क्षेत्र देशी तथा विदेशी दोनों को बढ़ावा देने और इसके साथ ही सार्वजनिक क्षेत्र के ऊर्जा सेक्टर को हतोत्साहित करने/उसके रास्ते में रुकावटें खड़ी करने की इसी दोष पूर्ण नीति के कारण पैदा हुई है। इसके परिणामस्वरूप औद्योगिक इकाईयों को ऊर्जा आपूर्ति की भारी कमी का सामना करना पड़ रहा है, गैस तथा/अथवा कोयला न मिलने के कारण ऊर्जा उत्पादन प्रभावित हो रहा है और अनेक उद्योगों के किवाड़ बंद हो रहे हैं, वहां तालाबंदियां हो रही हैं अथवा उनकी क्षमताओं से कम काम हो पा रहा है। यह सब विद्युत आपूर्ति में बार–बार विघ्न पडने के कारण होता है। इस संकट का बोझ वेतन कटौतियों, बैठकी अथवा ले–ऑफ, काम बंदियों के रूप में श्रमिक वर्ग के कंधों पर डाला जा रहा है।

2.1.4 कुछ विशेष उद्योगों में भले ही वे भारी भरकम मुनाफा कमा रहे हैं, में काम करने वाले श्रमिकों को संकटपूर्ण स्थिति का सामना करना पड़ रहा है। चाय बगीचों में काम करने वाले श्रमिकों का बदतरीन किस्म का शोषण होता है जबकि चाय उद्योग भारी मुनाफे पर चल रहा है। जूट उद्योग में भी स्थिति लगभग इसी प्रकार की है।

2.1.5 एक और सेक्टर कपड़ा उद्योग का है। यह सेक्टर निर्यात के माध्यम से भारी भरकम लाभ कमा रहा है। किन्तु कपड़ा उद्योग की निर्यातोन्मुखी इकाईयों का विकेन्द्रीकरण कर दिया गया है और उनमें काम करने वाले अधिकतर श्रमिक यूनियनों में नहीं हैं या दूसरे शब्दों में उनका यूनियनकरण नहीं हुआ है। उनका भारी शोषण होता है। उन्हें बहुत कम पगार दी जाती है और सामाजिक सुरक्षा का लाभ भी उन्हें नहीं दिया जाता। पावर लूम सेक्टर को यार्न अथवा धागे की कमी के चलते भीषण समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है और ऊपर से उन इकाईयों को बिजली की कटौतियां भी झेलनी पड़ती हैं। हैंड लूम सेक्टर में संघर्षों के फलस्वरूप सरकार को मजबूर होकर सहकारी सभाओं तथा स्वतंत्र रूप से काम करने वाले बुनकरों को 3300 करोड़ रुपए की राहत देनी पड़ी है। किन्तु अनेक राज्यों में यह राहत सहकारी सभाओं अथवा बुनकरों को नहीं मिली। दूसरी ओर अनेक कपड़ा मिलें अपने यहां काम करने वाली श्रम शक्ति का आकार कम करने में लगी हुई हैं। वे इसके

लिए विकेन्द्रीयकरण तथा श्रमिकों की आउटसोर्सिंग करने जैसे हथकण्डे अपना रही हैं इसके कारण भी श्रमिकों का बर्बर दमन व शोषण हो रहा है।

2.1.6 पिछले वर्ष उससे पहले वर्ष की तुलना में कृषि उत्पादन बढ़ने पर भी कृषि क्षेत्र लगातार संकटपूर्ण स्थिति का सामना कर रहा है। फसल बहुत अच्छी हुई किन्तु कृषकों को उसका कोई लाभ नहीं मिला क्योंकि कृषि उत्पादन की भारी लागत की तुलना में उन्हें मिलने वाला समर्थन मूल्य कम होता है। वह लागत के अनुकूल नहीं होता। इसका प्रमुख कारण सरकार की दोषपूर्ण नीतियां हैं जो बड़े जागीरदारों तथा व्यापारियों के पक्ष में हैं। यही कारण है कि ग्रामीण भारत में किसान लगातार आत्महत्याएं कर रहे हैं और गांवों में रहने वाले लोगों की विशाल बहुसंख्या गरीबी की चक्की में पिस रही है।

2.1.7 रोजगार के मोर्चे पर स्थिति बहुत भयानक है। एनएसएसओ अर्थात् राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन के आंकड़ों के अनुसार रोजगार वृद्धि की दर 2000–2005 में 2.7 प्रतिशत थी किन्तु 2005–2010 की अवधि में यह कम होकर मात्र 0.8 प्रतिशत रह गई है। भले ही 2005–10 में सकल घरेलू उत्पाद की वृद्धि दर का वार्षिक आनुपात 8.5 प्रतिशत रहा और वह उससे पहले के पांच वर्षों अर्थात् 2000–2005 से काफी अधिक था किन्तु इस पर भी रोजगार वृद्धि दर में भारी गिरावट दर्ज की गई। इससे भारत सरकार द्वारा आर्थिक क्षेत्र में अपनाए गए रास्ते की पोल रोजगार विहीन विकास के रूप में खुल जाती है। इस लिए सरकार जिस रास्ते पर चल रही है वह समाज में असमानता बढ़ाने वाला और आर्थिक असमानता लाने वाला है।

2.1.8 इस स्थिति में भी आज की सरकार योजना आयोग के आंकड़ों का हवाला देकर गरीबी में तीखी गिरावट होने सम्बन्धी झूठे दावे करती चली जा रही है। वास्तव में, जहां वह अपनी अमीर समर्थक दोषपूर्ण आर्थिक तथा वितरणकारी नीतियों के कारण जन गण के बढ़ते दरिद्रीकरण की गति को रोकने में असफल रही है वहीं पर वह आधिकारिक गरीबी की रेखा की कृत्रिम परिभाषाएं दे रही है अर्थात् उसने गांवों में प्रति दिन 22.4 रुपए तथा शहरों में प्रति दिन 28.6 रुपए की आय/उपभोग के निम्न स्तर का निर्धारण किया है जो अत्यंत हास्यास्पद है।

2.1.9 वास्तव में लोगों की आय में तीखी गिरावट आते चले जाने के कारण दरिद्रता बढ़ रही है। लगातार महंगाई बढ़ने तथा दोषपूर्ण वितरणकारी व्यवस्था के कारण जहां उनकी वास्तविक आय कम हो रही है वहीं रोजगार की गुणवत्ता कम होने तथा देश भर में कामकाजी स्थलों का तेज गति से अनौपचारिकीकरण होने के कारण उनकी अनुपातिक आय का स्तर भी कम हुआ है। वर्ष 2010 के बाद मैन्युफैक्चरिंग सैक्टर (जो मूल रूप से अब तक संगठित क्षेत्र रहा है) में भी शुद्ध मूल्य संवर्धन में वेतनों का भाग कम हुआ है और वह दस प्रतिशत से भी नीचे जा चुका है जबकि मुनाफे का भाग 60 प्रतिशत तक ऊपर जा चुका है। सेवा तथा असंगठित क्षेत्र की स्थिति अनिवार्य रूप से और खराब होनी निश्चित है। जब यह स्थिति हो तब सरकार की ओर से कुल मिला कर गरीबी कम होने का दावा करना लोगों को मूर्ख बनाने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। वास्तव में सरकार तथा उसका योजना आयोग जमीनी स्तर पर गरीबी कम करने की बजाए लेखा पुस्तकों में से गरीबी दूर करने के लिए काम कर रहा है।

2.1.10 इसके विपरीत, असमानता एवं विषमता असहनीय सीमा तक बढ़ गई है। भारत में डालर अरबपतियों की संख्या 2011 में समाप्त हुए दो वर्षों में 55 हो गई है। इन 55 अरबपतियों के पास 240 अरब डालर अर्थात् 12 लाख करोड़ रुपए की सम्पत्ति है –देश के वार्षिक बजट के आकार से भी अधिक। इसके साथ ही साथ गरीबी और गहरी होती जा रही है जिसकी चर्चा हम ऊपर कर चुके हैं। जुलाई 2009 तथा जून 2010 के बीच हुए राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण के 66 चक्र में बताया गया है कि देश के निर्धनतम 10 प्रतिशत ग्रामीण लोग प्रति दिन 15 रुपए से कम तथा शहरों में रहने वाले निर्धनतक लोग उससे थोड़ा अधिक 20 रुपए की आय पर गुजर बसर करते हैं। उसी रिपोर्ट में यह भी बताया गया था कि मध्यम स्तर की मासिक

प्रति व्यक्ति उपभोक्ता व्यय (एमपीसीई) गांवों में 895 रुपए तथा शहरी भारत में 1,502 रुपए था जो हमारे देश की जनसंख्या की विशाल बहुसंख्या के उपभोक्ता स्तर की ओर संकेत करता है।

2.1.11 हाल ही में जारी "घरेलू सुविधाएं तथा परिसम्पत्तियों पर वर्ष 3011 की गणना" सम्बन्धी रिपोर्ट भारत में विभिन्न क्षेत्रों में गरीबी की सीमा को दर्शाती है। भारत में 24.6 करोड़ परिवारों में से केवल 29 प्रतिशत परिवारों के सिरों पर पक्की छत थी; केवल 32 प्रतिशत लोगों को पेय जल की सुविधा प्राप्त थी और केवल 47 प्रतिशत लोगों के घरो में शौचालय थे; 49. 8 प्रतिशत लोग शौच के लिए बाहर खुले में जाते है; 49 प्रतिशत लोग खाना पकाने के लिए लकड़ी जलाते हैं; और 17 प्रतिशत लोग गाय के गोबर के उपले जलाते हैं; 39 प्रतिशत लोगों के घरों में रसोई नहीं है। वर्तमान में भारत की जमीनी सच्चाई यही है।

2.2 वर्ष 2012 को केन्द्रीय बजट

2.2.1 वर्ष 2012–13 के केन्द्रीय बजट ने स्थिति बद से बदतर बना दी है। बजट ने मुट्ठी भर अमीर लोगों की जेब और अधिक गर्म करने के लिए लाखों–करोड़ों गरीबों का खून चूसने तथा लूटने का फैसला किया है। जहां नैगम घरानों तथा अमीर लोगों को हजारों करोड़ रुपए के करों में छूटें दी जा रही है वहीं आम आदमी के कंधों पर और अधिक बोझ लाद दिया गया है। उसके लिए पहले से दी जा रही सब्सिडियों में कटौती करने के साथ–साथ अप्रत्यक्ष करों को बढ़ा दिया गया है।

2.2.2 अप्रत्यक्ष करों को बढ़ा कर बजट घाटा पूरा करो; इस अवधारणा को सामने रख कर तैयार की गई रणनीति के अनुसार बजट पेश करने की पूरी कसरत की गई है। इसने सबसे पहले जन साधारण तथा गरीब श्रेणियों पर आघात किया है। चालू बजट में आय सम्बन्धी प्रस्ताव प्रत्यक्ष करों में 4500 करोड़ रुपए की राहत प्रदान करते हैं जबकि उससे दस गुणा अधिक 45,940 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि अप्रत्यक्ष कर लगा कर जुटाने का सुझाव देते हैं; जिसका पूरा बोझ अनिवार्य रूप से उपभोक्ताओं पर पड़ेगा। एक अनुमान के अनुसार अप्रत्यक्ष करों का बोझ लगभग 73000 करोड़ रुपए हो चुंका है।

2.2.3 कुल कर राजस्व पर अप्रत्यक्ष करों का बोझ निरंतर बढ़ता चला गया है; यह देश के कुल कर राजस्व का लगभग दो तिहाई हो चुका है अर्थात् भारत के साव्रजनिक वित्तीय आंकड़ों 2010–11 के अनुसार 63 प्रतिशत। स्वैच्छिक संगठनों के परिसंघ (सीओवीए) हैदराबाद द्वारा कराए गए एक और गहरे अध्ययन तथा सर्वेक्षण के निष्कर्षों के अनुसार कूड़ा करकट बीनने वालों, रिक्शा चलाने वालों, गलियों में घूम–घूम कर सामान बेचने वाले गरीब से गरीब लोगों पर भी अप्रत्यक्ष करों का बोझ पड़ राहा है; उन पर प्रति मास 3300 रुपए का बोझ पड़ रहा है जो उनके कुल मासिक उपभोक्ता व्यय का 10.6 प्रतिशत है। इस स्थिति में अप्रत्यक्ष करों में लगभग 45940 करोड़ रुपए की बढ़ोतरी किए जाने सम्बन्ध बजट का फैसला न केवल निरंकुश अपितु अमानवीय भी है।

2.2.4 ईंधन पर दी जाने वाली सब्सिडी में 25000 करोड़ रुपए की भारी कटौती की गई और इसके साथ पेट्रोल–मूल्य का विनियमीकरण कर दिया गया, डीज़ल के मूल्यों का विनियमीकरण करने के लिए हाथ पांव मारे जा रहे हैं, इससे ईंधन के मूल्यों में जबरदस्त वृद्धि हो जाएगी और इसका आपदाकारी दुष्प्रभाव सभी उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों पर पड़ेगा। बात यहीं पर खत्म नहीं हो जाती। पेट्रोलियम पदार्थों पर एकत्रित किए जा रहे सैस में भी तीखी बढ़ोतरी कर दी गई है। पहले प्रति टन 2500 रुपए का सैस वसूल किया जाता था और अब 4500 रुपए प्रति टन सैस वसूल किया जाने लगा है। इसका दुष्प्रभाव भी ईंधन के मूल्यों पर पड़ेगा तथा ये मूल्य और बढ़ जाएंगे। उवर्रकों के लिए दी जा रही सब्सिडी में 6000 करोड़ रुपए की कटौती कर दी गई है। इससे उर्वरकों के दाम और बढ़ जाएंगे जिसका दुष्प्रभाव किसान जनता पर पड़ेगा, उन पर बोझ और अधिक बढ़ जाएगा जो कृषि संकट के चलते पहले ही ऋणों तथा दूसरे बोझ तले दबे हुए हैं। भले ही खाद्य पदार्थो पर सब्सिडी में 3 प्रतिशत की मामूली बढ़ोतरी की गई है किन्तु यदि मुद्रा स्फीति की ओर देखें तो यह वास्तव में इसकी कमी

को ही दर्शाता है। जीडीपी की प्रतिशतता की दृष्टि से खाद्य पदार्थो की सब्सिडी 0.81 प्रतिशत से कम होकर 0.73 प्रतिशत रह गई है।

2.2.5 बजट बनाने तथा करों का निर्धारण करने के प्रश्न पर सरकार द्वारा उठाया गया प्रत्येक कदम जनता की विशाल बहुसंख्या के प्रति उसके पूर्वाग्रह अथवा विरोध को ही दर्शाता है। जनता की विशाल बहुसंख्या के लिए दी जाने वाली खाद्य सब्सिडियों में उनके मूल्य तथा परिमाण दोनों दृष्टियों से कटौती कर दी गई है। उसका लक्ष्य इन सब्सिडियों में कटौती करके उन्हें जीडीपी के 1.75 प्रतिशत तक ले आना है। इसके साथ ही बड़े कारोबारियों तथा नैगम घरानों की लाबी जो जनसंख्या का मुश्किल से एक अथवा डेढ़ प्रतिशत हैं, के मामले में प्रत्यक्ष करों के राजस्व की वसूली न करके, कर न चुकाने वाले महानुभावों को संरक्षण देकर सब्सिडियां दी जा रही हैं। इन महानुभावों को वर्ष 2010–11 में 3.6 लाख करोड़ रुपए से अधिक राशि की सब्सिडियां दी गई जो जीडीपी का लगभग 3.9 प्रतिशत बनता है। यूपीए सरकार के शासन में बड़े कारोबारियों जो कुल जन संख्या का एक या डेढ़ प्रतिशत हैं, को दी जाने वाली सब्सिडियां लगातार बढ़ाई जा रही हैं। इस श्रेणी के बड़े बॉसों को प्रसन्न करने के लिए उनसे वसूला न जाने वाला धन भी बढ़ रहा है। वर्ष 2010–11 में उन्हें 4.59 करोड़ रुपए माफ कर दिए गए और 2011–12 में सरकार उन पर और मेहरबान हो गई तथा उसने 5.29 करोड़ रुपए माफ कर डाले। इस प्रकार उनसे एक वर्ष में 15 प्रतिशत धन की वसूली नहीं की गई जो सरकार का राजस्व था। भारत के लेखा महानियंत्रण अर्थात् कैग की रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2005–06 में करों की बट्टेखाते पड़ी तथा करों की पिछली बकाया राशि 77000 करोड़ रुपए थी जो वर्ष 2009–10 में बढ़ कर 1.8 लाख करोड़ रुपए हो गई। पिछले पांच वर्षों में उसमें 135 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। उसके अगले एक वर्ष की अवधि में चुकाए नहीं गए करों की राशि में 38 प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। इस प्रकार सरकार सब्सिडी के हथकण्डा अपना कर देश की निनानवे प्रतिशत जनता के मूल्य पर बड़े कारोबारियों जो कुल जन संख्या का एक–डेढ़ प्रतिश हैं और जो सरकार को कर नहीं देते अथवा कर चोर हैं, को संरक्षण दे रही है।

2.2.6 समय की मांग है कि सरकार उत्पादक सेक्टरों में रोजगार सृजन से जुड़े कार्यक्रमों के लिए धन का निवेश करे किन्तु इसके विपरीत वह सट्टेबाजों की पीठ थपथपा रही है, उन्हें कर अवकाश दे रही है। इस प्रकार देश के संसाधनों को उत्पादक कार्यों में लगाने की बजाए जुआ खेलने जैसे कामों में लगाया जा रहा है और सट्टेबाज इस स्थिति का लाभ उठा कर अपना पैसा दोगुणा व चार गुणा करते चले जा रहे हैं। प्रतिभूतियों के लेन देन (एसटीटी) सम्बन्धी कर में 25 प्रतिशत तक कमी की जा चुकी है और ''राजीव गांधी एक्विटी सेविंग योजना'' के अन्तर्गत सट्टाबाजार में पैसा लगाने वाले महानुभावों (दूसरे शब्दों में जुआरियों) को करों नयी छूट देने की घोषणा कर दी गई है। सट्टाबाजार में पैसा लगाने वालों पर यह अनुकम्पा उस समय की जा रही है जब कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दरों को 9.5 प्रतिशत से कम करके 8.25 प्रतिशत कर दिया गया।

2.2.7 करों में ब्रेक देकर सट्टेबाजों को बढ़ावा दिया जा रहा है। यह सब भारत के सट्टाबाजार तथा बांड मार्किट में विदेशी संस्थागत निवेशकों की पहुंच को आसान बना कर अथवा उसका पहले से उदारीकरण किए जाने की पृष्ठभूमि में हो रहा है। पिछले वर्ष विदेशी संस्थागत निवेश की सीमा दीर्घावधि के अंदरूनी ढांचागत बांडों, कारपोरेट बांडों तथा सरकारी प्रतिभूतियों में बढ़ा दी गई थी। विदेशी वाणिज्यक ऋणों अथवा उधार की सीमा भी बढ़ा दी गई थी और 'पात्र' विदेशी निवेशकों विशिष्ट भारतीय म्युचुअल फण्डज़ तथा सीधे तौर पर एक्विटीज़ में निवेश करने की अनुमति दे दी गई थी। इस वर्ष 'पात्र' विदेशी निवेशकों को कारपोरेट बांड मार्किट में जाने की अनुमति भी दे दी गई है। सरकार के इन कदमों से समाज में व्यापक स्तर पर आर्थिक विषमता बढेगी क्योंकि जो पैसा उत्पादक तथा रोजगार का सृजन करने वाले कार्यों में लगना चाहिए वह सट्टाबाजार में लगाया जा रहा है। इससे देश में बेरोजगारी की स्थिति और खराब हो जाएगी।

2.2.8 वास्तव में, नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों की सत्ता लाखों करोड़ों लोगों जो जीडीपी पैदा करते हैं, के स्थान पर लगातार मुट्ठी भर कारपोरेटियों तथा बड़े कारोबारियों देशी तथा विदेशी दोनों के हित में काम कर रही है। यह बदलाव

जन साधारण के लिए दी जाने वाली सब्सिडियों में कटौतियों और अमीर व सभ्रांत लोगों को करों इत्यादि में भारी भरकम छूटें देकर तथा उनसे करों की राशियां वसूल न करके लाया जा रहा है। इस प्रकार जानबूझ कर न देने वाले लोगों की पीठ थपथपाई जा रही है, उनका हौसला बढ़ाया जा रहा है कि वे काला धन पैदा करें। करों की प्रतिगामी सत्ता लगातार प्रभावी प्रत्यक्ष करों को कम कर रही है और अप्रत्यक्ष करों का बोझ व्यापक स्तर पर बढ़ा रही है। बजट बनाने की यह पूरी कसरत एक ऐसा हथकण्डा बन कर रह गई है जिसकी सहायता से नीतियों में बदलाव लाया जा रहा है और बदली हुई नीतियों के अन्तर्गत लाखों–करोड़ो लोगों के हितों को दरकिनार करके मुट्ठी भर अमरी लोगों को लाभ पर लाभ पहुंचाया जा रहा है। इस सत्ता में 99 प्रतिशत लोगों की कोई कद्र नहीं और यदि कद्र है तो केवल एक प्रतिशत बड़े कारोबारियों तथा नैगम घरानों की।

2.3 विनिवेश का खतरा

2.3.1 सरकार ने लाभ पर चलने वाली सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के शेयरों का विनिवेश करके 30000 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य निर्धारित किया है। आरआइएनएल, सेल, एनएलसी, बीएचईएल, आइओसी इत्यादि नवरत्न तथा महारत्न जैसी सार्वजनिक इकाईयों का नाम इस सूची में पहले ही शामिल किया जा चुका है। सरकार लम्बे समय से देश की जनता के सामने यह बखान कर रही है कि विनिवेश का मतलब निजीकरण नहीं क्योंकि शेष 51 प्रतिशत शेयर धारण के माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाईयों पर उसका नियंत्रण बना रहेगा। इसका अर्थ है सरकार सार्वजनिक क्षेत्र की सभी इकाईयों के 49 प्रतिशत शेयरों का विनिवेश कर सकती है। सीआइटीयू शुरू से ही विनिवेश की पूरी अवधारणा का विरोध करता रहा है। उसके विचारानुसार विनिवेश की प्रक्रिया सार्वजनिक इकाईयों का धीरे–धीरे निर्जीकरण करने के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। जहां सार्वजनिक इकाईयों पर सरकार और उसके साथ–साथ संसद का नियंत्रण कदम दर कदम कम होता चला जाएगा। उनके निदेशक मण्डलों में गैर सरकारी लोग आ जाएंगे। वे लोग विशेष तौर पर विदेशी संस्थागत निवेशक अल्प संख्या में होते हुए भी हुकुम चलाने लग जाएंगे। हाल ही में मिली जानकारी के अनुसार यूके की एक एजेंसी टीसीआइ जिसका महारत्न कोल इण्डिया लिमिटेड में एक प्रतिशत शेयर है, ने कोल इण्डिया को धमकाया है कि वह सरकर/संसद के दिशा निदेशों के अनुसार अपनी मूल्यन एवं आपूर्ति नीति का पालन न करे। यदि वह उसका पालन करेगी तो उस पर अन्तर्राष्ट्रीय अदालत में मुकद्दमा चलाया जाएगा। सीआइटीयू ने इस प्रश्न पर जो रुख अपनाया था, इससे उसकी पुष्टि होती है और विनिवेश का असल खतरा भी सामने आ जाता है। सरकार की ओर से विश्व के विभिन्न देशों के साथ की जाने वाली निवेश संधियों के अन्तर्गत सम्बन्धित देशों के निवेशकों के हितों का ध्यान रखना पड़ता है। किसी भी भारतीय औद्योगिक इकाई में उनका छोटे से छोटा निवेशक भी उस भारतीय कम्पनी के नीतिगत निर्णयों को प्रभावित करने का अधिकार रखता है। सार्वजनिक इकाईयों के अल्प संख्यक शेयरों के विनिवेश से भी यदि ये शेयर किसी विदेशी कम्पनी के हाथ में चले जाते हैं, सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों की मूल प्रकृति को आघात पहुंचेगा और वह विदेशी कम्पनी उसके कामों में दखल देने लग जाएगी। हमें सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के विनिवेश के इस पहलू को लेकर श्रमिकों तथा जनता के बीच जाकर अभियान चलाना होगा।

2.4 अर्थव्यवस्था के बुनियादी सेक्टर का नियंत्रण निजी हाथों में देना

2.4.1 लगभग सभी महत्वपूर्ण मंत्रालय अर्थव्यवस्था के अत्यंत महत्वपूर्ण तथा सामरिक सेक्टरों विशेष तौर पर अंदरूनी ढांचे और ऊर्जा सैक्टर का नियंत्रण निजी हाथों देशी तथा विदेशी दोनों, में देने के मामले में बहुत सक्रिय हैं। इससे राज सत्ता के दक्षिण पंथी रुझान को साफ देखा जा सकता है।

2.4.2 यदि हम ऊर्जा सेक्टर को देखें तो पता चल जाएगा कि पेट्रोलियम सेक्टर की रिफायनरियों में निजी क्षेत्र का बर्चस्व

स्थापित हो चुका है। देश में निजी क्षेत्र की तेल शोध क्षमता पहले ही सार्वजनिक क्षेत्र की क्षमता से अधिक हो गई है। निजी क्षेत्र की तेल कम्पनियों को भारी भरकम रियायतें दी जा रही हैं ताकि वे अपनी क्षमता बढ़ा सकें और इस प्रकार उन्हें निर्यातों के माध्यम से छप्पर फाड़ मुनाफा कमाने की अनुमति दी गई है और अस्थिर अर्न्राष्ट्रीय बाजार ने इसे सम्भव बना दिया है। उनके मुनाफे पर कोई कर नहीं लगाया जाता। इसी प्रकार सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां अपने कार्य क्षेत्र का विस्तार करने और आधुनिकीकरण करने के लिए जो पहलकदमियां करती हैं, उन पर अंकुश लगाने का काम सरकार रिमोट कंट्रोल के माध्यम से कर रही है। ये कम्पनियां देश की जरूरतों को पूरा करती हैं और इस पर भी जानबूझ कर उन्हें निजी कम्पनियों से पीछे रखा जा रहा है। निजी क्षेत्र ने प्राकृतिक गैस के क्षेत्र में पहले ही अपना बर्चस्व स्थापित कर लिया है। सरकार में शीर्ष पदों पर बिराजमान महानुभाव उनके कारोबार को बढ़ाने में पूरी तनमयता से उनकी मदद कर रहे हैं। कच्चे तेल के उत्पादन में भी सार्वजनिक क्षेत्र की प्रमुख कम्पनी ओएनजीसी राजस्थान में एकमात्र सबसे बड़े तेल क्षेत्र पर अपने उचित दावा करना चाहती थी, वह मैदान मे भी आई किन्तु पीछे से उसकी टांग खींच ली गई जबकि उसके उस तेल क्षेत्र में 30 प्रतिशत शेयर थे। यह सब इसलिए किया गया ताकि मैसर्ज वेदांता उस तेल क्षेत्र को हस्तगत कर सके। सरकार की इन सभी कार्रवाईयों का उद्देश्य अत्यंत महत्वपूर्ण पेट्रोलियम सेक्टर में निजी क्षेत्र जिनमें विदेशी कम्पनियां भी शामिल हैं, के बर्चस्व को स्थापित करना, उसे मजबूत बनाना और उसे बढ़ावा देना है। इस क्षेत्र की सार्वजनिक कम्पनियों की स्वायत्तशासी कार्य प्रणाली के साथ गद्दारी करने में भी सरकार को कोई संकोच नहीं हो रहा। वह रिमोट कंट्रोल के माध्यम से यह काम कर रही है और वह भी बड़ी बेशर्मी के साथ।

2.4.3 ऊर्जा क्षेत्र में भी स्थिति कम गम्भीर नहीं है। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना के दौरान राज्य तथा केन्द्रीय सेक्टर में सभी प्रमुख जैनरेटिंग कम्पनियों की अतिक्ति जैनरेशन क्षमता निजी क्षेत्र की तुलना में लक्ष्य से काफी कम रही। ग्यारहवीं योजना की अवधि में राज्य तथा केन्द्रीय सार्वजनिक क्षेत्र में पैदा की गई अतिरिक्त क्षमता 15220 मैगावाट तथा 16732 मैगावाट थी किन्तु उनकी तुलना में निजी क्षेत्र की क्षमता 23012 मैगावाट रही। कम से कम सार्वजनिक क्षेत्र की एनटीपीसी जैसी कम्पनी के लिए इस मामलें मे निजी क्षेत्र से पिछड़ जाने का कोई कारण नहीं था। ग्यारहवीं पंच वर्षीय योजना में अल्ट्रा मैगा पावर परियोजनाओं (यूएमपीपी) के लिए बड़ी भारी रियायतें देने की घोषणा की गई थी जिनमें ड्यूटी–फ्री आयात के लिए अनुमति भी शामिल थी, किन्तु एनटीपीसी में प्रौद्योगिकीय एवं वित्तीय क्षमता होने पर भी उसे बोली देने की अनुमति नहीं दी गई। एनटीपीसी को अपनी कार्य क्षमताओं को बढ़ाने व उनका विस्तार करने के लिए अपनी पूरी क्षमताओं का उपयोग करने नहीं दिया गया जबकि उसके पास निवेश करने के लिए विशाल आरक्षित कोष था और वह उसका निवेश कर सकता था किन्तु मंत्रालय ने अपने रिमोट कंट्रोल से उसे ऐसा करने नहीं दिया। वर्तमान सरकार ने ऊर्जा क्षेत्र में सरकारी कम्पनियों के मुकाबले निजी कम्पनियों को बर्चस्वकारी बढ़त हासिल करने की अनुमति दी थी और उसके इस इस शैतानी खेल की पोल बारहवीं पंच वर्षीय योजना के ऊर्जा उत्पादन कार्यक्रम में खुल गई है। बारहवीं पंच वर्षीय योजना में सरकारी क्षेत्र राज्य एवं केन्द्र दोनों के लिए ऊर्जा उत्पादन की क्षमता बढ़ाने का लक्ष्य 33654 मैगावाट निश्चित किया गया है जबकि निजी क्षेत्र के लिए यह लक्ष्य 42131 मैगावाट का रखा गया है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि एनटीपीसी के पास निवेश करने योग्य विपुल आरक्षित कोष होने पर भी उसे अपनी क्षमता का पूर्ण विकास करने की अनुमति नहीं दी जा रही, राज्य के क्षेत्र में राज्य सरकारो को अपनी क्षमताओं को बढ़ाने के मामले में उत्साहित नहीं किया जाएगा और इसके विपरीत निजी क्षेत्र को भारी भरकम रियायतें दी जाएंगी और उन्हें देश में विद्युत उत्पादन की गति को तेज करने के नाम पर उपकरणों के ड्यूटी–फ्री आयात का लाभ भी दिया जा रहा है। इसका सीधा विषम दुष्प्रभाव सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनी बीएचईएल के ऊर्जा–संयंत्र–उपकरण की मैन्युफैक्चरिंग के कामकाज पर पड़ेगा। इसके साथ ही साथ धीरे–धीरे निजीकरण करने के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की कम्पनियों पर निशाना साधा जा रहा है; उनकी परिसम्पत्तियां तथा उनके आरक्षित कोष पर भी गिद्ध दृष्टि डाली जा रही है; उनके शेयरों का चरणबद्ध ढंग से विनिवेश किया जाएगा। विद्युत अथवा ऊर्जा के क्षेत्र में निजी कम्पनियों के बर्चस्व का अर्थ है बिजली उपभोक्ताओं के लिए बिजली दरों के मामले में उन पर किसी किसम का कोई नियंत्रण न होना। बारहवीं पंच वर्षीय योजना के अन्तर्गत ऊर्जा क्षेत्र पर निजी क्षेत्र के नैगम घरानों कां पूर्ण नियंत्रण स्थापित करने

की योजना जो इस समय बनाई जा रही है, का अर्थ जन साधारण की विशाल संख्या के लिए बिजली मूल्यन को पूरी तरह नियम मुक्त कर देना अर्थात् उसे कानून के दायरे से बाहर ले जाना।

2.4.4 कोयला क्षेत्र के मामले में भी यह दबाव बनाया जा रहा है कि उसे पूरी तरह निजी क्षेत्र के लिए खोल दिया जाए और फिक्की के अध्यक्ष ने हाल ही में इसके पक्ष में मजबूत तर्क भी दिया था जिसे उन्होंने कुछ इस प्रकार पेश किया था, "सार्वजनिक क्षेत्र के कोयला सेक्टर का एकाधिकार तोड़ने के लिए सुधार" लाना।

2.4.5 संचार तथा नागरिक उड्डयन के क्षेत्रों में बड़े मार्किट शेयर पहले ही निजी खिलाड़ियों के हाथों में ज़ा चुके हैं जिनमें रातों–रात आगे आ जाने वाले किंगफिशर जैसे संचालक भी शामिल हैं। अधिकांश निजी कम्पनियों चाहे वे प्राईवेट एयरलाइन्स हों, एयरपोर्ट अथवा प्राइवेट टेलीकॉम कम्पनियां हों, जो इन क्षेत्रों की प्रमुख खिलाड़ी बन गई हैं, में श्रमिकों को ट्रेड यूनियन अधिकार नहीं दिए जाते जैसा कि सार्वजनिक क्षेत्र की एयर इण्डिया, एयरपोर्ट अथॉरिटी, बीएसएनएल/एमटीएनएल में होता है। निजी क्षेत्र में श्रमिकों और कर्मचारियों के शोषण की कोई सीमा नहीं रही। उनके ट्रेड यूनियन अधिकारों को रौंदा जा रहा है, उनकी आवाज दबाई जा रही है भले ही उसे पूरी तरह बंद नहीं किया जा सका हो।

2.4.6 इसी प्रकार गोदी एवं बंदरगाह सेक्टर में, उदारीकरण की अवधि में देश में निजी क्षेत्र की गोदियां कुकुरमुत्तों की भांति उग रही हैं। देश की प्रमुख बंदरगाहों तथा गोदियों जो अभी भी सरकारी क्षेत्र में हैं द्वारा किए जाने वाले कारोबार तथा सौदों में उनका भाग पहले ही बढ़ चुंका है। देश में प्रमुख बंदरगाहों के नैगमकरण पर नौवहन मंत्रालय के फैसले और उसके साथ ही प्रमुख बंदरगाहों में निजी बर्थ स्थापित करने की अनुमति दिए जाने के बाद प्रमुख बंदरगाहों के निजीकरण का ब्लू प्रिंट तैयार कर लिया गया है और वर्तमान सरकार इसके कार्यान्वयन के लिए दिन रात एक कर रही है। टेलीकॉम तथा एयरलाइन्स/एयरपोर्टस् जैसे दूसरे अत्यंत महत्वपूर्ण अदरूनी ढांचे में निजी तथा विदेशी नैगम घरानों का आधिपत्य पहले ही स्थापित हो चुका है और सरकार द्वारा इसके साथ ही साथ निजी हितों को बढ़ावा दिए जाने के चलते इन्होंने उल्लेखनीय प्रगति की है। इसके साथ ही वर्तमान सरकार अपने रिमोट कंट्रोल तथा नीति दोनों के माध्यम से सम्बन्धित सेक्टर में सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों के परिचालन के काम में रुकावटें खड़ी करके उनके साथ गद्दारी कर रही है। इसी लिए उसे "सरकार नैगम घरानों के लिए, नैगम घरानों की" कहा जाता है। इससे उसके पूरी तरह दक्षिणपंथी झुकाव का संकेत मिलता है जिसके चलत्ते एक प्रकार से पूरे शासन का ही पूर्ण निजीकरण तथा नैगमकरण हो रहा है।

2.4.7 सार्वजनिक क्षेत्र के इन सभी अत्यंत महत्वपूर्ण सेक्टरों में सक्रिय श्रमिक आंदोलन को इसकी पूरी जानकारी होनी चाहिए और उन्हें समय के साथ–साथ अपने ज्ञान को बढ़ाते रहना चाहिए कि किस तरह यह सरकार निजी क्षेत्र के अनुप्रवेश को बढ़ावा दे रही है और इन क्षेत्रों में उनका बर्चस्व स्थापित करने के लिए कोई कोर–कसर बाकी नहीं रहने दे रही ताकि अर्थव्यवस्था के बुनियादी क्षेत्र में सार्वजनिक क्षेत्र को महज फालतू की चीज बना कर रख दिया जाए और श्रमिक वर्ग की प्रतिघाती क्षमता को कम कर दिया जाए जिससे सरकार को वास्तव में धक्का लग सकता हो।

2.4.8 श्रमिक वर्ग को अपनी पूरी ताकत के साथ लोगों के इन शत्रुओं को बेनकाब करना होगा और शासक वर्ग में बैठे दक्षिणपंथी लुटेरों द्वारा समग्र रूप में देश पर किए जा रहे हमले का प्रतिकार करना होगा।

3.0 सामाजिक सुरक्षा तथा श्रमिक अधिकारों पर हमला

3.1.1 इस समीक्षा अवधि में श्रमिकों के सामाजिक सुरक्षा अधिकारों पर निरंतर हमले होते देखे गए हैं।

3.1.2 ईएसआइसी की प्रबंध परिषद में सीआइटीयू के प्रतिनिधि द्वारा विरोध किए जाने पर भी समय से पूर्व सेवामुक्त होने वाले श्रमिकों जो अपने पूरे सेवा काल में ईएसआइ के सदस्य रहे थे, को सेवामुक्ति के बाद डाक्टरी सुविधाओं का लाभ देने से इन्कार किया जा रहा है क्योंकि सामान्य बढ़ोतरी के फलस्वरूप सेवामुक्त होने के समय उनका वेतन ईएसआइ अधिनियम में इसके लिए निर्धारित वेतन सीमा से अधिक हो गया था।

3.1.3 कर्मचारी भविष्या निधि न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड में श्रमिकों के प्रतिनिधियों द्वारा विरोध किए जाने पर भी एकतरफा तौर पर कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दरें 9.5 प्रतिशत से कम करके 8.25 प्रतिशत कर दी गईं। भविष्य निधि की ब्याज दरों में कटौती उस समय की गई जब स्वयं सरकार भारतीय रिजर्व बैंक के माध्यम से बैंकों तथा वित्तीय संस्थानों में सभी प्रकार की जमा राशियों पर ब्याज की दरें बढ़ा रही थी। भविष्य निधि वास्तव में सामाजिक सुरक्षा का कोष है जहां सरकार के पास दीर्घावधि के लिए श्रमिकों की बचतों को जमा किया जाता है। क्योंकि ये बचतें बहुत लम्बे समय के लिए सरकार के पास जमा रहती हैं इसलिए इन बचतों पर सभी दूसरी वाणिज्यक जमा राशियों पर मिलने वाले ब्याज से अधिक दर पर ब्याज दिया जाना चाहिए। किन्तु जो हो रहा है, वह इसके विपरीत हो रहा है। कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दरों को बढ़ाने के स्थान पर उन्हें कम किया जा रहा है और उनकी ब्याज दरें जीपीएफ, पीपीएफ तथा यहां तक कि विशेष जमा योजना जिसमें आम तौर पर ईपीएफ के संचित धन को रखा जाता है, में मिलने वाले ब्याज की दरों से भी कम रखी गई हैं। कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दरों में की गई यह जबरदस्त कटौती सरकार तथा विशेष तौर पर वित्त मंत्रालय के श्रमिकों के प्रति पूर्वाग्रह से प्रेरित रुख को प्रतिबिम्बित करती है। वित्त मंत्रालय द्वारा जोर दिए जाने पर भी न्यासियों के केन्द्रीय बोर्ड में शामिल श्रमिकों के प्रतिनिधियो ने सरकार को श्रमिकों के इस संचित धन का निवेश सट्टाबाजार में करने की अनुमति नहीं दी है। इसी लिए वित्त मंत्रालय ने अपना गुस्सा निकालने के लिए ईपीएफ की ब्याज दरों को जीपीएफ तथा पीपीएफ में लागू ब्याज दरों से भी कम कर दिया है।

3.1.4 कर्मचारी पेन्शन योजना 1995 के अन्तर्गत दिए जाने वाले पेन्शन लाभों को इतना कम कर दिया गया है कि वे मजाक का विषय ही बन कर रह गए हैं। विशेष तौर पर असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के मामले में जिन्हें बहुत कम पगार मिलती है। अनेक मामलों में पेन्शन राशि बहुत कम अर्थात् केवल 50 रुपए रखी गई है। दूसरी ओर सेवा निवृत्त होने वाले उन श्रमिकों जिन्होंने अंतिम वेतन 20000 रुपए या इससे अधिक लिया था, को मुश्किल से 11 रुपए प्रति मास पेन्शन मिलेगी। योजना में मूल रूप से प्रदान किए गए विभिन्न लाभों को एकतरफा तौर पर वापस लेने तथा दूसरी ओर पिछले एक दशक से किए गए वादे के अनुसार योजना में संशोधन नहीं किए जाने के कारण ऐसा हुआ है। सरकार द्वारा पेन्शन कोष के लिए लागू की ब्याज दरों में निरंतर गिरावट आना भी इसका एक कारण है जैसा कि कर्मचारी भविष्य निधि के मामले में हुआ है। श्रम सम्बन्धी स्थायी संसदीय समिति योजना की पूरी तरह समीक्षा करने के बाद सर्वसम्मति से सिफारिश की थी कि पेन्शन योजना के लिए सरकार के अंशदान को बढ़ा कर उसे कम से कम सेवायोजक/कर्मचारियों के अंशदान का आधा भाग ही कर दिया जाए ताकि सेवानिवृत्त होने के बाद श्रमिकों व कर्मचारियों को समुचित पेन्शन मिल सके। किन्तु सरकार स्थायी समिति द्वारा सर्वसम्मति से की गई इस सिफारिश पर विचार करने से ही इन्कार करती रही है। न्यूनतम पेन्शन राशि 1,000 रुपए करने के मामले में भी यही हुआ; बीमांकक की गणना के अनुसार कोष 0.63 प्रतिशत भाग की कमी पाई गई थी किन्तु सरकार ने इसे पूरा करने से इन्कार कर दिया। नैगम घरानों की बंधुआ सरकार ने इस मामले में बेशर्मी के साथ श्रमिक विरोधी रुख अपनाया।

3.1.5 पीएफआरडीए विधेयक लाने का उद्देश्य पेन्शन की सत्ता में बदलाव लाकर उसे "परिभाषित लाभ" के स्थान पर "परिभाषित अंशदान" वाली योजना बनाना है और इसके साथ ही विदेशी कम्पनियों को पेन्शन कोष के कारोबार में आने की अनुमति देना है ताकि वे इसके पैसे को सट्टाबाजार में लगा कर भारी भरकम लाभ कमा सकें। यूपीए–I सरकार के समय भी यह कोशिश की गई थी किन्तु उस समय वाम पक्ष के दबाव के कारण सरकार पीछे हट गई थी। संसद के पिछले सत्र में एक बार फिर यह विधेयक पेश किया गया है। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सबसे गरीब श्रमिकों से 'संसाधन जुटाने

के लिए 'स्वाबलम्बन योजना'' का ढकोसला किया गया। यह ढकोसला इस लिए किया गया ताकि इससे इकट्ठा होने वाले धन का उपयोग कोष प्रबंधक सट्टाबाज..ों के लिए कर सकें।

3.1.6 इस समीक्षा अवधि में, सरकार की ओर से की गई अत्यंत महत्वपूर्ण नीतिगत घोषणा ''राष्ट्रीय मैन्युफैक्चरिंग नीति'' की रही है। इस नीति के अनुसार विशेष आर्थिक अंचलों (सेज़) के ढांचे पर देश के विभिन्न भागों में राष्ट्रीय निवेश तथा मैन्युफैक्चरिंग अंचलों की स्थापना की जाएगी। इन अंचलों में निवेशकों को सस्ती जमीन, बना–बनाया अंदरूनी ढांचा, करों में भारी रियायतें/अवकाश उपलब्ध कराया जाएगा और श्रम कानूनों को दर किनार कर दिया जाएगा। वास्तव में, एनएमआइज़ैड देश के पूरे घरेलू कारोबार को तथाकथित आर्थिक अंचल में बदल डालने का षडयत्र है। इसके लिए सार्वजनिक कोष में से भारी भरकम छूटें दी जाएंगी और वह भी निर्यात की जिम्मेदारी के बिना। यह एक ऐसी खेल अथवा षडयंत्र है जो पिछले दरवाजे से ''हॉयर एण्ड फॉयर'' के तथाकथित श्रम सुधार को लागू करने के लिए खेली जा रही है। पहले ही छःह राज्यों महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा तथा राजस्थान की पहचान एनएमआइज़ैड के लिए की जा चुकी है और आंध्र प्रदेश भी इस सूची में शामिल किया जा रहा है।

3.1.7 सीआइटीयू ने पहले ही एक वक्तव्य जारी करके इस फैसला का विरोध किया है। इस वक्तव्य की प्रतियां सभी राज्य समितियों को भेज दी गई थीं। एनएमआइज़ैड की स्थापना सार्वजनिक कोष की लूट मचाने के लिए की जा रही है; इसकी स्थापना जमीनों पर बलात कब्जे करने के लिए की जा रही है; इन्हें श्रमिकों का शोषण करने और उन्हें लूटने के लिए बनाया जा रहा है और यह सारा काम बड़े नैगम घरानों देशी तथा विदेशी दोनों, के आदेश पर किया जा रहा है। यह सबसे अधि ाक प्रतिगामी कार्रवाई है। हमें इसका प्रतिकार करने और इसके खिलाफ संघर्ष की रणनीति तैयार करने के प्रश्न पर गम्भीरता से विचार करना होगा। जिन राज्यों की पहचान एनएमआइज़ैड के लिए की गई है, उनमें सबसे पहले अत्यंत जरूरी पहलकदमियां की जानी चाहिएं; इसके खिलाफ एक मोर्चा बना कर उसमें किसान जनता तथा दूसरे जन संगठनों को शामिल करना होगा और एनएमआइज़ैड की स्थापना होने से पहले ही उसका जोरदार विरोध करना होगा और इसके खिलाफ व्यापक अभियान चलाने, कन्वेंशनों का आयोजन करने तथा प्रतिरोधी संघर्ष की तैयारी करने के लिए अभी से पहलकदमियां करनी होंगी। सम्बन्धित राज्य समितियों से अपने–अपने स्तरों पर इसकी योजना बनाने का अनुरोध किया जाता है।

3.2 असंगठित क्षेत्र में सामाजिक सुरक्षा

3.2.1 असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के लिए सामाजिक सुरक्षा अधिनियम ने अपनी अनुसूची में दस कल्याणकारी योजनाओं को शामिल किया है। इनमें से चार योजनाओं हैंडलूम बुनकरों, हाथ से काम करने वाले कारीगरों, उत्कृष्ट कारीगरों तथा मछुआरों के लिए; छःह योजनाएं – इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वृद्धावस्था पेन्शन योजना, राष्ट्रीय परिवार लाभ योजना, जननी सुरक्षा योजना, जनश्री बीमा योजना, आम आदमी बीमा योजना तथा राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना इत्यादि हैं। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले साधारण श्रमिक इन योजनाओं के अन्तर्गत आ जाते हैं।

3.2.2 इनमें से अधिकांश योजनाओं अथवा कार्यक्रमों में अनेक कमियां हैं और उनकी सीमाएं हैं और असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले अनेक श्रमिकों के इन योजनाओं के अन्तर्गत आने की सम्भावनाएं भी नहीं हैं क्योंकि ''गरीबी की रेखा के नीचे'' (बीपीएल) का अंकुश रखा गया है, यह अंकुश असंगठित क्षेत्र की विशाल श्रम शक्ति को इन योजनाओं का लाभ नहीं लेने देगा। तथापि, इन योजनाओं के अन्तर्गत उपलब्ध कराए गए लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले उन श्रमिकों को कम से कम जरूर मिलें, जिन्हें इनके अन्तर्गत लाया गया है; इसे यकीनी बनाने के लिए हमें अपनी ओर से प्रयास करने होंगे। हमें इन योजनाओं अथवा कार्यक्रमों और उनके साथ–साथ बीड़ी श्रमिक कल्याण कोष अधिनियम, भवन तथा दूसरे निर्माण श्रमिकों सम्बन्धी अधिनियम जैसे दूसरे अधिनियमों के अन्तर्गत उपलब्ध लाभों का उपयोग करके विभिन्न सैक्टरों में काम करने

वाले असंगठित क्षेत्र के श्रमिकों के साथ सम्पर्क स्थापित करना होगा, उनके बीच अपना प्रभाव बढ़ाना होगा और अपने संगठन को मजबूत बनाना होगा।

3.2.3 इसके साथ ही हमें अपने इन प्रयासों के माध्यम से यह कोशिश भी करनी होगी कि असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक इन योजनाओं की कमियों को समझने के साथ–साथ अपने अनुभवों के आधार पर सरकार के उदासीन रुख को समझें। हमें सामाजिक सुरक्षा के बेहतर लाभों के लिए संघर्ष करने के लिए इन श्रमिकों को लामबंद करना होगा जो बीपीएल जैसे किसी भी अंकुश के बिना उन्हें हासिल हों।

निर्माण क्षेत्र

3.2.4 यह क्षेत्र असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के सबसे बड़े आरक्षित क्षेत्रों में से एक है। इसमें काम करने वाले श्रमिकों के लिए व्यापक सामाजिक सुरक्षा कानून हैं। निर्माण श्रमिकों की एक अखिल भारतीय फैडरेशन है। यह फैडरेशन सीआइटीयू के साथ सम्बद्ध है। अनेक राज्यों में हमारी यूनियनों ने श्रमिकों की व्यापक संख्या के लिए जारी की गई सामाजिक सुरक्षा योजनााओं के लाभ उन्हें दिलाने के लिए पहलकदमियां की हैं। किन्तु अनेक दूसरे राज्यों में जिनमें हमारे कुछ मजबूत आधार वाले राज्य भी शामिल हैं, श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा की इन योजनाओं के अन्तर्गत लाने का काम संतोषजनक ढंग से नहीं हुआ है। इन कमियों के पीछे सांगठनिक कमियां भी हैं और दोषपूर्ण प्राथमिकताएं भी हैं। निर्माण श्रमिकों की हमारी फैडरेशन तथा सम्बन्धित राज्य समितियों को इन सभी पहलुओं को देखने और इनमें सुधार लाने के लिए आवश्यक कदम उठाने और इस ओर पूरा ध्यान केन्द्रित किए जाने की जरूरत है क्योंकि इन योजनाओं के माध्यम से हम असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की इस विशाल श्रेणी के बीच अपने संगठन का प्रसार कर सकते हैं और अपने संगठन को मजबूत बना सकते हैं।

4.0 मानदेय और योजनाओं के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिक

4.1 नव–उदारीकरण की सत्ता के अन्तर्गत श्रमशक्ति की एक नयी श्रेणी को देखा गया है, जिसे न्यूनतम वेतनों के घेरे से बाहर रखा गया है और जिसे या तो मानदेय अथवा प्रोत्साहन के बदले में काम करना पड़ता है। यह श्रमशक्ति केन्द्रीय सरकार द्वारा शुरू की गई विभिन्न योजनाओं की प्रक्रिया में अस्तित्व में आई है। इन योजनाओं को राज्य सरकारें चलाती हैं। इसकी शुरूआत सत्तर के दशक में आइसीडीएस में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं से हुई थी किन्तु नव–उदारीकरण की नीतियां शुरू होने के बाद की अवधि में अनेक योजनाओं के अन्तर्गत लाखों श्रमिक काम करते देखे गए जिनमें मिड–डे–मील, सर्व शिक्षा अभियान, एनआरएचएम, इत्यादि प्रमुख हैं। ये योजनाएं विभिन्न मंत्रालयों की ओर से चलाई जाती हैं और इनमें काम करने के लिए श्रमिकों को "मानदेय" अथवा "प्रोत्साहन राशियों" के आधार रखा जाता है। पिछले एक दशक से चल रही इस प्रक्रिया का सबसे अधिक उल्लेखनीय पहलू यह है कि जहां आशा तथा मिड–डे–मील श्रमिकों को संगठित किया जा सका है और अनेक राज्यों में इन श्रमिकों की यूनियनें काम कर रही हैं वहीं आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच हमारी फैडरेशन है जो इन अधिकांश राज्यों में योजनाओं के अन्तर्गत काम करने वाले श्रमिकों की इस श्रेणी को संगठित करने के लिए पहलकदमियां कर रही है। आशा तथा मिड–डे–मील दोनों के लिए अखिल भारतीय समन्वय समितियों का गठन किया गया है। ये दोनों समितियां पिछले कुछ वर्षों से काम कर रही हैं।

4.2 हमें इन सभी श्रेणियों के आंदोलनों को समन्वित करने के प्रश्न पर विचार करना होगा और इन योजनाओं के अन्तर्गत काम करने वाले सभी श्रमिकों को कानूनी तौर पर देय न्यूनतम वेतन तथा सामाजिक सुरक्षा लाभों के अन्तर्गत लाने के लिए अखिल भारतीय आंदोलन के रूप में इसका विकास करना होगा। वास्तव में, यह लड़ाई इन्हें श्रमिकों के रूप में मान्यता दिलाने के लिए है जिसे देने से भारत सरकार बुरी तरह इन्कार कर रही है। आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा तथा मिड–डे–मील वर्कर्स

के आंदोलन के लिए पहलकदमी के फलस्वरूप इसी प्रकार की दूसरी योजनाओं में काम करने वाले श्रमिक भी इस आंदोलन की ओर खिंचे चले आएंगे और स्वैच्छिक अथवा मानदेय पाने वाले श्रमिकों के नाम पर उनका शोषण करने के इस नए षडयंत्र का प्रतिकार प्रभावशाली ढंग से किया जा सकेगा।

4.3 इसके साथ ही साथ, इन सभी कार्यक्रमों अथवा योजनाओं के निजीकरण का खतरा बना हुआ है। इसके लिए विभिन्न तरीके अपनाए जा रहे है। हाल ही में प्रधान मंत्री ने सेवाएं प्रदान करने की वैकल्कि विधियों का समर्थन करते हुए पायलट आधार पर "भारी बोझ वाले 200 जिलों के लिए मल्टी सैक्टोरल कार्यक्रमों के माध्यम से आइसीडीएस के पुनर्गठन तथा उसमें सुधार लाने के बारे में एक वक्तव्य दिया था। भविष्य में सरकार किस प्रकार की कार्रवाईयां करने जा रही है, प्रधान मंत्री का वक्तव्य उस ओर संकेत करता है। यह सरकार द्वारा इस दिशा में की जा रही लगातार कोशिशों का एक भाग है, वह आंगनवाड़ी केन्द्रों को गैर सरकारी संगठनों, पंचायतों, स्वयं अपनी सहायता करने वाले समूहों, कारपोरेट घरानों के हाथों में दे देना चाहती है। एक संकेत यह भी है कि सरकार आइसीडीएस को प्रभावी ढंग से लागू करने की अपनी जिम्मेदारी से मुक्त हो जाना चाहती है। यह अलग बात है कि वह बच्चों के कुपोषण को लेकर मगरमच्छ के आंसू यदा कदा बहाती रहती है।

4.4 मिड–डे–मील योजना के मामले में भी यही हो रहा है। बच्चों के लिए दोपहर का खाना बनाने का काम गैर सरकारी संगठनों को दे देने की कोशिशें की जा रही हैं। आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र इत्यादि अनेक राज्यों में यह काम इस्कॉन जैसे बड़े धार्मिक संगठनों के हवाले कर देने के लिए भी हाथ पांव मारे जा रहे हैं। यह सुझाव आगे बढ़ाया जा रहा है कि खाना बड़ी केन्द्रीयकृत रसोईयों में तैयार कराने के बाद स्कूलों में भेजा जाए। सरकार भी यही चाहती है कि बच्चों को ताजा बना खाना देने की बजाए पहले से बना–बनाया खाना (आरटीई) ही खाने के लिए दिया जाए। यदि ऐसा हो जाता है तो इस काम (मिड–डे–मील योजना) में लगीं लाखों कामकाजी महिलाओं का रोजगार छिन जाएगा।

4.5 इसी प्रकार की कोशिशें आशा तथा उषा के मामले में भी हो रही हैं कि किसी तरह सरकार के कंधों ने इन दोनों की जिम्मेदारी का बोझ उतर जाए और यह काम निजी एजेंसियों अथवा गैर सरकारी संगठनों को दे देने की सम्भावनाओं से इन्कार नहीं किया जा सकता।

4.6 सभी स्तरों पर हमारे संगठनों को इस प्रकार के कदमों का प्रतिकार करने के लिए तैयार बर तैयार रहना होगा। हमें दूसरी फैडरेशनों तथा संगठनों के साथ मिल कर इस मुद्दे पर संयुक्त संघर्ष विकसित करने की दिशा में गम्भीर प्रयास करने होंगे।

5.0 भारतीय श्रम सम्मेलन का 44वां सत्र अथवा बैठक

5.1 भारतीय श्रम सम्मेलन का 44वां सत्र 14–15 फरवरी 2012 को नयी दिल्ली में हुआ। श्रमिकों, सेवायोजकों तथा सरकार के इस त्रिपक्षीय मंच में न्यूनतम वेतनों, सामाजिक सुरक्षा तथा रोजगार एवं रोजगारकारिता के एजेंडे पर विचार किया गया।

5.2 प्रधान मंत्री ने सत्र का उद्घाटन किया। भले ही बैठक की मुख्य कार्य सूची "न्यूनततम वेतन" थी किन्तु इस पर भी प्रधान मंत्री के उद्घाटन भाषण में इसका उल्लेख नहीं हुआ। जो भी हो, प्रधान मंत्री महोदय, उन मुद्दों पर चर्चा करने से खुद को रोक नहीं पाए जो सेवायोजकों की बेहद पसंद के रहे हैं जैसे श्रम कानूनों को लोचनीय बनाना इत्यादि इत्यादि। प्रधान मंत्री को इस बात पर संतोष व्यक्त करने से भी कोई संकोच नहीं हुआ कि हाल ही के वर्षों में "श्रम मोर्चे के पुनर्गठन तथा यौक्तिकीकरण पर अधिक से अधिक राज्य सरकारों का रुख लोचनीय हुआ है।" उन्होंने यह भी कहा कि हमें समय समय पर निर्णायक तौर पर यह भी देखना होगा कि कही हमारा कानूनी ढांचा अनावश्यक रूप से उद्योग तथा रोजगार उद्यमों

को क्षति तो नहीं पहुंचा रहा...।'' संक्षेप में, देश के शासन के सबसे ऊंचे कार्यकारी पद पर विराजमान प्रधान मंत्री जी ने वर्तमान में जारी श्रम कानूनों के उल्लंघनों जिन्हें विभिन्न राज्य सरकारों का संरक्षण प्राप्त है, का अनुमोदन ही किया था। वास्तव में, उन्होंनें उन्हें बदल देने और ऐसे कानून बनाने के लिए अपना तर्क पेश किया था जो लोचनीय हो, जिसे कभी भी तोड़ा जा सकता हो और जो सेवायोजकों के पक्ष में हो। सीआइटीयू तथा दूसरे अधिकांश श्रमिक संगठनों ने प्रधान मंत्री की इस एकपक्षीय सोच का कड़े शब्दों में विरोध किया था। यह अलग बात है कि प्रधान मंत्री अपनी बात कह कर चल दिए और उन्होंने श्रमिक संगठनों की बात सुनने की जरूरत महसूस नहीं की।

5.3 भारतीय श्रम सम्मेलन के 44वें सत्र का क्या निष्कर्ष निकला उसे पहले ही राज्य समितियों के पास भेज दिया गया है और उसे ''द वर्किंग क्लास'' तथा ''सीटू मजदूर'' में प्रकाशित भी किया जा चुका है। जिस मुद्दे का उल्लेख यहां विशेष तौर पर किए जाने की जरूरत है, वह इस प्रकार हैः आइएलसी को ''न्यूनतम वेतन'' पर सर्वसम्मति से यह कहना पड़ा–''इस प्रश्न पर सर्वसम्मति थी कि सरकार पंद्रहवीं आइएलसी (1957) द्वारा की गई सिफारिशों तथा माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा 1992 में दिए गए निदेशों (रेप्टाकोस कम्पनी बनाम श्रमिक संघ के मुकद्दमें में) के अनुसार न्यूनतम वेतनों का निर्धारण करे। लम्बी बहस के बाद राज्य सरकारों, केन्द्रीय सरकार तथा सेवायोजकों के संगठनों को उपरोक्त स्थापनाओं पर श्रमिक संगठनों के साथ सहमत होना पड़ा।

5.4 स्मरण रहे, भारतीय श्रम सम्मेलन के 43वें सत्र में भी श्रमिक संगठनों, राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार के प्रतिनिधियों के बीच इस बात पर सर्वानुमति थी कि संविदा श्रमिकों को वही वेतन तथा दूसरे सेवा लाभ दिए जाएं जो समान प्रकृति का समान काम करने वाले उपक्रमों के नियमित श्रमिकों को दिए जाते हैं और इसके लिए संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 में संशोधन लाकर अधिनियम के अन्तर्गत बनाई गई नियमों की धारा 25(2)(वी)(ए) को अधिनियम के प्रधान भाग में जोड़ दिया जाए। केन्द्रीय श्रम मंत्री के अनुसार वर्ष 2010 में हुए फैसले के अनुरूप संविदा श्रम (नियमन एवं उन्मूलन) अधिनियम 1970 में संशोधन लाने का प्रस्ताव केन्द्रीय मंत्रिमण्डल को भेज दिया गया है। प्रधान मंत्री कार्यालय के दबाव में मंत्रिमण्डल ने अभी तक इसे अपनी स्वीकृति नहीं दी है।

5.5 संविदा श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन तथा समान काम के लिए समान वेतन के दो अत्यंत ज्वलंत मुद्दे इस समय श्रमिक आंदोलन के सामने हैं। हमें श्रमिकों की विशाल संख्या के बीच जाकर उपरोक्त दोनों सिफारिशों का व्यापक प्रचार करना होगा और इसके लिए राज्यों में एक जुझारू आंदोलन का निर्माण करना होगा। हमें मांग करनी होगी कि आइएलसी द्वारा सर्वसम्मति से की गई सिफारिश के आधार पर औद्योगिक केन्द्रों में काम करने वाले संविदा श्रमिकों के लिए न्यूनतम वेतन का निर्धारण किया जाए तथा उन्हें वही वेतन तथा दूसरे सेवा लाभ दिए जाएं जो उसी उपक्रम में वही काम करने वाले नियमित श्रमिकों को दिए जाते हैं। यदि हम अपनी ओर से इस प्रकार की स्वतंत्र पहलकदमियां करेंगे तो इससे श्रमिक संघों के संयुक्त मंच से निर्णायक संघर्ष के लिए आधार भूमि तैयार करने में हमें मदद मिलेगी।

6. पश्चिम बंगाल में ट्रेड यूनियनों/जनवादी आंदोलन पर हमले

6.1 पश्चिम बंगाल में ट्रेड यूनियन तथा जनवादी अधिकारों पर होने वाले हमले नयी बुलंदियां छूने लगे हैं। विधान सभा के पिछले चुनावों के तत्काल बाद और तृणमूल–कांग्रेस की गठबंधन सरकार बनने के फलस्वरूप ट्रेड यूनियन विशेष तौर पर सीआइटीयू के कार्यकर्ताओं पर प्राणघातक हमले किए जाने लगे हैं। किसानों, छात्रों, युवाओं तथा महिलाओं के दूसरे जन संगठन भी तृणमूल–कांग्रेस गठबंधन के हथियारबंद गुण्डों के हमलों का शिकार हो रहे हैं। पुलिस देख कर भी कुछ नहीं करती और मूक दर्शक बन कर तमाशा देखती रहती है। अधिकांश मामलों में यही देखने को मिला है। ट्रेड यूनियनों के कार्यालयों में आग लगाई जा रही है और उनमें तोड़ फोड़ की जाती है, वाम पक्ष के समर्थकों पर जानलेवा हमले किए जाते हैं, आंगनवाड़ी तथा दूसरी सभी महिलाओं के साथ अभद्र व्यवहार किया जाता है, उनके साथ छेड़खानी की जाती है; उन्हें

यातनाएं दी जाती हैं और उनके घर जला दिए जाते हैं। हमारे अनेक कामरेड इन हमलों में मारे जा चुके हैं। अभी तक प्राप्त सूचनाओं के अनुसार जनवादी आंदोलन के 60 से अधिक प्रमुख साथियों की हत्याएं हो चुकी हैं जिनमें 6 ट्रेड यूनियनों के कार्यकर्ता थे। मरने वाले साथियों की संख्या दिन–प्रतिदिन बढ़ती चली जा रही है। लगभग 400 कार्यालयों पर गुण्डों द्वारा कब्जा किया जा चुका है और सैंकड़ों कार्यालयों में भयानक तोड़ फोड़ की गई है। श्रमिकों को धमकियां दी जाती हैं और सताया जाता है और उनसे कहा जाता है कि वे सीआइटीयू को छोड़ दें और तृणमूल कांग्रेस की यूनियन में शामिल हो जाएं। अनेक मामलों में सीआइटीयू के साथ सम्बन्ध रखने वाले ठेका मजदूरों को काम से निकाल कर उनके स्थान पर ठेकेदारों के साथ मिल कर कम वेतनों पर नए मजदूरों की भर्ती कर ली जाती है। इस प्रकार की स्थिति लोकतंत्र के लिए अशुभ संकेत देती है। श्रमिक वर्ग के मजबूत दुर्ग में वर्गीय तथा जन संगठनों का फाशीवादी तरीके से दमन किया जा रहा है। इसका उद्देश्य श्रमिकों के आंदोलन को कमजोर करना तथा अपने खिलाफ उठने वाली किसी भी आवाज को सदा के लिए बंद कर देना तथा विरोध को दबा देना है। राज्य में तृणमूल–कांग्रेस गठबंधन का शासन जन विरोधी कार्रवाईयां कर रहा है। हाल ही में विश्वविद्यालय के एक प्रोफैसर को गिरफ्तार किया गया तथा यातनाएं दी गईं, उसका यही कसूर था कि उसने राज्य सरकार के मंत्रियों पर कार्टून भेजा था। कार्टून में अपने खिलाफ उठने वाले विरोध के स्वर तथा आलोचना के प्रति राज्य सरकार की फासीवादी असहनशीलता तथा बर्बरता को दर्शाया गया था जो चौंका देने वाला था, इसमें संदेह नहीं। सीआइटीयू के नेतृत्व में श्रमिक आंदोलन जनवादी आंदोलन के साथ मिल कर बहादुरी से इन बर्बर हमलों तथा नृशंस दमनचक्र का सामना कर रहा है।

6.2 मेहनतकश अवाम के अधिकारों तथा आजीविका पर होने वाले ये सभी हमले केवल वाम समर्थकों तक ही सीमित नहीं हैं। व्यापक लामबंदियों के माध्यम से इन हमलों का प्रतिकार करना होगा और वास्तव में व्यापक से व्यापक वर्गीय लामबंदी की सम्भावनाएं दिन प्रतिदिन उज्जवल होती चली जा रही हैं। श्रमिक आंदोलन को तृणमूल सरकार के हमलों का सामना करने के साथ–साथ सभी स्तरों पर इन वर्गीय लामबंदियों को व्यापक बनाने के लिए काम करना होगा।

7.0 महत्वपूर्ण संघर्ष

7.1 संयुक्त संघर्ष

7.1.1 इस मध्यावधि में 8 नवम्बर 2011 को देशव्यापी जेल भरो/सत्याग्रह कार्यक्रम और 28 फरवरी 2012 को देशव्यापी आम हड़ताल हुई। देश के श्रमिक वर्ग द्वारा पूरी तरह एकजुट होकर किए गए संघर्ष की ये दोनों अत्यंत महत्वपूर्ण घटनाएं हैं।

7.1.2 जेल भरो कार्यक्रम से पहले राज्य तथा सैक्टोरल दोनों स्तरों पर महीनों तक अभियान चलाया गया था। यह अभियान सीआइटीयू की स्वतंत्रत पहलकदमी पर चलाया गया और इसके साथ ही सभी श्रमिक संगठनों ने संयुक्त रूप से चलाया था। सीआइटीयू के केन्द्रीय सचिव मण्डल ने इस तैयारी अभियान तथा जेल भरों कार्यक्रम की समीक्षा करते समय रेखांकित किया था, "सत्याग्रह/जेल भरो कार्यक्रम की तैयारियों के समय अधिकांश राज्यों में राज्य एवं जिला स्तरों पर "संयुक्त पहलकदमियां होते देखी गईं। अनेक राज्यों में संयुक्त सम्मेलनों का आयोजन किया गया और अनेक केन्द्रों में प्रचार के लिए संयुक्त रूप से अभियान चलाए गए। सीआइटीयू ने अधिकांश स्थानों पर आगे बढ़ कर तैयारी अभियान में सभी ट्रेड यूनियनों को शामिल करने के लिए पहलकदमी की थी। इसके फलस्वरूप पहले से कहीं अधिक संख्या में कम से कम दूसरी ट्रेड यूनियनों के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को काफी हद तक राज्य, जिला एवं स्थानीय स्तरों पर अभियान के संयुक्त मंच पर लाया जा सका था। अभियान के लिए की गई इस प्रकार की पहलकदमी 8 नवम्बर 2011 के जेल भरो कार्यक्रम की बड़ी लामबंदियों के रूप में प्रतिबिम्बित हुई थी और तृण मूल स्तर पर श्रमिकों की इस कार्यक्रम में पहले से अधिक भागीदारी

हुई थी। यह कार्यक्रम देश में सभी औद्योगिक केन्द्रों तथा प्रत्येक उस स्थान पर किया गया जहां श्रमिक भारी संख्या में रहते हैं। जेल भरो तथा सत्याग्रह के दिन हुई लामबंदियों में दस लाख से अधिक मजदूरों ने भाग लिया।

7.1.3 28 फरवरी 2012 की आम हड़ताल को भी ऐतिहासिक सफलता मिली है। सभी राज्यों और सभी सेक्टरों में लगभग 10 करोड़ से अधिक श्रमिकों ने इस हड़ताल में भाग लिया है। इस आम हड़ताल के लिए भी राज्य स्तर, क्षेत्रीय स्तर तथा उद्योग स्तर पर तीन महीने तक तैयारी अभियान चलाया गया। यह तैयारी अभियान संयुक्त रूप से भी चलाया गया और स्वतंत्र मंचों के माध्यम से भी।

7.1.4 सीआइटीयू के केन्द्रीय सचिव मण्डल ने 14–15 नवम्बर 2011 को अपनी विस्तारित बैठक में हड़ताल के लिए तैयारी अभियान की योजना बनाते समय तथा उसके राजनीतिक–सांगठनिक बल पर विचार करते हुए फैसला किया था कि "सीआइटीयू को संयुक्त आह्वान पर होने जा रही इस हड़ताली कार्रवाई पर स्वतंत्र अभियान चलाने के लिए जोरदार पहलकदमी करनी होगी। इसके साथ ही साथ हमें पूरी गम्भीरता से सभी राज्यों में संयुक्त अभियान के लिए दूसरे सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों तथा फैडरेशनों को इस अभियान में शामिल करना होगा। हमारे स्वतंत्र अभियानों में देशव्यापी कार्रवाई के लिए ऐक्यबद्ध पहलकदमियों पर भी पूरा ध्यान केन्द्रित करना होगा और जहां तक सम्भव हो सके हमें श्रमिकों की व्यापक से व्यापक श्रेणियों जिनमें दूसरे श्रमिक संगठनों के अनुयायी भी शामिल हैं, के बीच जाना होगा और उन्हें एकता के लिए जोरदार आह्वान करना होगा। संयुक्त कार्रवाई के लिए हमारे अभियान का उद्देश्य ट्रेड यूनियनों के संयुक्त मंच द्वारा उठाए गए मुद्दों पर पूरे मेहनतकश अवाम को एकजुट करना हो और हमें पूरी ईमानदारी से इसके लिए काम करना होगा। ऐसा करके ही हम आने वाले दिनों में संघर्ष के संयुक्त मंच को बनाए रख सकेंगे। सत्ताधारी राजनीतिक दर अधिक से अधिक दक्षिणपंथी झुकाव रख रहे हैं; उनकी ओर से सम्पूर्ण मेहनतकश अवाम के अधिकारों तथा आजीविका पर किए जा रहे हमले बढ़ रहे हैं; इस पृष्ठभूमि में हमारे जैसे ट्रेड यूनियन संगठन जो वर्गीय दृष्टिकोण से उन्मुख है, के लिए यह एक जरूरी तथा महत्वपूर्ण राजनीतिक एवं संगठनात्मक काम हो जाता है कि हम आगे बढ़ कर श्रमिक वर्ग तथा मेहनतकश अवाम की सभी श्रेणियों को संघर्ष के संयुक्त मंच पर लाएं तथा उन्हें एकजुट करें।

7.1.5 सीआइटीयू के केन्द्रीय सचिव मण्डल ने राज्यों तथा फैडरेशनों से मिली सूचनाओं के आधार पर सीआइटीयू केन्द्र, राज्य समितियों तथा फैडरेशनों द्वारा चलाए गए तैयारी अभियान और 28 फरवरी को हड़ताल की कारगुजारी दोनों पर एक विस्तृत समीक्षा रिपोर्ट को अंतिम रूप दिया है। यह रिपोर्ट इसके साथ ही दी जा रही है। जनरल कौंसिल के सदस्यों को बहस में भाग लेते समय समीक्षा रिपोर्ट का अध्ययन भी कर लेना चाहिए।

7.2 दूसरे संघर्ष

7.2.1 इस मध्यावधि में देश भर में कामकाजी स्थलों पर टकराव बढ़ते देखे गए हैं। सरकार तथा मालिकों दोनों की ओर से श्रमिकों के अधिकारों पर हमले किए जाते रहे हैं। देश के लगभग सभी राज्यों में श्रमिकों द्वारा अपने अधिकारों तथा आजीविका की रक्षा के लिए असंख्य संघर्ष किए गए।

इनमें उल्लेखनीय संघर्ष जिसने पूरे देश का ध्यान अपनी ओर खींचा था, गुड़गांव में मारूति–सुजुकी श्रमिकों का था। यह संघर्ष अलग–अलग चरणों में लगभग पांच महीनों तक चलता रहा। हड़ताल का मुख्य मुद्दा श्रमिकों द्वारा अपनी इच्छा से ट्रेड यूनियन का गठन करने के अधिकार तथा कामकाजी स्थलों में बुनियादी अधिकारों का था। इसके फलस्वरूप राज्य में सभी ट्रेड यूनियनों की और अधिक एकजुटता की कार्रवाईयां हुई। सीआइटीयू के आह्वान पर भी अखिल भारतीय स्तर पर एकजुटता प्रदर्शनों का आयोजन किया जा सका था। सीआइटीयू की लगभग सभी राज्य समितियों ने एकजुटता की कार्रवाईयों को संगठित किया था।

7.2.2 संघर्ष की दूसरी अखिल भारतीय कार्रवाईयों में बैंक कर्मचारियों की 5 अगस्त 2011 की सफल हड़ताल तथा कोयला श्रमिकों की 10 अक्टूबर 2011 को जबरदस्त हड़ताली कार्रवाई शामिल हैं। संगठित क्षेत्र में 126 कम्पनियों के सेल्स प्रोमोशन कर्मचारियों द्वारा 17 अगस्त 2011 को एक दिवसीय हड़ताल की गई। बंगलौर में स्थापित एक स्वीडिश बहु राष्ट्रीय कम्पनी वोल्वो के कर्मचारियों व श्रमिकों की ओर से अढ़ाई मास तक हड़ताल की कार्रवाई की गई। आखिर में प्रबंधन को कर्मचारियों के साथ बातचीत करके मामले का निपटारा करना पड़ा। उपरोक्त संघर्षो के अलावा गुजरात में आंगनवाड़ी कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों के लिए जुझारू प्रदर्शन किए गए तथा रैली का आयोजन किया गया; उन्होंने सरकारी प्रतिबंधों की परवाह न करते हुए मोदी सरकार के हमलों का बहादुरी से सामना किया। इसके अतिरिक्त पंजाब में आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा तथा मिड–डे–मील वर्करों द्वारा संयुक्त प्रदर्शन किया गया और बड़ी बहादुरी से पुलिस लाठीचार्ज तथा दमनकारी कार्रवाईयों का सामना किया।

7.2.3 सरकारी कर्मचारियों की एसोसिएशनों द्वारा भी पेन्शन लाभों में कटौती करने तथा पीएफआरडीए विधेयक के माध्यम से पेन्शन का निजीकरण करने की प्रतिगामी कोशिशों के खिलाफ प्रतिरोधी संघर्ष चलाए गए हैं। राज्य एवं केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों की संयुक्त राष्ट्रीय कन्वेंशन जिसमें कर्मचारियों की भारी संख्या ने भाग लिया था, के बाद रेलवे, बैंकों तथा बीमा कर्मचारियों द्वारा भी 25 नवम्बर 2011 के संसद मार्च तथा आने वाले दिनों में सम्बन्धित सेक्टरों में देशव्यापी हड़ताल की तैयारियों के सिलसिले में राज्य स्तरीय कन्वेंशनों का आयोजन किया गया। सीआइटीयू की पहलकदमी पर आशा वर्करों ने भी 24 नवम्बर 2011 को संसद के आगे जोरदार प्रदर्शन किया जिसमें पांच हजार से अधिक आशा वर्कर्स ने भाग लिया। बीएसएनएल कर्मचारियों तथा अधिकारियों की संयुक्त संघर्ष समिति की ओर से भी 15 दिसम्बर 2011 को बीएसएनएल में सफल देशव्यापी हड़ताल की गई। वे बीएसएनएल में श्रम शक्ति का आकार कम करके उसे 90000 कर देने तथा दूसरे मुद्दों पर सरकार के फैसलों का विरोध कर रहे थे।

7.2.4 पश्चिम बंगाल में तृण मूल कांग्रेस के गुण्डों तथा राज्य प्रशासन के गठबंधन की ओर से लगातार किए जा रहे हमलों तथा हत्याओं का बहादुरी से सामना करते हुए सीआइटीयू विभिन्न सेक्टरों में कर्मचारियों तथा श्रमिकों के संघर्ष चला रहा है। ये संघर्ष स्वतंत्र रूप से भी किए जा रहे हैं तथा कुछ मामलों में दूसरी ट्रेड यूनियनों के साथ मिल कर भी किए जा रहे हैं। हड़ताल की तैयारी अभियान के समय तृण मूल गुण्डों द्वारा हमारे दो साथियों सीआइटीयू की जनरल कौंसिल के सदस्य प्रदीप टा तथा कमल ग्यान की बर्बर हत्या कर दी गई।

8.0 हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध

8.1.1 सभी महाद्वीपों के विभिन्न देशों की केन्द्रीय तथा उद्योगवार ट्रेड यूनियनों के साथ सीआइटीयू के द्विपक्षीय सम्बन्ध हैं। अन्तर्राष्ट्रीय ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ भी उसके सम्बन्ध बढ़ रहे हैं। हम औपचारिक तौर पर डब्ल्यूएफटीयू के साथ सम्बद्ध हो गए हैं और पूरी गम्भीरता से डब्ल्यूएफटीयू की गतिविधियों में भाग ले रहे हैं। इसका भी हमारे अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्ध ाों में योगदान है। डब्ल्यूएफटीयू के विभिन्न मंचों अर्थात् सैक्रेटेरिएट, अध्यक्षीय परिषद तथा विभिन्न टीयूआईज़ में हमारी उपस्थिति तथा हमारे योगदान ने हमें विभिन्न देशों में विभिन्न संगठनों के साथ मिल कर और अधिक काम करने में सक्षम बनाया है। इससे न केवल हमारे सम्पर्क व्यापक हुए हैं अपितु उनमें गहराई भी आई है। हमारा विचारधारात्मक रुख और हमारे अपने देश में जारी श्रमिक वर्ग के संघर्षों में हमारी अग्रणी भूमिका की सराहना अन्तर्राष्ट्रीय तौर पर ट्रेड यूनियन संगठनों द्वारा की जाती रही है। अन्तर्राष्ट्रीय बैठकों में भाग लेने वाले हमारे साथियो ने और अधिक मजबूती के साथ संघर्ष का रुख अपनाया है, यह वही रुख है जिस पर सीआइटीयू अपने जन्म के समय से ही अडिग रहा है। अधिक से अधिक ट्रेड यूनियनें हमारे साथ द्विपक्षीय सम्बन्ध स्थापित करना चाहती हैं और इसके लिए वे हमारे साथ सम्पर्क स्थापित कर रही हैं। उनकी ओर से हमें अपनी बैठकों तथा सम्मेलनों में भाग लेने के लिए भेजे जाने वाले निमंत्रण पत्र इस बात का प्रमाण हैं।

8.1.2 इस क्षेत्र में हुई गतिविधियों की कुछ सूचनाएं इस प्रकार हैं:

डब्ल्यूएफडीयू सैक्रेटेरिएट की बैठक सितम्बर 2011 में स्ट्रैसबर्ग, फ्रांस में हुई थी। इस बैठक में एस देव राय ने भाग लिया था।

डब्ल्यूएफटीयू की अध्यक्षीय परिषद की बैठक फरवरी 2012 में जोहान्सबर्ग, दक्षिणी अफ्रीका में हुई थी जिसमें ए के पद्मनाभन, एस देव राय तथा देबांजन चक्रवर्ती ने भाग लिया था।

आइएलओ की दक्षिणी एशिया बैठक के अवसर पर कार्यक्रमों के कार्यान्वयन पर आइएलओ कन्वेंशन का आयोजन पिछले वर्ष अगस्त में काठमण्डु, नेपाल में किया गया था। अमिताव गुहा ने इस कन्वेंशन में सीआइटीयू का प्रतिनिधित्व किया। वह नेपाल के केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के कुछ नेताओं से भी मिले थे।

एस देव राय ने सितम्बर 2011 में एनर्जी एण्ड एलाईड इण्डस्ट्री वर्कर्स (सीईपीपीडब्लयूएडब्ल्यूयू) की डर्बन दक्षिणी अफ्रीका में सम्पन्न बैठक में भाग लिया था। उन्होंने इस बैठक में टीयूआइ (एनर्जी) का प्रतिनिधित्व किया था।

एस देव राय ने डब्ल्यूएफटीयू के प्रतिनिधि के रूप में काठमण्डु में 1 मई को सम्पन्न सीओएनईपी के सम्मेलन में भाग लिया। इस रिपोर्ट की तैयारियों के समय उन्हें डब्ल्यूएफटीयू की ओर से नेशनल यूनियन ऑफ माईन वर्कर्स, दक्षिणी अफ्रीका (एनएएम) जो दक्षिणी अफ्रीका में सबसे बड़ी ट्रेड यूनियन है और जिसके 360000 सदस्य हैं, के 14वें सम्मेलन में भाग लेने के लिए मनोनीत कर दिया गया था। इस सम्मेलन का उद्घाटन दक्षिण अफ्रीका के राष्ट्रपति जेकब जुमा द्वारा किया जाना है।

पी के दास ने एशिया पैसेफिक आकुपेशनल सेफ्टी एण्ड हैल्थ ऑर्गेनाइजेशन (एपीओएसएचओ) के पर्थ, आस्ट्रेलिया में पिछले साल नवम्बर में सम्पन्न अन्तर्राष्ट्रीय सम्मेलन में भाग लिया था। उन्होंने टीयूआइ मेटल की निकोसिया, साईप्रस में मार्च 2012 में सम्पन्न बैठक में भी भाग लिया था।

यूआइटीबीबी के महासचिव (भवन, लकड़ी तथा भवन निर्माण सामग्री श्रमिकों के लिए डब्ल्यूएफटीयू की टीयूआइ) देबांजन चक्रवर्ती ने विभिन्न देशों में सम्पन्न उसकी अनेक बैठकों में भाग लिया है। उन्होंने पिछले साल जुलाई मे डाउला, कैमेरून में सम्पन्न अफ्रीका के क्षेत्रीय सम्मेलन में भी भाग लिया था। उन्होंने यूआइटीबीबी की लिस्बन, पुर्तगाल में नवम्बर में सम्पन्न सैक्रेटेरिएट बैठक में भी भाग लिया था। उन्होंने मई 2012 में यूआइटीबीबी के महासचिव के रूप में एथेन्स में सम्पन्न डब्ल्यूएफटीयू के नेतृत्व तथा टीयूआइज़ के महासचिवों की संयुक्त बैठक में भी भाग लिया था।

हवाना में 29–30 अप्रैल को सम्पन्न कामकाजी युवाओं के दूसरे सम्मेलन में भाग लेने के लिए सीआइटीयू की ओर से शशिकुमार वालियापेराम्बिल, रेजी ज़मारिया तथा सय्यद मुजीब को मनोनीत किया गया था किन्तु ट्रांजिट वीजा में समस्या आ जाने के कारण उन्हें बीच रास्ते से वापस लौट आना पड़ा।

8.1.3 इस वर्ष आल चाइना फैडरेशन ऑफ ट्रेड यूनियन्स (एसीएफटीयू) के 6 साथियों पर आधारित एक प्रतिनिधिमण्डल 4 मई को सीआइटीयू मुख्यालय में आया। प्रतिनिधिमण्डल का नेतृत्व एसीएफटीयू के उपाध्यक्ष तथा सचिव मण्डल के सदस्य दुआन दुनहाउ कर रहे थे। मुख्यालय में मौजूद रहने वाले सीआइटीयू सचिव मण्डल के सदस्यों ने अपने महासचिव के नेतृत्व में व्यापक विषयों पर चीनी प्रतिनिधिमण्डल के साथ लम्बे समय तक विचार विमर्श किया।

8.1.4 आइएलओ के आइएलसी के 101वें सत्र जो 30 मई से 15 जून तक जेनेवा में होने जा रहा है, के लिए कामरेड के हेमलता को भारतीय प्रतिनिधिमण्डल के एक सदस्य के रूप में मनोनीत किया गया है।

8.2 अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष दिवस (डब्ल्यूएफटीयू)

8.2.1 डब्ल्यूएफटीयू के आह्वान पर विश्व भर के विभिन्न शहरों में 3 अक्टूबर 2011 को अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष दिवस मनाया गया। सीआइटीयू ने डब्ल्यूएफटीयू से सम्बद्ध दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ मिल कर देश भर में अनेक शहरों में सभओं का आयोजन करके यह दिवस मनाया – इम्फाल से चेन्नै से दिल्ली तक के शहरों में आयोजित इन सभाओं में श्रमिकों को डब्ल्यूएफटीयू तथा अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर चल रहे संघर्षों की जानकारी दी गई। हमारी राज्य समितियों तथा अनेक औद्योगिक फैडरेशनों ने इसके लिए सराहनीय पहलकदमियां की। डब्ल्यूएफटीयू के मुख्यालय ने इस अवसर पर सीआइटीयू की भूमिका को स्वीकार किया।

8.2.2 अब डब्ल्यूएफटीयू की अध्यक्षीय परिषद ने जोहान्सबर्ग में अपनी बैठक में फैसला किया है कि इस वर्ष भी 3 अक्टूबर को "अन्तर्राष्ट्रीय संघर्ष दिवस" मनाया जाएगा और उस दिन सभी के लिए खाना, आवास, स्वच्छ पेय जल, निशुल्क सार्वजनिक स्वास्थ्य सेवाएं प्रदान कराने की मांग की जाएगी। डब्ल्यूएफटीयू ने विश्व भर के श्रमिक वर्ग को आह्वान किया है कि वे उस दिन उपयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन करें जिनमें अभियान चलाना, प्रदर्शनों का आयोजन करना, लामबंदियां करना और संघर्ष की दूसरी कार्रवाईयां करना भी शामिल है। जनरल कौंसिल की बैठक भी अपनी सभी राज्य समितियों तथा औद्योगिक फैडरेशनों से अपील करती हैं कि वे यह दिवस समुचित ढंग से मनाए। उस दिन आयोजित किए जाने वाले कार्यक्रमों के लिए सचित्र दस्तावेज तैयार किए जाएं।

9.0 संघर्ष की भावी कार्रवाईयां – हमारा दृष्टिकोण

9.1 संयुक्त आंदोलन

9.1.1 28 फरवरी 2012 की देशव्यापी आम हड़ताल के बाद संघर्ष की भावी कार्रवाईयों के कार्यक्रम पर विचार करने के लिए 26 अप्रैल 2012 को केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की बैठक हुई थी। यूनियनों के बीच विभिन्न सुझावों पर विचारों का आदान प्रदान किया गया। बैठक में यह सर्वानुमति बनी कि देश में संयुक्त संघर्षों को और तीखा किया जाने की जरूरत है और आने वाले समय में हमारी संयुक्त पहलकदमियों की चरम परिणति पूरी तैयारी के साथ संघर्ष के देशव्यापी कार्यक्रम के उच्चतर चरण के साथ होनी चाहिए। सभी संगठनों के भीतर विचार विमर्श होने के बाद केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की बैठक एक बार फिर होगी।

9.1.2 श्रमिक संगठनों की संयुक्त बैठक में हमें मांगों के मुद्दों तथा संयुक्त संघर्ष के ठोस कार्यक्रम दोनों पर विचार विमर्श करना होगा। हमें पूरी तैयारी के साथ पहले से बड़ी कार्रवाई करने पर बल देने के साथ–साथ राज्य तथा उद्योग के स्तर पर देशव्यापी संयुक्त अभियान के चरणों पर विचार करना होगा। हमें विशेष तौर पर कामकाजी स्थलों तथा उद्योग स्तर पर संयुक्त कार्रवाईयां करने पर बल देना होगा और कामकाजी स्तर पर चलाए जाने वाले अभियान में दूसरे संगठनों तथा यूनियनों को शामिल करने के लिए पहले से अधिक पहलकदमियां करनी होंगी।

9.1.3 राष्ट्रीय स्तर पर जो कार्यक्रम करने का निर्णय लिया गया है अथवा लिया जाएगा, उनके अलावा भी हमारी राज्य समितियों तथा फैडरेशनों को राज्य के विशेष मुद्दों अथवा उद्योग के विशेष मुद्दों पर संयुक्त संघर्ष चलाने तथा लामबंदियां

करने पर अधिक बल देना होगा। इससे हमें श्रमिकों की व्यापक श्रेणियों और उनके साथ–साथ सेक्टरों में काम करने वाले श्रमिकों के बीच जाने में सहायता मिलेगी और हमारा प्रभाव और व्यापक होगा।

9.2 स्वतंत्र गतिविधियां

सामान्य

9.2.1 इसके साथ ही साथ हमें अभियान के लिए अपनी स्वतंत्र गतिविधियों का विकास करना होगा और आंदोलन चलाना होगा। इसके लिए अपना प्रचार कार्य और तेज करना होगा। हमें यह काम करते समय अपनी इकाईयों/यूनियन स्तर के नेताओं तथा कार्यकर्ताओं की गतिविधियों पर विशेष तौर पर अपना पूरा ध्यान केन्द्रित करना होगा। हमारे स्वतंत्र अभियान के समय उन ज्वलंत मुद्दों जिनका श्रमिकों को सामना करना पड़ रहा है, पर सभी यूनियनों को एकजुट होकर संघर्ष करने का अनुरोध भी किया जाना चाहिए। कुल्लू में जुलाई 2011 में सम्पन्न कार्य समिति की बैठक में इसी दृष्टिकोण तथा अवधारणा को लेकर हमने 1) न्यूनतम वेतनों में बढ़ोतरी, 2) न्यूनतम वेतनों का भुगतान तथा मानदेय पाने वाले श्रमिकों (आंगनवाड़ी, मिड–डे–मील, आशा तथा दूसरी विभिन्न योजनाओं से जुड़े श्रमिक एवं कर्मचारी), 3) संविदा श्रमिकों के लिए वही काम करने वाले नियमित श्रमिकों के समान वेतन देने, 4) सभी के लिए पेन्शन तथा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा इत्यादि पर स्वतंत्र रूप से अभियान तथा आंदोलन चलाने का निर्णय लिया था। कर्नाटक तथा महाराष्ट्र जैसी कुछेक राज्य समितियों ने कुछ कार्यक्रमों की रूपरेखा तथा योजना पहले ही बना ली है और सीआइटीयू की सभी राज्य समितियों को इसके लिए पहलकदमियां करनी चाहिएं।

9.2.2 इस प्रकार स्वतंत्र रूप से गतिविधिया चलाने से हमें अपना अभियान तृण मूल स्तर पर श्रमिकों के बीच ले जाने में सहायता मिलेगी और हम उन्हें अपनी राजनीतिक समझ की जानकारी भी दे सकेंगे। हम उन्हें यह बता सकेंगे कि सरकार की ऐसी नीतियों के कारण क्या हैं जिनके चलतें श्रमिकों तथा मेहनतकश अवाम का शोषण बढ़ता है। इससे यूनियनों की सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर श्रमिकों के बीच तृण मूल स्तर पर व्यापक एकता का आधार बनेगा। इससे हमें अपने समर्थन के आधार का प्रसार करने में भी सहायता मिलेगी और हम श्रमिकों के बीच में से कार्यकर्ताओं/नेताओं का विकास कर पाएंगे।

9.3 सेक्टरवार पहलकदमियां

9.3.1 राज्य स्तर पर स्वतंत्र अभियान तथा आंदोलनों के लिए पहलकदमियां करने के साथ ही सेक्टर विशेष के आंदोलनों को विकसित किए जाने की सम्भावनाएं भी विद्यमान हैं और हमें आंदोलन की इन सम्भावनाओं से पूरा लाभ उठाना होगा।

संविदा श्रमिक

9.3.2 अनेक उद्योगों में काम करने वाले संविदा श्रमिकों अथवा ठेका मजदूरों के संघर्षों की गति तेज हो रही है। उस उद्योग में काम करने वाले नियमित श्रमिकों की उन संघर्षो में भागीदारी हो या न हो, किन्तु ये संघर्ष तेज होते जा रहे हैं। पिछले कुछ वर्षो में संविदा श्रमिकों की ओर से अनेक जुझारू संघर्ष किए गए हैं और हड़ताल की कार्रवाईयां भी की गई हैं। इन संघर्षों के बल पर वे अपनी अनेक मांगों को पूरा कराने में सफल रहे हैं। विजाग इस्पात संयंत्र में काम करने वाले संविदा श्रमिकों द्वारा अपनी मांगों के लिए हड़ताल की गई जो चालीस दिन तक चली थी, नायवेली लिग्नाईट कारपोरेशन के संविदा श्रमिकों ने एटक के नेतृत्व में कई दिनों तक हड़ताल की, नालकों में भी हड़ताल हुई। ये कुछेक उदाहरणें हैं। विशेष उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों की यूनियन का गठन स्वतंत्र रूप से हुआ है। कुछ दूसरे उद्योगों में नियमित तथा संविदा श्रमिक

एक ही यूनियन में काम कर रहे हैं। इन दोनों मामलों में संविदा श्रमिकों के लिए वेतनों तथा सेवा स्थितियों पर आंदोलन का विकास करने की सम्भावनाएं विद्यमान हैं। सीआइटीयू को ऐसे संघर्ष विकसित करने के लिए इन सम्भावनाओं से लाभ उठाना होगा। केन्द्रीय तथा राज्य स्तरों पर इस प्रकार के संघर्षों में समुचित समन्वय स्थापित करना होगा।

9.3.3 इस सम्बन्ध में उपयुक्त रणनीति तैयार किए जाने की जरूरत है। हमें अपनी पहलकदमियों की शुरूआत वहां से करनी होगी जहां हम बेहतर ढंग से संगठित हैं और हम संघर्ष के इन कार्यक्रमों में नियमित श्रमिकों को भी प्रभावशाली ढंग से खींच लाने की सामर्थ्य रखते हैं अथवा इस स्थिति में हैं। उदाहरण के लिए, नवीनतम राष्ट्रीय कोयला वेतन समझौते (एनसीडब्ल्यूए) में संविदा श्रमिकों के लिए वेतन संशोधन का प्रावधान रखा गया है जिसे इस उद्देश्य के लिए गठित संयुक्त समिति द्वारा अंतिम रूप दिया जाएगा। इसे जल्द से जल्द अंतिम रूप दिया जाए, इस बात पर बल देने के लिए हमें संयुक्त आंदोलन की सम्भावनाओं का भी पता लगाना होगा क्योंकि सभी कोयला यूनियनें इस उक्त समझौते में पार्टी हैं। हमें दूसरे उद्योगों के मामले में भी इस प्रकार की सम्भावनाओं का पता लगाना होगा। इस प्रकार की सेक्टरवार पहलकदमियां करने से उद्योग स्तरीय और उसके साथ–साथ राज्य स्तरीय आंदोलन के लिए आधार भूमि तैयार होगी।

सार्वजनिक सेक्टर

9.3.4 जिस प्रकार सरकार द्वारा आक्रमक तरीके से विनिवेश के कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जा रहा है, उसे देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र के आंदोलन में विनिवेश के विरुद्ध अभियान तथा संघर्ष लगातार हमारी प्राथमिकता का कार्य बना रहना चाहिए। इसके साथ ही दूसरे ज्वलंत मुद्दों जिनका सामना श्रमिकों तथा कर्मचारियों को करना पड़ रहा है, पर भी सेक्टरवार संघर्ष चलाए जाने चाहिएं।

9.3.5 इस्पात, गोदी एवं बंदरगाह, एचएएल इत्यादि सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयां जहां वेतन समझौते की पांच वर्ष की अवधि 1.1.12 को समाप्त हो गई थी, में सम्बन्धित फैडरेशनों को नए वेतन समझौते के लिए जल्द से जल्द वार्ता शुरू कराने के उद्देश्य से स्वतंत्र रूप से या संयुक्त रूप से आंदोलन चलाने के प्रश्न पर पहलकदमी करनी चाहिए। हमें मांग करनी चाहिए कि इन उद्योगों में काम करने वाले नियमित तथा संविदा दोनों प्रकार के श्रमिकों के वेतनों में एक साथ संशोधन किया जाए और इस सम्बन्ध में किए जाने वाले प्रयासों में दूसरी यूनियनों को भी शामिल करने की कोशिशें की जानी चाहिए।

9.3.6 इसके साथ ही साथ सार्वजनिक क्षेत्र की उन इकाईयों जहां दस वर्षीय वेतन समझौता हस्ताक्षरित हुआ था, में हमें श्रमिकों के ज्वलंत मुद्दों की पहचान करने के लिए पहलकदमी करनी होगी और उनके अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों के देशव्यापी तथा सैक्टरवार आंदोलन को विकसित करने के लिए उपयुक्त मांग पत्र तैयार करना होगा। इसके लिए हमें पहले सार्वजनिक क्षेत्र की यूनियनों की समन्वय समिति को सक्रिय करना होगा और उसके माध्यम से सार्वजनिक क्षेत्र की ट्रेड यूनियनों की समिति (सीपीएसटीयू) के संयुक्त मंच को विस्तारित रूप देकर उसमें इंटक तथा बीएमएस की यूनियनों को भी शामिल करना होगा।

9.4 आंदोलन की सम्भावनाएं

9.4.1 सामान्यतया, स्वतंत्र आंदोलन के लिए हमारी पहलकदमी की रणनीति संगठित तथा असंगठित दोनों क्षेत्रों में बेहतर ढंग से संगठित श्रमिकों पर केन्द्रित होनी चाहिए। इसकी शुरूआत उपयुक्त ढंग से तैयार की गई मांगों जो उन श्रेणियों के श्रमिकों को अपनी ओर खींच सकें, के आधार पर की जानी चाहिए। सीआइटीयू सैक्रेटेरिएट ने अपनी पिछली बैठक मे इन विचारों की कल्पना की थी:

• संगठित क्षेत्र में 10000 रुपए के न्यूनतम वेतन अथवा 44वें आइएलसी द्वारा निर्धारित (जिस पर पहले सभी यूनियनें तथा सेंवायोजकों के संगठन सहमत हो गए थे) और संविदा श्रमिकों के लिए वही काम करने वाले नियमित श्रमिकों के समान वेतन तथा सभी के लिए पेन्शन जैसी मांगों पर संघर्ष को केन्द्रित करना होगा।

• हमें असंगठित क्षेत्र में 10000 रुपए के न्यूनतम वेतन तथा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा और पेन्शन जैसी मांगों पर अपने संघर्ष को केन्द्रित करना होगा।

• आंगनवाड़ी, मिड–डे–मील, आशा जैसे मानदेय पाने वाले श्रमिकों के क्षेत्र में जहां आंदोलन को देशव्यापी स्तर पर संगठित किया जा चुका है, हमारे आंदोलन का पूरा ध्यान सभी प्रकार के मानदेय श्रमिकों को सभी जगह कानूनी तौर पर देय न्यूनतम वेतन तथा सार्वभौमिक सामाजिक सुरक्षा पर केन्द्रित करना होगा। केन्द्रीय सरकार पर दबाव बढ़ाने के लिए राज्य स्तरीय पहलकदमियों को मानदेय श्रमिकों की अखिल भारतीय लामबंदी के रूप में तबदील करना होगा।

• आंदोलनात्मक पहलकदमियां राज्य तथा सैक्टर स्तर पर की जानी चाहिएं। और स्वतंत्र गतिविधियों का चरण समाप्त हो जाने के बाद उपरोक्त मुद्दों पर दूसरी यूनियनों को आंदोलन में साथ लेने की कोशिशें की जानी चाहिएं। उसके बाद वाले चरण में राज्य तथा सेक्टर स्तरीय आंदोलनों को अखिल भारतीय अभियान, आंदोलन तथा लामबंदी के रूप में समन्वित करना होगा।

• यदि हम उपरोक्त दिशा में स्वतंत्र रूप से पहलकदमियां करेगे तो इसके फलस्वरूप निश्चित रूप से संयुक्त संघर्षों को और बुलंदियों तक ले जाने का आधार तैयार हो जाएगा और हम सभी को उसी दिशा में काम करना चाहिए।

9.4.2 जनरल कौंसिल के सदस्यों से उपरोक्त विचारों पर बातचीत करने और आने वाले दिनों में इसे प्रभावशाली ढंग से अमल में लाने के लिए अपना ज्ञान बढ़ाने के लिए अनुरोध किया जाता है।

10.0 सामाजिक सुरक्षा के मुद्दे

10.1 सभी प्रकार के सामाजिक दमन व उत्पीड़न के खिलाफ लगातार संघर्ष चलाना हमारा सबसे अधिक महत्वपूर्ण वर्गीय कार्य है। इसका उल्लेख सीआइटीयू के संविधान में भी किया गया है। सीआइटीयू का संविधान हमें श्रमिकों के आर्थिक तथा सामाजिक अधिकारों के सभी प्रकार के हनन अथवा अतिक्रमण के खिलाफ लड़ने और रोजगार, वेतनों तथा पदोन्नतियों के मामले में अस्पृश्यता (छूआ छूत) जैसे जाति आधारित, लिंग तथा धर्म के आधार पर पक्षपात की समाप्ति और अल्पसंख्यकों के जनवादी अधिकारों की रक्षा करने के लिए संघर्ष करने का आह्वान करता है। हम अपने इस संविधानक कार्य को संगठन के सभी स्तरों पर नहीं ले जा सके और हमें इस मामले में अपनी कमजोरी को स्वीकार करना होगा। हम अपने अपने इस संविधानक कार्य की ओर दूसरी आंदोलनात्मक तथा सांगठनिक व्यस्तताओं के चलते लगातार ध्यान नहीं दे सके।

102 क्योकि सत्ताधारी वर्ग जाति, धर्म, पहचान तथा विभिन्न दूसरे प्रकार से लोगों में फूट डालने के लिए लगातार यत्नशील रहा है इसलिए वर्तमान स्थिति में यह काम निर्णायक महत्व का हो गया है। वह ऐसा इसलिए कर रहा है ताकि वह अपनी शोषणकारी व्यवस्था को बनाए रख सके और इस शोषण के खिलाफ चलने वाले वर्गीय आंदोलनों को कमजोर कर सके।

10.3 जैसा कि हम पहले ही रेखांकित कर चुके हैं, समाज की पिछड़ी व दलित श्रेणियों के बीच विभिन्न प्रकार के सामाजिक उत्पीड़न के खिलाफ आवाज और अधिक उठने लगी है जो वर्तमान अर्ध सामंती समाज द्वारा सामान्य तौर पर शोषक वर्ग के साथ मिल कर किया जाता है। यह एक स्वागत योग्य घटना है, इसमें संदेह नहीं। किन्तु यदि वर्गीय आंदोलन इसमें

लगातार और हस्तक्षेप नहीं करेगा तो उस स्थिति में उनकी ओर से उठने वाले विरोध के स्वर को उस सीमा तक जाति/पहचान/सामुदायिक जागरूकता के साथ जोड़ दिया जाएगा जिसका लाभ सीधे तौर पर निहित स्वार्थी तत्वों को होगा और उन सभी तत्वों को भी होगा जो पहचान की राजनीति करके अपनी राजनीतिक दुकान चलाते हैं।

10.4 हमें अपने वर्गीय मंच से सामाजिक उत्पीड़न तथा पक्षपात के मुद्दों को उठाना होगा और इन मुद्दों को अपने वर्गीय आंदोलन की सामूहिक कार्य सूची में शामिल करना होगा, हमारे सामने यह बहुत बड़ा काम है। हमें मूल रूप से दोहरी पहलकदमियां करने के लिए योजना बनानी होगी। एक–सीआइटीयू के स्तर पर हमें जहां अनुसूचित जातियों, जन जातियों तथा दूसरी दलित श्रेणियों के मुद्दों की पहचान करने और उन पर सामान्य अभियान चलाने के प्रश्न पर विचार करना होगा वहीं हमें उन सेक्टरों/यूनियनों की पहचान भी करनी होगी जिनके सदस्यों में सबसे बड़ी संख्या सामाजिक रूप से दमित श्रेणियों की होती है। दूसरे–जिन श्रेणियों तथा सेक्टरों की पहचान की जा चुकी है, उनमें काम करने वाले नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को सक्रिय करना होगा तथा संवेदनशील बनाना होगा ताकि सामाजिक उत्पीड़न के सैक्टर विशेष मुद्दों और उनसे सम्बन्धित मांगों को सम्बन्धित ट्रेड यूनियन मंचों से उठाया जा सके।

10.5 उदाहरण के लिए, शुरू में राज्य समितियां उन सेक्टरों की पहचान कर सकती हैं जिनमें जन जातीय श्रमिकों की भारी संख्या काम करती हो और वे इस पर सम्बन्धित सैक्टर में हमारी यूनियनों के साथ विचार विमर्श करके उनके ज्वलंत मुद्दों की पहचान कर सकती हैं और उसके आधार पर मांगों का निर्धारण करके केवल ट्रेड यूनियन मंच से उन मांगों को उठा सकती हैं और इस प्रकार वे उन पर संघर्ष करने वाली पुरोधा शक्ति बन सकती हैं। सामाजिक रूप से उत्पीड़ित दूसरी श्रेणियों के मामले में भी यही रुख अपनाना बेहतर रहेगा। बुनियादी बात यह है कि हमें सामाजिक मुद्दों को देखना चाहिए और उन्हें केवल अपने वर्गीय् मंच से उठाना चाहिए। यह काम चेतन रूप में करना होगा और इसे लगातार जारी रखना होगा। इसमें कोई कोताही नहीं होनी चाहिए।

10.6 जनरल कौंसिल इसे सभी स्तरों पर हमारी समितियों/यूनियनों/फैडरेशनों की नियमित कार्य सूची बनाने के लिए कुछ ठोस कार्रवाईयां करने का सुझाव भी दे सकती है।

11.0 दूसरे महत्वपूर्ण कार्यक्रम तथा गतिविधियां

एम के पन्धे स्मारक भाशण

11.1 सीआइटीयू सचिव मण्डल की 14–15 नवम्बर 2011 को सम्पन्न बैठक में फैसला किया गया था कि सीआइटीयू केन्द्र की ओर से प्रत्येक वर्ष उनकी जन्म तिथि 11 जुलाई तथा मृत्यु तिथि 20 अगस्त के बीच किसी भी उपयुक्त दिन श्रमिक वर्ग के प्रासंगिक विषयों पर ''एम के पन्धे स्मारक भाषण'' का आयोजन किया जाए। राज्य समितियों तथा फैडरेशनों को सुझाव दिया जाता है कि वे भी उसी अवधि में हमारे महान नेता एम के पन्धे के स्मृति में उपयुक्त कार्यक्रमों का आयोजन करें। इस वर्ष पहली बार जुलाई–अगस्त के बीच इस कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। सम्बन्धित राज्य समितियों से इस कार्यक्रम का आयोजन समुचित ढंग से करने का अनुरोध किया जाता है।

पी सुन्दरैय्या भाताब्दी वर्ष

11.2 इस वर्ष 1 मई को देश के मेहनतकश अवाम के लोकख्यात नेता कामरेड पी सुन्दरैय्या का जन्म शताब्दी वर्ष शुरू हो गया है। हम शोषित श्रेणियों के मुक्ति के लिए आजीवन संघर्ष करने वाले इस महान नेता की पावन स्मृति को सलाम कहते हैं। हम इस महान क्रांतिकारी नेता की जन्म शताब्दी पूरा वर्ष मनाने का आह्वान करते हैं। संगठन के सभी स्तरों पर

''मजदूर–किसान गठबंधन'' पर विशेष बल के साथ और श्रमिक वर्ग के सामने काम'' विषय पर पूरा वर्ष शैक्षणिक कार्यक्रम चलाने चाहिएं। सीआइटीयू की राज्य समितियों तथा फैडरेशनों से इस दिशा में पहलकदमी करने का अनुरोध किया जाता है।

12.0 संगठन

12.1.1 संगठन के सभी स्तरों पर हमारी सभी आंदोलनात्मक गतिविधियों की साथ–साथ समीक्षा करने का काम चलता रहना चाहिए। कुल्लू में सम्पन्न कार्य समिति की बैठक में फैसला किया गया था कि सभी राज्य समितियों द्वारा मध्यावधि समीक्षा की जाएगी। हमें केवल आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, हरियाणा तथा उड़ीसा में मध्यावधि समीक्षा किए जाने की रिपोर्ट मिली है। दूसरे राज्यों में मध्यावधि समीक्षा का काम नहीं किया गया, ऐसा प्रतीत होता है।

12.1.2 दूसरे, क्या हमारी सभी राज्य समितियों ने 28 फरवरी 2012 की हड़ताली कार्रवाई के तैयारी अभियान की समुचित ढंग से समीक्षा की है, इसकी जानकारी हमें नहीं है। केन्द्र की ओर से एक परिपत्र भेज कर इसकी विस्तृत रिपोर्ट भेजने का अनुरोध किया गया था। केवल सात राज्यों को छोड़ कर अधिकांश राज्यों की ओर से इसका कोई उत्तर नहीं दिया गया। इससे केन्द्र द्वारा किए जा रहे समीक्षा कार्य में गम्भीर रुकावट खड़ी होती है। तथापि, हमें राज्यों से जितनी रिपोर्टस् मिली हैं और केन्द्र इस पर जो भी जानकारी व सूचनाएं जुटा सका है, उनके आधार पर समीक्षा की गई है। समीक्षा रिपोर्ट भी इसके साथ दी जा रही है। हम यह समझ नहीं पा रहे हैं कि साथियों ने हमारे परिपत्र का उत्तर क्यों नहीं दिया। समुचित रिपोर्ट न होने की स्थिति में हम कर भी क्या सकते हैं।

12.1.3 तीसरे, सीआइटीयू का चौदहवां महाधिवेशन वर्ष 2013 में होना चाहिए। इस महाधिवेशन का आयोजन कहां किया जाए, हम इसके लिए उपयुक्त स्थल की तलाश में हैं। इसी मध्य राज्य समितियों को चौदहवें महाधिवेशन तक अपनी सांगठनिक तैयारियों शुरू कर देनी चाहिएं अर्थात् अखिल भारतीय महाधिवेशन से पूर्व जिला तथा राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन करना। इसके बीच में भी हमें अपने स्वतंत्र तथा संयुक्त दोनों मंचों से आंदोलन की गतिविधियां जारी रखनी होंगी। सम्मेलनों का आयोजन पूरी तैयारी के साथ करने की जरूरत है ताकि इसे अपना एक प्रभावी हथियार बनाया जा सके और इसके साथ ही राजनीतिक तथा विचारधारात्मक दोनों दृष्टियों से संगठन को मजबूत बनाने का मंच भी बनाया जा सके।

12.2 पत्रिकाएं

12.2.1 केन्द्र की ओर से प्रकाशित 'द वर्किंग क्लास' तथा 'सीटू मजदूर' की प्रसार संख्या में अधिक सुधार नहीं हुआ है। इसके विपरीत पिछले कुछ समय से इसकी प्रसार संख्या में गिरावट आती चली गई है। अंग्रेजी भाषा में प्रकाशित होने वाले 'द वर्किंग क्लास' की प्रसार संख्या मई 2012 में 4760 है। उसमें से 4053 प्रतियां सम्बद्ध यूनियनों को भेजी जाती हैं। हिन्दी भाषा में प्रकाशित होने वाले 'सीटू मजदूर' की प्रसार संख्या 4178 थी जिसमें से 830 प्रतियां सम्बद्ध यूनियनों को भेजी जाती हैं। तथापि सीटू मजदूर की कुल प्रसार संख्या अथवा सर्कुलेशन सबसे अधिक पश्चिम बंगाल (659 प्रतियां) है, उसके बाद हिमाचल प्रदेश (581 प्रतियां) तथा उत्तर प्रदेश (440) प्रतियां है।

12.2.2 अंग्रेजी भाषा में सीआइटीयू केन्द्र से प्रकाशित किए जाने वाले 'वॉयस ऑफ वर्किंग विमन की प्रसार संख्या 6564 है। किन्तु उसकी प्रसार संख्या भी राज्यों के बीच बेहद असमान है और उसकी अस्सी प्रतिशत सदस्य संख्या केरल में है। त्रैमासिक हिन्दी पत्रिका कामकाजी महिला जनवरी 2012 में शुरू किया गया था और इस समय उसके 1369 ग्राहक हैं।

12.2.3 हमने अपने तेरहवें महाधिवेशन के अवसर पर रेखांकित किया था कि गैर हिन्दी भाषी राज्यों की राज्य समितियों की ओर से स्थानीय भाषाओं में पत्रिकाओं का प्रकाशन किया जाता है जैसे श्रमिक आंदोलन (पश्चिम बंगाल), सीटू संदेशम (केरल), सीटू सेथी (तमिलनाडु), सीटू संदेशा (कर्नाटक), सीटू संदेश (महाराष्ट्र), श्रमिक एकता (उड़ीसा), झारखण्ड मजदूर (झारखण्ड), कार्मिक लोकम (आंध्र प्रदेश), सीटू बुलेटिन (असम), मजदूर (त्रिपुरा) इत्यादि। किन्तु उनकी प्रसार संख्या न केवल उनकी सदस्य संख्या की दृष्टि से अपितु समिति सदस्यों की संख्या तथा यूनियन स्तर पर कार्यकर्ताओं की संख्या की दृष्टि से भी सामान्यतया बहुत कम है। साथियों को उन पत्रिकाओं की मौजूदा स्थिति के बारे में रिपोर्ट देनी चाहिए।

12.2.4 अधिकांश हिन्दी भाषी राज्यों के लिए सीटू मजदूर ही केवल एकमात्र ट्रेड यूनियन पत्रिका है और इन राज्यों में इस पत्रिका की प्रसार संख्या बेहद कम है। इससे स्पष्ट तौर पर यही पता चलता है कि अनेक राज्य एवं यूनियन स्तर के नेता भी सीटू मजदूर नहीं पढ़ते हैं। यह दुःखद वास्तविकता हमारी राजनीतिक–सांगठनिक कमजोरियों की कहानी कहती है और यह भी बताती है कि एक पत्रिका हमारे संगठन तथा आंदोलन में क्या भूमिका निभा सकती है, इस बारे में हमारे साथियों के बीच समझदारी का अभाव है।

12.2.5 इसके अतिरिक्त हमारी अनेक फैडरेशनें तथा मित्रवत एसोसिएशनें भी नियमित रूप से अपनी–अपनी पत्रिकाओं/बुलेटिनों का प्रकाशन करते हैं और उनके बीच भेजते हैं। उनकी पत्रिकाओं की प्रसार संख्या कितनी है और क्या वे नियमित रूप से निकलती हैं, इस बारे में हमारे पास ठोस जानकारी नहीं है।

12.2.6 हमारा संगठन राजनीतिक एवं सांगठनिक तौर पर आगे बढ़े इसके लिए पत्रिकाओं की गुणवत्ता तथा प्रसार संख्या में सुधार लाना बेहद जरूरी हो जाता है और यह हमारे लिए एक निर्णायक महत्व का काम बन जाता है। पत्रिकाओं की प्रसार संख्या में सुधार लाने और पत्रिकाओं में छपने के लिए नियमित रूप से रिपोर्ट व समाचार भेजने और पत्रिाकाओं की वस्तु (अथवा सामग्री) तथा उनकी गुणवत्ता पर नियमित रूप से टिप्पणी करने इत्यादि के लिए सभी स्तरों पर पहलकदमियां की जानी चाहिएं।

12.3 सदस्य संख्या

12.3.1 विभिन्न राज्यों से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सदस्यता अभियान प्रत्येक राज्य में चलाया गया है। सरकार द्वारा वर्ष 2011 की सदस्य संख्या के आधार पर यूनियनों की सदस्य संख्या के सत्यापन अथवा वेरिफिकेशन करने के चलते यह अभियान चलाया जा रहा है। केन्द्र की ओर से सभी राज्य समितियों को नियमित रूप से कहा जाता रहा है कि वे कम से कम वार्षिक विवरणियां और **दिसम्बर 2011 तक वर्श 2010 के लिए सम्बद्धता शुल्क भेजने का काम ही पूरा कर लें। आज की तारीक में आंध्र प्रदेश, असम, गुजरात, हरियाणा, जम्मू एवं कश्मीर, कर्नाटक, हिमाचल प्रदेश, केरल, महाराष्ट्र, पंजाब, त्रिपुरा और गोआ इत्यादि बारह राज्यों** ने यह काम पूरा किया है। केरल ने भी वर्ष 2011 के लिए अपनी 2010 की सदस्य संख्या की विवरणियां भेजने का आधा काम पूरा कर लिया है। दूसरे राज्य 2010 का अपना काम पूरा नहीं कर पाए और उनमें से कई राज्यों ने तो वर्ष 2009 का काम भी पूरा नहीं किया है। उनमें से छःह राज्य उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा तथा बिहार इत्यादि इस मामले में बहुत पीछे हैं। उन्होंने 2008 की अपनी सदस्य संख्या की तुलना में 2010 में 9000 से 25000 तक अपने सदस्यों का विवरण और उनके सदस्यता शुल्क इत्यादि का कोई हिसाब नहीं दिया है। जहां तक पश्चिम बंगाल का सम्बन्ध है, वह आतंक तथा हिंसा की स्थिति होने के कारण हमारे साथी अभी तक कई इलाकों में जा ही नहीं सके। इसके परिणामस्वरूप उनकी सदस्य संख्या में लगभग चार लाख की गिरावट आई है। किन्तु दूसरे चूककर्ता राज्यों के मामले में, केन्द्र को ऐसा कुछ नहीं लगता या दिखाई देता जिसके कारण उनसे इतनी बड़ी कोताही हुई है; सम्बन्धित राज्यों के नेताओ से बार–बार अनुरोध किया गया किन्तु इस पर इस काम में भारी कोताही हुई है। विभिन्न श्रमिक संगठनों के बीच इस समय हमारी जो स्थिति अथवा नम्बर है, उसे देखते हुए सदस्यता

सत्यापन अथवा वेरिफिकेशन में हमारे लिए एक चुनौतीपूर्ण स्थिति पैदा हो गई है। केन्द्रीय सचिव मण्डल की 14–15 अप्रैल 2012 को हुई पिछली बैठक के बाद भी सभी राज्य समितियों को एक परिपत्र भेजा गया था और उनसे **यह सुनिश्चित करने के लिए कहा गया था कि सभी यूनियनें अप्रैल मास के अंत तक हर हालत में अपनी वार्षिक विवरणियां अथवा रिटर्नस् राज्य के श्रम विभाग को भेज दें और कम से कम मई 2012 में वर्श 2011 के लिए केन्द्र को सम्बद्धता शुल्क तथा वार्षिक विवरणियें की प्रतियां भेजने का काम पूरा कर लें और यदि 2009 तथा 2010 की वार्षिक विवरणियों की प्रतियां तथा सम्बद्धता शुल्क भेजने का काम बाकी है तो वह इसके साथ ही पूरा कर लें।** राज्य समितियों तथा यूनियनों की ओर से 20 मई 2012 तक परिपत्र के उत्तर में जो जानकारी हमें भेजी गई है उसे संक्षिप्त रूप में राज्यवार सदस्य संख्या की स्थिति के वक्तव्य में इसी रिपोर्ट के साथ संलग्न कर दिया गया है।

12.3.2 एक पहलू का विशेष तौर पर उल्लेख किए जाने की जरूरत है। कार्य समिति की कुल्लू बैठक से ही सदस्य संख्या के सत्यापन की चुनौती जो हमारे सामने है, से निपटने के लिए अधिक से अधिक सदस्यता शुल्क एकत्रित करने का आह्वान किया गया था। केन्द्र को प्राप्त वर्ष 2010 की सदस्य संख्या की स्थिति को देखने से पता चलता है कि कुछ राज्यों ने अपनी सदस्य संख्या में उल्लेखनीय बढ़ोतरी की है; यह तथ्य हम सभी के सामने सीआइटीयू के प्रसार की चुनौती के प्रति उनकी गम्भीरता को दर्शाता है। उनमें उल्लेखनीय आंध्र प्रदेश है जिसने वर्ष 2008 की सदस्य संख्या की तुलना में इस बार अपनी सदस्य संख्या में लगभग एक लाख की बढ़ोतरी की है, उसके बाद हरियाणा ने 20000, कर्नाटक ने 25000, केरल ने लगभग 1.6 लाख, महाराष्ट्र ने 7000, पंजाब ने 20000 तथा त्रिपुरा ने 21000 की बढ़ोतरी दर्ज कराई है। आशा की जानी चाहिए कि वर्ष 2011 में उनकी सदस्य संख्या में और अधिक बढ़ोतरी होगी। यह आशा भी की जानी चाहिए कि सभी राज्य समितियां अपनी सदस्य संख्या बढ़ाने के लिए पूरी गम्भीरता से प्रयास करेंगी और यह गम्भीरता वर्ष 2011 में उनकी सदस्य संख्या के रूप में प्रतिबिम्बित होगी। हमारी ये अपेक्षाएं किस सीमा तक पूरी होंगी यह सीआइटीयू द्वारा अपनी सदस्य संख्या के बारे में किए जाने वाले दावे जो श्रम मंत्रालय की अधिसूचना मिलने के बाद सदस्य संख्या के सत्यापन के लिए पेश किया जाएगा, में प्रतिबिम्बित होगा।

12.3.3 हमें जनरल कौंसिल की बैठक से वापस लौट जाने के बाद सबसे पहले राज्य समितियों को अनेक बार भेजी जा चुकी चैक लिस्ट के अनुसार सदस्यता सत्यापन के लिए प्रत्येक यूनियन द्वारा तैयार किए गए सभी दस्तावेज हासिल करने होंगे, यह काम बेहद जरूरी है। हमारी राज्य समितियों तथा फैडरेशनों पहलकदमी करनी होगी और प्रत्येक सम्बद्ध यूनियन के पास जाकर इस काम को मानिटर करना होगा ताकि सत्यापन की प्रक्रिया में एक भी सदस्यता को भी खो न दें। कुछ राज्य समितियों से सत्यापन अथवा वेरिफिकेशन की तैयारियों के बारे में यूनियन स्तर पर की गई चैंकिंग के पहले चक्र की रिपोर्ट सम्बधित सभी दस्तावेजों के साथ दो महीने के भीतर भेजने का अनुरोध किया जाता है।

12.3.4 राज्य एवं जिला स्तर पर दूसरे दावों के बारे में आपत्तियां यदि कोई हैं और जिसकी जानकारी सभी सम्बन्धित पक्षों को पहले से हो, भेजने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं। जो भी हो, इस मामले में और क्या चाहिए, इसकी सूचना केन्द्र उपयुक्त समय पर देगा।

13.0 हमारे कार्य

13.1 रिपोर्ट में की गई स्थापनाओं के आधार पर हमें अधोलिखित कार्य करने होंगेः

1. संगठित और असंगठित दोनों क्षेत्रों में संयुक्त संघर्षो की जमीन तैयार करने तथा उन्हें और अधिक बुलंदियों में ले जाने के लिए श्रमिकों एवं कर्मचारियों की ठोस मांगों के आधार पर सेक्टरवार तथा राज्यवार आंदोलनों और लामबंदियों का निर्माण करने के लिए स्वतंत्र रूप से गतिविधियां चलाना। राज्य समितियों तथा औद्योगिक फैडरेशनों को इस दिशा में जरूरी

पहलकदमिकयां करनी होंगी और राज्य तथा सेक्टर स्तर पर संयुक्त आदोलन को विकसित किए जाने के सम्भावनाओं का पता लगाना होगा।

2. सीआइटीयू को सांगठनिक तथा राजनीतिक दृष्टि से प्रसार करने और उसे मजबूत बनाने के लिए स्वतंत्र अभियान तथा आंदोलन के साथ पूरी जागरूकता के साथ पहलकदमियां करनी होंगी।

3. सत्यापन अथवा वेरिफिकेशन का सामना करने के लिए सम्बद्ध यूनियनों के सभी सम्बधित दस्तावेज तथा रिकार्ड तैयार करना।

4. ट्रेड यूनियन मंच से सामाजिक उत्पीड़न तथा सामाजिक तौर पर उत्पीड़ित श्रेणियों की मांगों पर प्रभावशाली अभियान चलाना।

5. सभी स्तरो पर 11 जुलाई–20 अगस्त के बीच किसी भी समय एम के पन्धे स्मारक कार्यक्रमों का आयोजन करना।

6. पी सुन्दरैय्या जन्म शताब्दी वर्ष में शैक्षणिक कार्यक्रम करना जिनमें "मजदूर–किसान एकता और श्रमिक वर्ग के कार्य" विषय पर जोर दिया जाए।

7. वर्ष 2013 के शुरू में आयोजित होने जा रहे सीआइटीयू के चौदहवें महाधिवेशन की तैयारियों के सम्बन्ध मे विभिन्न स्तरों पर सम्मेलनों का आयोजन करने के लिए तैयार बर तैयार रहना।

14.0 निष्कर्ष

14.1 राजनीतिक स्थिति की समीक्षा करते समय हमें संसद में वाम पक्ष की कमजोर हो चुकी स्थिति की पृष्ठभूमि में सत्ताधारी राजनीतिक दलों के रुख में आए एक स्पष्ट तथा हताशा भरे दक्षिणी पंथी झुकाव को रेखांकित करना होगा। साम्राज्यवादी ताकतों द्वारा भी राजनीतिक तथा आर्थिक मोर्चे पर इस दक्षिणपंथी झुकाव व बदलाव के लिए दबाव बनाया जा रहा है।

14.2 इसके साथ ही महंगाई, बढ़ती बेरोजगारी, भ्रष्टाचार के अनेकानेक घोटालों का खुलासा होने और दूसरे विभिन्न कारणों के चलते जन साधारण में बढ़ते असंतोष के कारण सत्ताधारी दल की साख गिरती चली जा रही है।

14.3 इसलिए इस स्थिति ने जहां श्रमिक आंदोलन के लिए जबरदस्त चुनौतियां पैदा कर दी हैं वहीं बड़े अवसरों को भी जन्म दिया है। श्रमिक आंदोलन ही इस स्थिति का प्रभावशाली तरीके से प्रतिकार कर सकता है। दक्षिणपंथी ताकतें वाम पक्ष को हाशिये में धकेल कर राजनीति के मैदान में अपनी अधिकाधिक जगह बना लेना चाहती हैं और इसके लिए वे हताशा भरी कोशिशों में लगी हुई हैं। वाम पक्ष नव–उदारीकरण की व्यवस्था के खिलाफ संयुक्त संघर्षो को तेज करके ही इसका जुझारू प्रतिकार कर सकता है। श्रमिकों और जन साधारण की समस्याओं तथा ज्वलंत मुद्दों को लेकर तृण मूल स्तर पर व्यापक लामबंदियां करना इस समय हमारे लिए सबसे बड़ा काम है। इस काम को पूरा करने से देश की अर्थव्यवस्था तथा जन साधारण पर दक्षिण पंथी ताकतों के सुनियोजित हममों के खिलाफ श्रमिक वर्ग के देशव्यापी प्रतिरोध के लिए मार्ग प्रशस्त हो सकता है।

14.4 पहले से कहीं अधिक व्यापक स्तर पर हमारी ओर से की गई पहलकदमी के फलस्वरूप हमारा संगठन नव–उदाीकरण की नीतियों की व्यवस्था के खिलाफ लोगों में पनप रहे रोष एवं आक्रोश को ठीक दिशा में ले जाने में सक्षम हो सकेगा और उसे तीखे वर्ग संघर्ष की पटड़ी पर लाया जा सकेगा। यह स्थिति चुनौती पूर्ण जरूर है किन्तु इसका सामना असम्भव नहीं है।

14.5 हम इस रिपोर्ट का समापन करते हुए जुलाई 2011 में सम्पन्न कार्य समिति की कुल्लू बैठक की समापन टिप्पणी का उल्लेख यहां करना चाहेंगे:

हमारे सामने बहुत बड़ी चुनौतियां हैं, इसमे संदेह नहीं। किन्तु हमारी विचारधारा हमारा सबसे बड़ा हथियार है। यही हथियार लामबंदियों तथा संघर्ष में हमारा मार्ग दर्शन करता है। हम श्रमिक वर्ग पर होने वाले हर हमले का मुंहतोड़ जवाब देंगे इसी दृढ़ निश्चय के साथ और इसी दिशा में हमें अपने संगठन को मजबूत करते चले जाना होगा।

14.6 हमें अपने ऊपर पूर्ण विश्वास है, हम निश्चित रूप से सभी रुकावटों को पार करते हुए दक्षिणपंथी हमलें का सामना करने के लिए श्रमिक वर्ग के संघर्ष को नयी बुलंदियों तक ले जाएंगे।

अभिवादन के साथ

श्रमिक वर्ग की एकता जिंदाबाद!
सीआइटीयू जिंदाबाद!

तपन सेन
महासचिव

****

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)
जनरल कौंसिल की बैठक
कोयम्बटूर, तमिलनाडु
2–5 जून, 2012

28 फरवरी की अखिल भारतीय हड़ताल की समीक्षा

अठाईस फरवरी, 2012 की अखिल भारतीय हड़ताल की तैयारियों के राज्यवार विवरण तथा विभिन्न राज्यों में इसके कार्यान्वयन गतिविधियों की रिपोर्ट का भाग हो सकता है। यहां पर हम हड़ताल के कुछेक प्रमुख पहलुओं का विश्लेषण करने का प्रयास कर रहे हैं जिनके चलते स्वतंत्र भारत में यह हड़ताल एक अत्यंत व्यापक तथा प्रभावपूर्ण देशव्यापी हड़ताल बन सकी है और इस हड़ताल के फलस्वयरूप जिस ट्रेड यूनियन एकता का निर्माण हुआ है, उसे और मजबूत बनाने, श्रमिक वर्ग के अधिकारों की रक्षा के लिए संघर्ष को और तेज करने तथा उसे सघन बनाने और सीआइटीयू को और मजबूत बनाने के लिए आवश्यक सबक सीखने का प्रयास करेंगे ताकि हमारे देश के लोगों तथा मजदूर वर्ग को सभी प्रकार के शोषण से मुक्त कराने के हमारे लक्ष्य को पाया जा सके। तथापि यह खेद का विषय है कि दिनांक 2 मार्च 2012 को परिपत्र संख्या 4/2012 सभी राज्य समितियों, पदाधिकारियों तथा औद्योगिक फैडरेशनों को भेजा गया था, इस पर भी बहुत कम राज्य की ओर से हड़ताल की तैयारियों के सम्बन्ध में विस्तृत रिपोर्ट केन्द्र को भेजी गई जिनसे हमें हड़ताल की समुचित समीक्षा करने में सहायता मिलती। फिर भी केन्द्र को जो थोड़ी–बहुत सूचनाएं मिलीं उन्हीं के आधार पर इस रिपोर्ट का प्रारूप तैयार किया गया है।

28 फरवरी की अखिल भारतीय हड़ताल नव–उदारीकरण की नीतियों शुरू होने के बाद पिछले दो दशकों में हुई चौदहवीं देशव्यापी हड़ताल थी। पहली बार देश में दो प्रमुख सत्ताधारी दलों के दो प्रमुख केन्द्रीय श्रमिक संगठनों इंटक तथा बीएमएस ने दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के साथ मिल कर अखिल भारतीय आम हड़ताल का आह्वान किया था। यह सुधारों की नव–उदारवादी नीतियों के दुष्प्रभावों के खिलाफ श्रमिकों की विशाल संख्या के बीच पनप रहे असंतोष को प्रतिबिम्बित करता है और बताता है किस प्रकार पिछले दो वर्षो से भी अधिक समय से संयुक्त ट्रेड यूनियन आंदोलन द्वारा उठाई गई मांगों के लिए समर्थन बढ़ता चला जा रहा है। सीआइटीयू ने इन मांगों का निर्धारण करने में प्रमुख भूमिका निभाई थी। पिछली देशव्यापी हड़तालों की तुलना में इस बार दूसरे केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की हड़ताल में भागीदारी अधिक दिखाई दी, भारतीय मजदूर संघ की भागीदारी अनेक स्थानों पर बेहद महत्वपूर्ण रही जबकि एचएमएस की भागीदारी अपेक्षाकृत कम रही। एचएमएस ने मध्य प्रदेश में राज्य स्तरीय बैठकों में भाग नहीं लिया, यद्यपि इसके लिए भरसक प्रयास किया गया था। उसकी ओर से छत्तीसगढ़ तथा मध्य प्रदेश की कोयला पट्टी में भी नकारात्मक भूमिका निभाई गई और हड़ताल के खिलाफ प्रचार अभियान चलाया गया।

मूल्य वृद्धि, श्रमिकों के ट्रेड यूनियन तथा कठोर संघर्षों के द्वारा हासिल किए गए अधिकारों पर हमलों के खिलाफ पनप रहे रोष और संविदा श्रमिकों के लिए समान काम के लिए समान वेतन व न्यूनतम वेतन की मांगों, सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के एकजुट होने तथा केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के नेतृत्व की ओर से किए गए संयुक्त प्रयासों व प्रमुख राज्यों की राजधानियों व औद्योगिक केन्द्रों में जाकर संयुक्त सम्मेलनों को सम्बोधित किए जाने तथा कुछ प्रमुख औद्योगिक फैडरेशनों के लिए संयुकत रूप से अपील जारी किए जाने से उत्पन्न उत्साह और इस अभियान में सीआइटीयू द्वारा की गई पहलकदमियों तथा स्वतंत्र उद्यमों – इन सभी कारकों ने 28 फरवरी की हड़ताल को अत्यंत प्रभावशाली बनाने में योगदान दिया है।

सीआइटीयू केन्द्र की ओर से की गई पहलकदमियां

सीआइटीयू केन्द्र ने मांगों का निर्धारण करने में प्रमुख भूमिका निभाने के अतिरिक्त बंगलौर में सार्वजनिक क्षेत्र में सक्रिय ट्रेड यूनियनों के संयुक्त सम्मेलन का आयोजन करने, गोदी एवं बंदरगाह, परिवहन, पेट्रोलियम, विद्युत इत्यादि सेक्टरों में प्रमुख फैडरेशनों के नेतृत्व के साथ केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के नेतृत्व के संयुक्त विचार विमर्श इत्यादि में भी पहलकदमी की थी। सीआइटीयू केन्द्र ने हड़ताल को सफल बनाने तथा उसके लिए अभियान चलाने के लिए समन्वित प्रयासों को सुनिश्चित बनाने के लिए दूसरे सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के नेतृत्व के साथ नियमित रूप से सम्पर्क बनाए रखा। सीआइटीयू के केन्द्रीय सचिव मण्डल के सदस्यों ने राज्य स्तरीय तथा उद्योग स्तरीय संयुक्त सम्मेलनों में भाग लिया।

इसके अतिरिक्त, सीआइटीयू केन्द्र ने अपनी राज्य समितियों तथा सम्बद्ध यूनियनों द्वारा प्रभावी स्वतंत्र अभियान को यकीनी बनाने के लिए भी प्रयास किए थे ताकि हड़ताल की मांगों को श्रमिकों की व्यापक से व्यापकतर श्रेणियों के बीच ले जाया जा सके। सचिव मण्डल की विस्तारित बैठक 14–15 नवम्बर 2011 को बुलाई गई थी जिसमें राज्य समितियों/औद्योगिक महासंघों के अध्यक्षों/महासचिवों ने भी भाग लिया था। इसी बैठक में अभियान को तेज करने के लिए समुचित सांगठनिक तैयारियां करने का आह्वान किया गया था ताकि श्रमिकों की विशाल श्रेणियों के बीच हम अपने अभियान को ले जा सकें और इकाई/यूनियन स्तरीय नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को इस दिशा में सक्रिय किया जा सके। इस बैठक में लिए गए निर्णय के अनुसार केन्द्र की ओर से एक पैम्फलट का प्रारूप बनाना गया और उसे अनुदित तथा वितरित करने के लिए सभी राज्य समितियों के पास भेजा गया। सीआइटीयू केन्द्र से सचिव मण्डल के कुछ सदस्यों ने कुछ राज्य समितियों हड़ताल की तैयारियों के लिए अभियान की योजना बनाने में सहायता देने के लिए उनकी बैठकों में भाग लिया और विभिन्न राज्यों तथा सेक्टरों में हड़ताल की तैयारियों की मॉनिटरिंग के लिए भी प्रयास किए।

राज्य समितियों/औद्योगिक महासंघों द्वारा की गई तैयारियां

हड़ताल की सफलता को यकीनी बनाने के लिए राज्य समितियों की ओर से की गई पहलकदमियों में उल्लेखनीय सुधार आया है। सामान्य तौर पर हमारी राज्य समितियों जिनमें सांगठनिक दृष्टि से कमजोर गुजरात जैसे राज्य भी शामिल हैं, ने संयुक्त सम्मेलनों तथा अभियान के लिए पहलकदमियां की थीं। संयुक्त अभियान चलाने के अतिरिक्त अधिकांश राज्य समितियों/पदाधिकारियों ने बैठकों का आयोजन किया तथा स्वतंत्र अभियान चलाने की योजनाएं बनाई थीं। सीआइटीयू की लगभग सभी राज्य समितियों ने बैठकें करके अपने–अपने यहां हड़ताल को सफल बनाने के लिए योजनाएं तैयार की थीं। मध्य प्रदेश के पांच क्षेत्रों में सीआइटीयू के जिला पदाधिकारियों की क्षेत्रीय बैठकों का आयोजन किया गया। इसी प्रकार राज्य स्तरीय यूनियनों ने भी हड़ताल की तैयारियों की योजना बनाने के लिए बैठकों का आयोजन किया। अनेक राज्यों में जिला समितियों की बैठकें भी आयोजित की गईं।

इलेक्ट्रिसिटी इम्पलाईज फैडरेशन ऑफ इण्डिया, ऑल इण्डिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन, इस्पात, पेट्रोलियम, पावरग्रिड, एनटीपीसी, बीएचईएल, बीईएल एवं ऑल इण्डिया फैडरेशन ऑफ आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स इत्यादि अनेक उद्योगवार फैडरेशनों के सचिव मण्डलों तथा कार्य समितियों की बैठकें हुई जिनमें हड़ताल की तैयारियो पर विचार किया गया। उनमें से अनेक फैडरेशनों पहलकदमी करके सभी उद्योगवार यूनियनों व फैडरेशनों के नेताओं के हस्ताक्षरों से युक्त संयुक्त वक्तव्य जारी किए जिनमें श्रमिकों को हड़ताल में भाग लेने की अपील की गई थी। संयुक्त रूप से हस्ताक्षरित घोषणा पत्र तथा वक्तव्य सम्बन्धित राज्य समितियों को भेजे गए ताकि वे अभियान में शामिल श्रमिकों की सभी श्रेणियों के साथ सम्पर्क स्थापित करने में उनका उपयोग कर सकें। आंगनवाड़ी कर्मचारियों के बीच उनकी विशेष मांगों तथा मुद्दों पर अभियान चलाने के लिए एआइएफएडब्ल्यूएच की ओर से एक प्रारूप तैयार किया गया तथा उसे अपनी राज्य समितियों के पास भेजा गया।

ऑल इण्डिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन की ओर से तीन जोनल बैठकों का आयोजन किया गया और उत्तर पूर्व क्षेत्र में हड़ताल को सफल बनाने के लिए रोड ट्रांसपोर्ट यूनियनों की बैठक बुलाई गई थी। उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रत्येक राज्य में रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स वर्कर्स यूनियनों की बैठकों का आयोजन किया गया।

संयुक्त गतिविधियां

आंध्र प्रदेश, असम, बिहार, छत्तीसगढ़, दिल्ली, गुजरात, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, पंजाब, राजस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, पश्चिम बंगाल सहित अधिकांश राज्यों में संयुक्त राज्य स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया।

अनेक राज्यों में जिला एवं उद्योग स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन भी किया गया। लगभग सभी राज्यों में सीआइटीयू की राज्य समितियों ने संयुक्त ट्रेड यूनियन बैठकों की तैयारियां करने के सिलसिले में पहलकदमियां कीं। ये बैठकें हड़ताल को सफल बनाने की योजना तैयार करने के लिए बुलाई गई थीं। मध्य प्रदेश जैसे कुछेक राज्यों में इस प्रकार की 3–4 बैठकों का आयोजन किया गया। लगभग सभी राज्यों में संयुक्त लीफलैट तथा पोस्टर छपवाए गए और उन्हें बांटा गया।

केन्द्र में प्राप्त समाचारों के अनुसार आंध्र प्रदेश के सभी जिलों, कर्नाटक के 30 में से 21 जिलों, तमिलनाडु के 11 जिलों में संयुक्त जिला स्तरीय सम्मेलनों का आयोजन किया गया। तमिलनाडु में जिला सम्मेलनों के साथ–साथ 11 जन सभाएं तथा 30 जनरल बाड़ी मीटिंगें भी आयोजित की गई और इसके अतिरिक्त 1000 नुक्कड़ सभाओं, गेट मीटिंगों का आयोजन संयुक्त व स्वतंत्र रूप से किया गया था। केरल में सभी जिलों में संयुक्त सम्मेलनों का आयोजन करने के साथ–साथ पंचायत स्तर पर भी इस प्रकार के सम्मेलन आयोजित किए गए। त्रिपुरा की सभी सब डिविजनों में संयुक्त सम्मेलन किए गए। मध्य प्रदेश के लगभग सभी शहरों में संयुक्त रूप से मशाल जुलूस निकाले गए। आंध्र प्रदेश में वित्तीय सेक्टर के कर्मचारियों, राज्य तथा केन्द्रीय सरकारों के कर्मचारियों, निजी परिवहन सेवाओं के श्रमिकों की ओर से अनेक जिलों में अलग–अलग सम्मेलनों का आयोजन किया गया; राज्य के 14 जिलों में 166 केन्द्रों में संयुक्त रूप से मानव श्रृंखला कार्यक्रमों और 20 जिलों में ज्वायंट सेक्टर रैलियों का आयोजन किया गया। केरल में संयुक्त जत्था कार्यक्रम किए गए यद्यपि इंटक ने इनमें भाग नहीं लिया। तमिलनाडु में गोदी एवं बंदरगाह, परिवहन तथा विद्युत के क्षेत्रों में संयुक्त उद्योग स्तरीय बैठकों तथा अभियानों का आयोजन किया गया। सार्वजनिक क्षेत्र के कर्मचारियों के संयुक्त सम्मेलन के आयोजन का कार्यक्रम बनाया गया था किन्तु उसे कार्यरूप में परिणत नहीं किया जा सका। दूसरे राज्यों में भी इसी प्रकार के जिला/सब डिविजन स्तर पर अभियान चलाए गए किन्तु उनके समाचार अभी तक हमें नहीं मिले।

स्वतंत्र अभियान

सीआइटीयू की अधिकांश राज्य समितियों ने संयुक्त अभियान चलाने के साथ–साथ स्वतंत्र रूप से भी अभियान चलाया था। आंध्र प्रदेश में सभी जिला समितियों की ओर से जिलों में हड़ताल का ठोस कार्यक्रम बनाने के लिए कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। 792 मण्डल समितियों, 199 नगर समितियों तथा 95 शहरी–डिविजन समितियों के साथ–साथ राज्य यूनियनों की ओर से विभिन्न स्तरों पर अभियान की योजना बनाने के लिए बैठकें की गईं। 602 मण्डलों में सम्मेलन किए गए। पश्चिम बंगाल में सीआइटीयू से सम्बद्ध लगभग सभी यूनियनों की ओर से सभी स्तरों पर समितियों की बैठकों के साथ–साथ जनरल बाडी बैठकों का आयोजन भी किया गया; पूरे राज्य में सैंकड़ों नुक्कड़ सभाएं की गईं; मुर्शिदाबाद जैसे कुछ जिलों में फरवरी में महीना भर अभियान चलाया गया और इस दौरान 28 में से 26 ब्लाकों में ब्लाक स्तरीय सम्मेलन किए गए; 196 स्थानों में जोनल सभाएं तथा 51 रैलियां की गईं; दो दिनों में ९1 जुलूस निकाले गए। पूवी मिदनापुर जैसे

आतंक से प्रभावित जिलों में भी अभियान चलाने के प्रयास किए गए जहां 32000 लीफलैट बांटे गए तथा 16000 पोस्टर चिपकाए गए और अनेक स्थानों पर दीवारों पर हड़ताल की मांगों को लिखा गया; सभी सब डिविजनों तथा ब्लाकों में 500 संयुक्त सम्मेलनों का आयोजन किया गया। दस सप्ताह तक चले इस अभियान में पूरे सीआइटीयू को लामबंद किया गया और इस लामबंदी में पांच लाख से अधिक कार्यकर्ताओं ने भाग लिया।

प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सीआइटीयू केन्द्र की ओर से भेजे गए पैम्फलट के प्रारूप का अनुवाद कराया गया और उसकी लाखों प्रतियां कर्मचारियों तथा श्रमिकों के बीच वितरित की गईं (आंध्र प्रदेश – 333700, तमिलनाडु – 60000, छत्तीसगढ़ – 20,000, हरियाणा – 10000, मध्य प्रदेश – 5000, तथा उड़ीसा – 9500, पश्चिम बंगाल – 25000, कुल – 440700)। केरल में सीआइटीयू केन्द्र की ओर से तैयार किए गए पैम्फलेट में मामूली बदलाव लाकर उसे प्रकाशित करके सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के संयुक्त पैम्फलट के रूप में उसकी प्रतियों का वितरण किया गया। पश्चिम बंगाल में सीआइटीयू केन्द्र का पैम्फलट तीन भाषाओं बंगाली, हिन्दी तथा उर्दू में प्रकाशित किया गया। इसी प्रकार आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, दिल्ली, हरियाणा, तमिलनाडु तथा पश्चिम बंगाल से प्राप्त सूचनाओं के अनुसार सीआइटीयू की राज्य तथा जिला समितियों और कुछ जिला स्तरीय यूनियनों जिनमें से कुछेक यूनियनों के विवरण हमें अभी तक हासिल नहीं हुए, ने संयुक्त तथा स्वतंत्र रूप से 4576200 लीफलैट प्रकाशित करके वितरित किए गए। सैंकड़ों–हजारों की संख्या में पोस्टर संयुक्त तथा स्वतंत्र रूप से प्रकाशित करके चिपकाए गए। पश्चिम बंगाल सीआइटीयू की ओर से राज्य के श्रमिकों के नाम एक पत्र लिख कर उनसे हड़ताल में भाग लेने की अपील भी की गई थी। आंध्र प्रदेश में स्टडी सर्कलों का आयोजन करके हड़ताल की मांगों पर विचार किया गया। इस प्रकार के स्टडी सर्कल 12 जिलों में मण्डल मुख्यालयों में लगाए गए।

आंध्र प्रदेश राज्य समिति ने लाखों की संख्या में लीफलैट तथा पैम्फलट प्रकाशित करके इस सम्बन्ध में सराहनीय काम किया है। सीआइटीयू के अखिल भारतीय केन्द्र की ओर से भेजे गए पैम्फलट का तेलगू में अनुवाद कराने के बाद 3337000 प्रकाशित कराई गई और उन्हें 1001 मण्डलों, 580 उद्योगों तथा 105 कारपोरेश डिविजनों में बांटा गया। इसके अतिरिक्त जिला समितियों की ओर से 938000 लीफलैट प्रकाशित कराए गए और बांटे गए और विभिन्न सेक्टरों की ओर से 711200 पैम्फलट छाप कर बांटे गए। पश्चिम बंगाल में 11 लाख पैम्फलट बांटे गए, तमिलनाडु में 1000000 तथा कर्नाटक में 717000 पैम्फलट बांटे गए।

विभिन्न राज्यों में हड़ताल के समर्थन में असंख्य रैलियों, प्रदर्शनों, जुलूसों, धरनों इत्यादि का आयोजन संयुक्त अथवा स्वतंत्र रूप से किया गया। सीआइटीयू की हरियाणा राज्य समिति तथा सर्व कर्मचारी संघ (राज्य सरकार के कर्मचारियों की एसोसिएशन) द्वारा जीप जत्था कार्यक्रम किया गया और इस कार्यक्रम के दौरान 43 स्थानों पर सभाओं का आयोजन किया गया। जीप जत्था की चरम परिणति फरीदाबाद में एक संयुक्त ट्रेड यूनियन रैली के रूप में हुई जिसमें 12000–15000 श्रमिकों ने भाग लिया। सीआइटीयू से सम्बद्ध ईंट भट्ठा तथा निर्माण श्रमिकों के यूनियनों ने हरियाणा के हिसार शहर में विशाल रैली निकाली और हड़ताल के समर्थन में निकाली गई इस रैली में लगभग 8000 श्रमिकों ने भाग लिया। त्रिपुरा में हड़ताल के समर्थन में अगरतला में एक विशाल जुझारू रैली निकाली गई। त्रिपुरा राज्य कामकाजी महिला समन्वय समिति द्वारा नुक्कड़ सभाओं का आयोजन किया गया। दिल्ली के अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में रैलियों तथा प्रदर्शनों का आयोजन संयुक्त अथवा स्वतंत्र रूप से किया गया जिनमें हड़ताल की कुछ मांगों को विशेष तौर पर उठाया गया। सीआइटीयू की दिल्ली राज्य समिति ने भी हड़ताल का प्रचार करने के लिए नुक्कड़ नाटकों जैसे विभिन्न सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। उसकी ओर से कुछ औद्योगिक क्षेत्रों में हड़ताली समितियों का गठन भी किया गया। औद्योगिक क्षेत्रों में द्वार सभाओं का आयोजन करके सभी कारखानों के मुख्य द्वारों तक हड़ताल की मांगों को पहुंचाया गया। गुजरात के अनेक शहरों में मुख्य केन्द्रों तथा मैदानों में बड़े–बड़े बोर्ड लगा कर हड़ताल की मांगों को उभारा गया।

पश्चिम बंगाल में लगभग सभी जिलों, ब्लाकों तथा औद्योगिक केन्द्रों में हड़ताल की तैयारियों के लिए अभियान चलाया गया, रैलियां की गईं तथा जुलूस निकाले गए; अनेक स्थानों पर तृणमूल कांग्रेस के गुण्डों ने हमले किए जिनका श्रमिकों ने बड़ी बहादुरी के साथ सामना किया। इसी प्रकार हड़ताल का प्रचार किए जाने के ऐसे ही एक कार्यक्रम में भाग लेने पर तृणमूल के गुण्डों ने हमला करके सीआइटीयू जनरल कौंसिल के सदस्य तथा सीपीआइ (एम) की जिला समिति के सदस्य कामरेड प्रदीप टाह तथा सीपीआइ (एम) की जिला समिति के सदस्य कामरेड कमल गयान की हत्या कर दी।

हड़ताल में भागीदारी

हड़ताल पूरे देश में बहुत प्रभावशाली रही और इसके प्रभाव को पहले से कहीं अधिक देखा गया। अनेक राज्यों में बंद जैसी स्थिति बन गई थी। विशेष तौर पर उल्लेखनीय पश्चिम बंगाल है जहां राज्य सरकार द्वारा चलाए गए दमनचक्र, मजदूरों व कर्मचारियों को दी गई धौंस–धमकियों के बावजूद हड़ताल का प्रभाव अत्यधिक रहा। सत्ताधारी दल की गुण्डा वाहनी की ओर से अनेक स्थानों पर मजदूरों तथा ट्रेड यूनियन कार्यकर्ताओं पर प्राण घातक हमले किए गए किन्तु इस पर भी उनकी विशाल संख्या ने हड़ताल में भाग लिया। यह स्थिति केवल पश्चिम बंगाल, केरल और त्रिपुरा जैसे राज्यों की नहीं है जहां हम मजबूत हैं, अनेक अन्य राज्यों तथा कुछेक राज्यों के अनेक जिलों में हड़ताल के कारण सामान्य जीवन ठप होकर रह गया था।

सार्वजनिक परिवहन जिसमें राज्य सड़क परिवहन निगम की बस सेवाएं तथा आटो रिक्शा इत्यादि भी शामिल हैं, की हड़ताल को बुरी तरह महसूस किया गया। पश्चिम बंगाल, केरल, त्रिपुरा तथा असम में सार्वजनिक परिवहन, निजी बसें, टैक्सियां, ऑटो रिक्शा, मिनी बसें, माल ढोने वाले वाहन सड़कों पर नहीं उतरे; दिल्ली में ऑटो रिक्शा और टैक्सियों की हड़ताल रही; उड़ीसा के परिवहन क्षेत्र में पूर्ण हड़ताल रही; पंजाब, हरियाणा तथा राजस्थान में राज्य सड़क परिवहन की हड़ताल 75 प्रतिशत से लेकर लगभग मुकम्मल रही जबकि तमिलनाडु में यह 50 प्रतिशत रही। पश्चिम बंगाल में सभी निजी परिवहन सड़कों से गायब रहे जबकि आंध्र प्रदेश के 18 जिलों में 80 प्रतिशत निजी परिवहन सड़कों पर नहीं उतरे। देश के उत्तर पूर्वी क्षेत्र में पहली बार परिवहन क्षेत्र की हड़ताल बेंहद प्रभावशाली रही। जम्मू और कश्मीर में भी परिवहन श्रमिकों ने पूरी सक्रियता से हड़ताल में भाग लिया।

सीआइटीयू तथा एचएमएस के संयुक्त आह्वान पर बंगलौर में लगभग सभी ऑटो रिक्शा सड़कों पर नहीं उतरे जबकि एटक ने हड़ताल में भाग नहीं लिया। कर्नाटक के 30 से अधिक शहरों में ऑटो रिक्शा वालों ने हड़ताल में भाग लिया। आंध्र प्रदेश में 6 पालिका नगरों में 90 प्रतिशत तथा 3 और नगरों में 30 प्रतिशत ऑटो रिक्शा वालों ने हड़ताल में भाग लिया। बिहार के कई जिलों में भी सड़क परिवहन क्षेत्र में अच्छी हड़ताल देखी गई।

एक अनुमान के अनुसार सार्वजनिक तथा निज़ी परिवहन के लगभग 75 लाख श्रमिकों ने हड़ताल में बढ़ चढ़ कर भाग लिया।

सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले कर्मचारियों की हड़ताल में भागीदारी इस बार बेहतर रही। कोलकाता और हल्दिया को छोड़ कर देश की सभी बंदरगाहों लगभग पूर्ण हड़ताल रही और गोदियों का काम ठप होकर रह गया। कर्नाटक में कर्नाटक में बीईएमएल, बीएचईएल, आइटीआइ, एचएमटी तथा प्रतिरक्षा क्षेत्र की डीआरडीओ, क्वालिटी कंट्रोल में हड़ताल मुकम्मल रही; बीईएल के कार्यकारी अधिकारियों ने भी श्रमिक संघों के अनुरोध पर हड़ताल में भाग लिया; एचएएल में 27 फरवरी की रात को ही हड़ताल शुरू हो गई थी और 12 बजे शुरू होने वाली पाली में काम करने वाले सभी श्रमिक व कर्मचारी बाहर आ गए थे। तमिलनाडु में चेन्नई, त्रिची तथा ऊटी में तथा उसके आस पास के इलाकों में स्थित एचवीएफ, ओसीएफ, सीवीआरटी, सीवीटीई, इंजन फैक्टरी, कोरडाइट फैक्टरी, ओएफटी, एचएपीपी इत्यादि प्रतिरक्षा उपक्रमों में हड़ताल मुकम्मल

रही। त्रिची तथा रानीपेट के बीईएचएल के संयंत्रों में लगभग पूर्ण हड़ताल रही। आंध्र प्रदेश में ईसीआइएल, बीएचईएल, भेल आर एण्ड डी तथा हैदराबाद में एचसीएल, विजाग स्टील तथा विशाखापत्तनम में शिपयार्ड में हड़ताल मुकम्मल रही। सेलम इस्पात संयंत्र के 85 प्रतिशत श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया जबकि नायवेली में चल रहे गुप्त मतदान के कारण हड़ताल नहीं हो सकी। छत्तीसगढ़, झारखण्ड तथा उड़ीसा में उत्खनन श्रमिकों ने भारी संख्या में हड़ताल में भाग लिया। पैट्रोलियम क्षेत्र में अपस्ट्रीम, रिफायनरियों तथा मार्केटिंग में देश के पूर्वी, पूर्वोत्तर तथा दक्षिणी भागों में हड़ताल को भारी सफलता मिली जबकि पश्चिम भारत में 50 प्रतिशत से अधिक मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया और उत्तरी भारत में हड़ताल आंशिक रही।

तथापि भिलाई इस्पात संयंत्र में काम करने वाले स्थायी श्रमिकों ने हड़ताल नहीं की यद्यपि वहां काम करने वाले 12000 संविदा श्रमिकों ने हड़ताल में पूरी तरह भाग लिया; राउरकेला इस्पात संयंत्र में केवल 30 प्रतिशत स्थायी श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया जबकि ठेका मजदूरों ने पूर्ण हड़ताल रखी; बोकारो इस्पात संयंत्र में हड़ताल आंशिक रही। एनटीपीसी में हड़ताल नहीं हुई। कोयला उद्योग में भी पिछले अवसरों की अपेक्षा इस बार हड़ताल कमजोर रही जबकि एसईसीएल की कुछेक खदानों में केवल 10 से 40 प्रतिशत तक हड़ताल रही; एनसीएल में हड़ताल नहीं रही; तथापि ईसीएल, बीसीसीएल तथा सीसीएल में इस बार हड़ताल को अच्छा प्रत्युत्तर मिला, वहां 70–90 प्रतिशत कोयला श्रमिकों के हड़ताल पर जाने की सूचना मिली है; महानंदी कोलफील्ड में काम करने वाले 50 प्रतिशत श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया। भोपाल, हरिद्वार तथा रामचन्द्रपुरम में हड़ताल बहुत बुरी रही जबकि वहां केवल 20–25 प्रतिशत श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया। इसके विपरीत त्रिची, रानीपेट तथा बंगलौर में हड़ताल मुकम्मल रही। उड़ीसा में नालको में जहां सीआइटीयू कार्यकर्ताओं ने हड़ताल में भाग लिया वहीं दूसरे स्थायी श्रमिकों ने केवल 1–2 घण्टे के लिए हड़ताल में भाग लिया और बाद में वे अपनी ड्यूटी पर चले गए।

ठेका मजदूरों की हड़ताल में भागीदारी विशेष तौर पर उल्लेखनीय रही। सार्वजनिक क्षेत्र की अधिकांश इकाईयों में ठेका मजदूरों की हड़ताल में भागीदारी मुकम्मल रही। यहां तक विभिन्न सार्वजनिक इकाईयों में स्थायी श्रमिकों की भागीदारी अलग–अलग रही। सिंगारेनी कोलफील्ड में 80 प्रतिशत ठेका मजदूरों ने भाग लिया जबकि एटक, इंटक तथा टीआरएस के नेतृत्व द्वारा प्रबंधन को यह सूचना दी गई थी कि स्थायी श्रमिक हड़ताल में भाग नहीं लेंगे इस पर भी 20 प्रतिशत स्थायी श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया। एनटीपीसी आंगुल, राउरकेला तथा विजाग के इस्पात संयंत्रों, गुना में एनएफएल में काम करने वाले सभी ठेका मजदूरों ने हड़ताल में भाग लिया।

निजी संगठित क्षेत्र में हड़ताल के प्रभाव को साफ तौर पर देखा गया। कर्नाटक में पहली बार मंगलौर बंदरगाह के किवाड़ पूरी तरह बंद रहे; आइटीसी में बीओएससीएच की दो इकाईयों, एलएण्डटी, फैडरल मोगुल, वोलवो, वाइप्रो, विक्रांत टायर्स, हुट्टी गोल्ड माइन्स, बिरला उद्योग समूह, हरिहर पोलीफाइबर्स, राजश्री सीमेंट्स, हुण्डालको तथा कोका कोला इत्यादि में काम करने वाले श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया। तमिलनाडु में चेन्नै तथा उसके समीपवर्ती इलाकों में स्थित टीवीएस ग्रुप, सिम्पसन, अशोक लेलैंड, एमआरएफ, एवरेडी, टीआइ समूह, आक्डो वाल्वस, राने इंजन्स, राणे मोटर्स, एलएण्डटी, कोरबोरंडम, इन्नोर फाउंडरी, अरेवा, केसीपी, कापरा, एशियन पेंट्स, एसएसएल – टीटीके, एचएम लांसर, इण्डियन फर्निचर, टीसीएल, भारत एल्युमीनियम जैसे अनेक बड़े निजी उद्योगों में श्रमिकों ने हड़ताल के आह्वान को अच्छा प्रत्युत्तर दिया; एक और औद्योगिक पट्टी होसुर मकें भी हड़ताल मुकम्मल रही जबकि वहां टीवीएस, अशोक लेलैण्ड इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों ने भी हड़ताल में भाग लिया। आंध्र प्रदेश में श्रीकाकुलम, विजयनगरम, हैदराबाद, नैल्लोर, मेडक तथा रंगा रेड्डी जिलों में निजी क्षेत्र के उद्योगों में हड़ताल बेहद प्रभावशाली रही और उनमें काम करने वाले श्रमिकों की बहुसंख्या ने हड़ताल में भाग लिया। छत्तीसगढ़ में बालको लानको ऊर्जा संयंत्रों में हड़ताल मुकम्मल रही जबकि रायपुर में औद्योगिक क्षेत्र की निजी औद्योगिक इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों की 40 प्रतिशत संख्या ने हड़ताल में भाग लिया। मध्य प्रदेश में देवास तथा उसके आस पास के इलाकों में स्थित दर्जनों निजी औद्योगिक इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों तथा केईसी इंटरनेशनल

के श्रमिकों और इंदौर, ग्वालियर इत्यादि स्थानों पर स्थिति निजी क्षेत्र की छोटी औद्योगिक इकाईयों में काम करने वाले श्रमिकों ने हड़ताल में भाग लिया। राजस्थान में भीलवाड़ा, राजसमुंद, कोटा, जोधपुर, खेतड़ी इत्यादि सभी औद्योगिक क्षेत्रों में जोरदार हड़ताल होने के समाचार मिले हैं।

वित्तीय क्षेत्र के कर्मचारियों, पोस्टल कर्मचारियों तथा बीएसएनएल कर्मचारियों की हड़ताल प्रभावपूर्ण रही। तथापि बीएसएनएल के कुछ सर्कलों में हड़ताल कमजोर रही। कुछेक राज्यों में राज्य सरकार के कर्मचारियों ने हड़ताल में भाग लिया, कुछ राज्यों जैसा कि आंध्र प्रदेश में देखा गया, कर्मचारियों ने हाजरी रजिस्टर पर हस्ताक्षर तो किए किन्तु इसके साथ ही उन्होंने जुलूसों में भी भाग लिया। पंजाब में भी कर्मचारियों की ओर से सामूहिक तौर पर आकस्मिक अवकाश लिया गया।

मेडिकल रिप्रजेंटेटिव्स, आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा, मिड–डे मील श्रमिकों, निर्माण श्रमिकों, मण्डी श्रमिकों, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिकों इत्यादि ने लाखों की संख्या में हड़ताल में भाग लिया।

हड़ताल के पक्ष में लीफलैट तथा छोटी–छोटी पुस्तिकाओं के प्रकाशन, बैठकों तथा रैलियों के आयोजनों इत्यादि से अनेक उद्योगों में काम करने वाले उन श्रमिकों जो किसी भी यूनियन के साथ सम्बन्धित नहीं हैं, पर भारी प्रभाव पड़ा। हड़ताल पर प्रकाशित पुस्तिकाओं का भी अच्छा प्रभाव पड़ा है। हरियाणा में फरीदाबाद, दिल्ली, आंध्र प्रदेश तथा दूसरे अन्य राज्यों में उन यूनियनों ने भी हड़ताल में भाग लिया जो स्वतंत्र रूप से काम करती हैं।

इस हड़ताल का एक महत्वपूर्ण पहलू उसमें सेज़ अर्थात् विशेष आर्थिक अंचलों में काम करने वाले श्रमिकों की भागीदारी है। विशाखापत्तनम में सभी सेज़ अर्थात् विशेष आर्थिक अंचल बंद रहे; फार्मा सिटी बंद रहा; नेल्लोर जिले में अपाचे सेज़ के श्रमिकों द्वारा हड़ताल की गई; मद्रास सेज़, ओटीआइएस, रेप्टाकोस, एलटीएम इत्यादि में काम करने वाले श्रमिकों ने भी हड़ताल में भाग लिया। मद्रास सेज़ क्षेत्र में स्थापित बहुराष्ट्रीय कम्पनियों में हड़ताल की कार्रवाई को पहली बार महसूस किया गया।

आम जनता, छोटे कारोबारियों तथा दुकानदारों की ओर से इस हड़ताल का समर्थन किया गया जो इसका एक और अत्यंत महत्वपूर्ण पहलू है। उदाहरण के लिए, छोटे व्यापारियों तथा जनता की दूसरी श्रेणियों की ओर से बंद के आह्वान को अपना समर्थन दिया गया। आंध्र प्रदेश में वाम दलों ने हड़ताल का समर्थन किया। अनेक राज्यों जिनमें छत्तीसगढ़ भी शामिल है, दुकानदारों ने स्वेच्छापूर्वक अपनी दुकानें बंद रखीं। कर्नाटक में 42 तालुक मुख्यालयों, मध्य प्रदेश में ग्वालियर में पूर्ण बंद रखा गया।

देशव्यापी आम हड़ताल के आह्वान के लिए व्यापक जन समर्थन को देखते हुए पश्चिम बंगाल को छोड़ कर और किसी भी राज्य में मजदूरों को डराने–धमकाने, उनके खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाईयां करने और अपने यहां के श्रमिकों व कर्मचारियों के खिलाफ दमनात्मक कार्रवाईयां करने का साहस सरकार को नहीं हुआ।

देश भर में संयुक्त रूप से प्रदर्शनों, रेलियों, सभाओं, धरनों, रास्ता रोका तथा रेल रोको जैसी कार्रवाईयों का आयोजन किया गया। इन प्रदर्शनों में लाखों श्रमिकों जो मुख्यतया असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिक – आंगनवाड़ी कर्मचारी, आशा वर्कर, मिड–डे मील वकर्स, निर्माण श्रमिक, बीड़ी मजदूर, सिर पर बोझा ढोने वाले श्रमिक इत्यादि थे, ने प्रदर्शनों में भाग लिया। मध्य प्रदेश के लगभग सभी जिला मुख्यालयों में विशाल रैलियों तथा प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। आंध्र प्रदेश में 1072 मण्डल केन्द्रों तथा 138 शहरों में हड़ताल वाले दिन मजदूरों की ओर से विशाल प्रदर्शन किए गए तथा सभाओं का आयोजन किया गया जिनमें 2 लाख से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया। उनमें लगभग 80–90 प्रतिशत संख्या सीआइटीयू से जुड़े श्रमिकों की थी। गुजरात में लगभग दस जिला मुख्यालयों में संयुक्त रैलियों का आयोजन किया गया जबकि

आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने 19 जिलों में रैलियां निकालीं। कर्नाटक में 176 में से 147 तालुकों में जुलूस निकाले गए तथा सार्वजनिक सभाओं का आयोजन किया गया। तमिलनाडु में 116 केन्द्रों में संयुक्त रैलियां निकाली गई जिनमें 64495 श्रमिकों ने भाग लिया। दिल्ली के विभिन्न क्षेत्रों में निकाली गईं संयुक्त रैलियों में 30000 – 35000 श्रमिकों ने भाग लिया; कुछेक क्षेत्रों में जहां पहले केवल 40–50 श्रमिकों ने रैली निकाली थी, धीरे–धीरे उनका काफला बढ़ता चला गया और उनमें हजारों श्रमिकों ने भाग लिया। अनेक औद्योगिक क्षेत्रों में कारखानादारों ने उस दिन अपने कारखाने बंद कर दिए। इस पर भी श्रमिकों ने प्रदर्शनों में भाग लिया।

एक पहलू को विशेष तौर पर रेखांकित करना जरूरी है, पिछले दो दशकों में होने वाली यह पहली देशव्यापी आम हड़ताल थी जब पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा की सरकार सत्ता में नहीं थी। तृणमूल कांग्रेस और उसकी मुख्य मंत्री खुले तौर पर हड़ताल में भाग लेने वाले कर्मचारियों को धमकाती रहीं, उनके खिलाफ प्रतिशोध की कार्रवाईयां करने और यहां तक कि उनका रोजगार छीन लेने की चेतावनियां दी जाती रहीं। इसलिए कुछ क्षेत्रों में हडताल की सफलता को लेकर संदेह था। पश्चिम बंगाल में कार्यकर्ताओं तथा श्रमिकों पर प्राण घातक हमलों जिनमें राज्य द्वारा प्रायोजित गुण्डों के हाथों प्रदीप टा तथा कमल ग्यान की हत्या भी शामिल है, के साये तले हड़ताल हुई। राज्य प्रशासन ने अपने सभी कर्मचारियों को हड़ताल से अलग होने के लिए धमकाया। ट्रांसपोर्टरों तथा परिवहन श्रमिकों को भयानक परिणामों की चेतावनी दी गई जिनमें उनके लायसेंस रद्द करना तथा उन पर प्राणघातक हमले करना भी शामिल है। पूरे राज्य में यहां तक कि ब्लाक स्तर पर भी मजदूरों पर संगठित हमले किए गए, उन्हें डराया तथा धमकाया गया ताकि लोग अपनी दुकानें खुली रखें, बसें व दूसरी गाड़ियां चलती रहें, डाकखाने, बैंक, दूर संचार कार्यालय हड़ताल के दिन खुले रहें।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों को भयानक परिणामों की चेतावनी दी गई जिसमें उनकी नौकरी चले जाना और उनके साथ बलात्कार जैसी घटनाओं का होना भी शामिल है। इतना सब होने पर भी परिवहन श्रमिकों विशेष तौर पर निजी क्षेत्र के परिवहन श्रमिकों वे चाहे बड़ी गाड़ियां चलाते हों या छोटी, हड़ताल के आह्वान को जबरदस्त प्रत्युत्तर दिया; शहरों तथा नगरों में अधिकांश दुकानें तथा उपक्रम उस दिन बंद रहे; आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा दूसरी कामकाजी महिलाओं ने बहादुरी से काम लेते हुए उस दिन अपना काम बंद रखा; पूरे राज्य के औद्योगिक श्रमिकों जिनमें जूट, कोयला, इंजीनियरिंग इत्यादि सभी उद्योगों के श्रमिक शामिल हैं, की विशाल बहुसंख्या ने हड़ताल में भाग लिया। बागवानी श्रमिकों ने भी व्यापक स्तर पर हड़ताल में भाग लिया।

केवल मध्य वर्गीय कर्मचारियों के बीच हड़ताल को बहुत कम प्रत्युत्तर मिला जबकि बैंकों, बीमा कम्पनियों, टेलीकाम, सार्वजनिक उपक्रमों तथा केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों की भारी संख्या ने हड़ताल में भाग लिया; राज्य सरकार के कार्यालयों तथा उपक्रमों और नियमित अध्यापकों के बीच हड़ताल आंशिक रही। पूरे राज्य में बड़ी–बड़ी जन सभाओं का आयोजन किया गया जिनमें श्रमिकों की विशाल संख्या ने भाग लिया और कामकाजी महिलाओं ने भी भारी संख्या में इन रैलियों में भाग लिया। उन्होंने अनेक स्थानों पर बहादुरी के साथ पुलिस की दमनकारी कार्रवाईयों का सामना किया। राज्य के श्रमिक वर्ग ने जिस बहादुरी के साथ आतंक और हमलों का मुकाबला किया और भारी संख्या में हड़ताल में भाग लेकर उसे सफल बनाया है, उसके लिए उसकी विशेष तौर पर सराहना की जानी चाहिए। कारपोरेट मीडिया को भी यह स्वीकार करना पड़ा कि पश्चिम बंगाल उन राज्यों में से एक है, जहां हड़ताल के कारण सबसे अधिक प्रभावित हुए।

कमियां तथा कमजोरियां

तथापि अनेक कमियां तथा कमजोरियां भी पाई गई हैं। हम यह नहीं कह सकते कि सभी राज्य समितियों और औद्योगिक फैडरेशनों ने इस अवसर का पूरा लाभ उठाया है। दूसरे श्रमिक संगठनों अथवा उन श्रमिक संघों जो सीआइटीयू के साथ सम्बद्ध नहीं हैं, से सम्बन्ध रखने वाले श्रमिकों की तो बात ही जाने दीजिए, हम स्वयं अपने सदस्यों के साथ भी सम्पर्क स्थापित नहीं कर पाए। सीआइटीयू केन्द्र की ओर से इस सम्बन्ध में बार–बार दिशा निदेश दिए जाते रहे किन्तु इस पर भी इस ओर ध्यान नहीं दिया गया।

अधिकांश राज्य समितियों के प्रयास सम्मेलनों के आयोजन तथा कुछ सामान्य प्रचार अभियान चलाने तक ही सीमित रहे। यह यकीनी बनाने के लिए कि हड़ताल के लिए जो मांगें उठाई गई हैं, उन्हें श्रमिकों की विशाल संख्या में ले जाया जाए, गम्भीर प्रयास नहीं किए गए। जहां सीआइटीयू के सामान्य सदस्यों की संख्या पचास लाख से अधिक है, वहीं हमारी राज्य समितियों तथा सम्बद्ध यूनियनों की ओर से कुल मिला कर जितनी पुस्तिकाएं व दूसरी प्रचार सामग्री प्रकाशित की गई वह किसी भी तरह सदस्य संख्या के अनुपात के आस पास भी नहीं है। वास्तव में लीफलैट/पैम्फलट इत्यादि हमारे सदस्यों की संख्या से अधिक प्रकाशित किए जाने चाहिए थें ताकि उन्हें दूसरी यूनियनों तथा सामान्य श्रमिकों के बीच भी बांटा जाता। आंध्र प्रदेश जैसे कुछेक राज्यों में ही 16 लाख से अधिक लीफलैट प्रकाशित करके बांटे गए जबकि वहां हमारी सदस्य संख्या पांच लाख से कुछ अधिक है। किन्तु उड़ीसा जैसे राज्य जहां हमारी सदस्य संख्या 1 लाख से अधिक है, में 50000 लीफलैट प्रकाशित करने का निर्णय लिया गया था किन्तु वास्तव में 10000 लीफलैट प्रकाशित करके वितरित किए गए। अनेक जिला समितियों तथा यूनियनों ने लीफलैटों का वितरण नहीं किया।

अनेक राज्यों में यद्यपि श्रमिाकें ने हड़ताल में भाग लिया था किन्तु उन्हें उठाई गई मांगों की जानकारी नहीं थी। वे यह भी नहीं जानते थे कि उठाई गई मांगों का सरकार की नीतियों के साथ सम्बन्ध क्या है। यह भी यूनियन/इकाई स्तर पर हमारे नेताओं तथा कार्यकर्ताओं को सक्रिय करने और उन्हें इन सभी बातों की जानकारियां देने के मामले में हमारी कमियों तथा कमजोरियों को दर्शाता है जबकि यही लोग विभिन्न स्तरों पर नेतृत्व तथा सामान्य श्रमिकों के बीच की जीवंत कड़ी होते हैं। हमारे कार्य में प्रचार के महत्व, श्रमिकों के बीच जागरूकता बढ़ाने तथा हमारे संगठन एवं समर्थन के आधार को मजबूत बनाने की जरूरत न समझ पाने की हमारी बहुत बड़ी कमजोरी की ओर भी संकेत करता है। जब हम नित्य प्रतिदिन के कार्यो तथा उनकी रस्मी प्रकृति के दायरे से बाहर नहीं निकल पाते ताकि श्रमिकों में उनकी मांगों को लेकर जागरूकता पैदा की जा सके तब हम शोषणकारी व्यवस्था को समाप्त करने में श्रमिक वर्ग की ऐतिहासिक भूमिका के प्रति उन्हें जागरूक कैसे बना सकते हैं?

हड़ताल की समीक्षा करते समय एक और पहलू पर भी विचार किए जाने की जरूरत है। क्या हम हमारी यूनियन के बाहर अपने सम्पर्कों को बढ़ा सके, और यदि हां, तो किस सीमा तक? हमारी यूनियन तथा इकाई से बाहर हम किस सीमा तक अपने सम्पर्कों का विकास कर सके हैं? हम इस अभियान के लिए किस सीमा तक अपनी यूनियन/इकाई स्तरीय इकाईयों को सक्रिय बना सके हैं? क्या हम अपने संगठन को सुदृढ़ बनाने में सक्षम हो सके हैं? यद्यपि सीआइटीय़ केन्द्र के पास इस समय जो सूचनाएं उपलब्ध हैं, उनके आधार पर इन पहलुओं की समीक्षा करना सम्भव नहीं है तथापि राज्य समितियों को इन पहलुओं को ध्यान में रख कर इस अभियान में अपने कार्यो की समीक्षा जरूर करनी चाहिए और वे अपने विचार सीआइटीयू केन्द्र को भेजें ताकि उनके आधार पर इसका और फलप्रद विश्लेषण किया जा सके। प्राप्त सूचनाओं के अनुसार ऑल इण्डिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन ने इस दिशा में प्रयास किए थे जिनसे उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के परिवहन श्रमिकों को प्रभावित करने में सहायता मिली है और इसके फलस्वरूप अनेक श्रमिकों ने हमारी फैडरेशन में शामिल होने की इच्छा प्रकट की है।

निष्कर्ष

28 फरवरी की देशव्यापी हड़ताल की सफलता दर्शाती है कि श्रमिक केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की एकता से उत्साहित हुए हैं और वे संघर्ष के मैदान में कूदने के लिए तत्पर हैं। न्यूनतम वेतनों, संविदा श्रमिकों के लिए समान वेतनों तथा लाभों, ट्रेड यूनियन अधिकारों, महंगाई तथा पेन्शन इत्यादि मांगों के लिए श्रमिकों का अधिक से अधिक प्रत्युत्तर मिला है। यह उल्लेखनीय है और संघर्ष को आगे बढ़ाते समय इसे ध्यान में रखा जाना चाहिए और हम इसी प्रकार की विशेष मांगों पर हमारे संघर्ष में और तेजी ला सकते हैं।

संगठित उद्योगों में काम करने वाले संविदा श्रमिकों का हड़ताल के आह्वान के प्रति देश भर में प्रत्युत्तर उल्लेखनीय रहा है। अनेक औद्योगिक इकाईयों विशेष तौर पर सार्वजनिक क्षेत्र की इकाईयों में काम करने वाले संविदा श्रमिकों ने नियमित श्रमिकों के हड़ताल से बाहर रहने पर भी व्यापक स्तर पर हड़ताल में भाग लिया है। हमें आगामी चरणों में संविदा श्रमिकों की देशव्यापी कार्रवाई के लिए उद्योगवार संघर्ष में समन्वय स्थापित करने के विचार के साथ संविदा श्रमिकों की मांगों पर उद्योगवार आंदोलन को विकसित करने की योजना बनानी होगी। आधुनिक औद्योगिक अर्थव्यवस्था के कामकाज में उनकी निर्णायक भूमिका को देखते हुए हमें इस काम को प्राथमिकता देनी होगी।

लगभग सभी केन्द्रीय श्रमिक संगठनों की भागीदारी पिछली देशव्यापी हड़तालों की तुलना में इस बार बढ़ी है, किन्तु संयुक्त अभियान चलाना और हड़ताल को प्रभावशाली बनाना वहीं पर सम्भव हो सका है, जहां सीआइटीूय की राज्य समितियों ने पहलकदमियां की थीं। यह तथ्य रेखांकित किया जाना चाहिए। अतः हमारे लिए अपनी इस पहलकदमी को बनाए रखना अनिवार्य हो जाता है; इस एकता को और मजबूत बनाने के लिए केवल केन्द्र के स्तर पर ही नहीं अपितु राज्य एवं फैडरेशनों के स्तरों पर भी ऐसा किया जाना चाहिए।

जब सीआइटीयू तथा उससे सम्बद्ध यूनियने इतनी मजबूत होंगी कि वे दूसरी ट्रेड यूनियनों को संघर्ष के लिए प्रेरित कर सकेगी तभी यह सम्भव हो सकेगा, यह बात भी हमें समझ लेनी चाहिए। हमारे द्वारा स्वतंत्र रूप से अभियान चलाने, संघर्ष करने और श्रमिकों के बीच प्रचार कार्य करने से ही सीआइटीयू की आगे बढ़ सकता है।

हमें श्रमिकों की कुछ ज्वलंत तथा तात्कालिक मांगों का पता लगाना होगा और उन पर प्रभावशाली प्रचार अभियान चलाने की योजना बनानी होगी जिसकी चरम परिणति एक जुझारू स्वतंत्र संघर्ष के रूप में हो। संयुक्त अभियान चलाते समय हमें ये सभी प्रयास करने होंगे।

****

कार्य समिति की कुल्लू बैठक के बाद सीआइटीयू की गतिविधियां

कुल्लू में सम्पन्न सीआइटीयू कार्य समिति की बैठक के बाद की अवधि हमारी अधिकतर गतिविधियां संयुक्त श्रमिक आंदोल्लन द्वारा किए गए आह्वानों को प्रभावी कार्यान्वयन से जुड़ी रहीं जैसे 8 नवम्बर 2011 का जेल भरो आंदोलन और 28 फरवरी 2012 की देशव्यापी आम हड़ताल इत्यादि। तथापि, सीआइटीयू की राज्य समितियों, सम्बद्ध यूनियनों तथा औद्योगिक फैडरेशनों द्वारा स्वतंत्र रूप से अभियान चलाए गए तथा संघर्ष किए गए। यद्यपि आंध्र प्रदेश जैसी राज्य समितियां अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट न्यूनाधिक भेजती रही हैं किन्तु रिपोर्ट न भेजने के मामले में दूसरी अधिकांश राज्य समितियों की यह कमजोरी बनी हुई है।

नीचे दी जा रही गतिविधियों की रिपोर्ट सीआइटीयू केन्द्र को प्राप्त हुई सूचनाओं पर आधारित है। 28 फरवरी की देशव्यापी हड़तल की समीक्षा हमारी गतिविधियों का सबसे अधिक महत्वपूर्ण भाग है। इसे अलग से दिया जा रहा है।

8 नवम्बर 2011 का जेल भरो आंदोलन

8 नवम्बर 2011 का जेल भरो आंदोलन बहुत सफल रहा था। देश भर में लाखों श्रमिकों ने उसमे भाग लिया था और उस दिन पूरे देश में प्रदर्शनों, धरनों, रैलियों, रास्ता रोको तथा विरोध की दूसरी कार्रवाईयों का आयोजन किया गया था और गिरफ्तारियां दी गई थीं।

अनेक राज्यों में जिनमें ''हिन्दी भाषी राज्य'' भी शामिल हैं, लगभग सभी जिलों तथा औद्योगिक केन्द्रों में श्रमिकों की विशाल संख्या ने ''जेल भरो कार्यक्रम'' में भाग लिया। हरियाणा, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल तथा केरल के सभी जिलों और पंजाब, हिमाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ तथा कर्नाटक के लगभग सभी जिलों में श्रमिकों ने गिरफ्तारियां दीं। मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र तथा उत्तर प्रदेश सहित अनेक दूसरे राज्यों के अनेक औद्योगिक केन्द्रों में ''जेल भरो'' कार्यक्रम किया गया और उत्तर प्रदेश के अनेक औद्योगिक केन्द्रों तथा जिला मुख्यालयों में श्रमिकों ने भारी संख्या में गिरफ्तारियां दीं। त्रिपुरा में सभी सब डिविजनों और आंध्र प्रदेश में 663 मण्डलों तथा 81 पालिका शहरों; छत्तीसगढ़ में 11 केन्द्रों; गुजरात में 9 जिलों; हिमाचल प्रदेश के 12 में से 11 जिलों में श्रमिकों द्वारा गिरफ्तारियां दी गईं। पश्चिम बंगाल के कुछ स्थानों पर पुलिस ने श्रमिकों पर हमले किए। मालदा पुलिस ने भारी लाठीचार्ज किया जिससे 32 श्रमिक घायल हो गए। बर्दवान में एक महिला नेत्री सहित सीआइटीयू के दो नेताओं के साथ पुलिस ने बदसलूकी की।

आल इण्डिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन

ऑल इण्डिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन की उत्तरी जोन समिति की बैठक 2 अगस्त 2011 को नयी दिल्ली में हुई। बैठक में हिन्दी भाषी क्षेत्रों में सड़क परिवहन श्रमिकों के आंदोलन को मजबूत बनाने का फैसला किया गया। हरियाणा, राजस्थान, पंजाब और जम्मू व कश्मीर के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया।

एफसीआइ यूनियनों की अखिल भारतीय समन्वय समिति

एफसीआइ यूनियनों के एक अखिल भारतीय सम्मेलन का आयोजन 8 अगस्त 2011 को लखनऊ, उत्तर प्रदेश में किया गया। इस सम्मेलन में भारतीय खाद्य निगम (एफसीआइ) में सक्रिय मजदूर यूनियनों की एक अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन किया गया। सम्मेलन में लगभग 1200 प्रतिनिधियों जो विभिन्न राज्यों से आए थे, ने भाग लिया। 30 प्रतिनिधियों ने बहस में भाग लिया। इस अवसर पर एक जुलूस भी निकाला गया।

ऑल इण्डिया फैडरेशन ऑल आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स

ऑल इण्डिया फैडरेशन ऑल आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स (आइफा) की 2–4 अगस्त को कुल्लू में सम्पन्न बैठक में छठे सम्मेलन में लिए गए निर्णयों तथा निर्धारित दिशा निदेशों को लागू किए जाने के बारे में मध्यावधि समीक्षा की गई। बैठक में कार्य समिति के 133 सदस्यों तथा जम्मू एवं कश्मीर, पांडिचेरि तथा त्रिपुरा को छोड़ कर सभी राज्य समितियों के आमंत्रित प्रतिनिधियों ने भाग लिया। मध्यावधि समीक्षा में रेखांकित किया गया कि संघर्षो को तेज करने के प्रयास हुए हैं और छठे सम्मेलन के दिशा निदेशों के अनुसार स्थानीय समस्याओं को उठाया गया है और इसके फलस्वरूप संगठन की स्थिति में सुधार हुआ हे। इस पर भी अनेक राज्य समितियां अपने सदस्यों में जागरूकता के स्तर को ऊंचा करने और कार्यकर्ताओं का विकास करने के काम की ओर आवश्यक ध्यान नहीं दे रही हैं। यह भी रेखांकित किया गया कि संगठन की सदस्य संख्या हमारे प्रभाव को प्रतिबिम्बित नहीं करती।

आइफा का सातवां सम्मेलन 4–7 अक्टूबर 2012 को तिरुवनंथपुरम में होना निश्चित हुआ है जो वर्ष 2011 की सदस्य संख्या के आधार पर होगा।

आशा कार्यकर्ताओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति

आशा कार्यकर्ताओं की अखिल भारतीय समन्वय समिति की ओर से 24 नवम्बर 2011 को नयी दिल्ली में एक विशाल रैली का आयोजन किया गया। इस रैली में लगभग 6000 आशा कार्यकर्ताओं ने भाग लिया जो 15 राज्यों से रैली में भाग लेने के लिए आई थीं। रैली में आशा कार्यकर्ताओं की मांगों जैसे नियमितीकरण, निर्धारित पारिश्रमिक, नियमित भुगतान, इत्यादी को उठाया गया। स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्री को एक ज्ञापन भी भेंट किया गया।

राज्यों में गतिविधियां

आंध्र प्रदेश

''104 सेवाओं'' में कार्यरत लगभग 3000 कर्मचारियों जो चिकित्सा सेवाएं उपलब्ध कराते हैं और जिन्हें राज्य सरकार ने आउटसोर्स किया हुआ है, द्वारा अपनी मांगों के लिए 111 दिनों तक हड़ताल की गई। यह हड़ताल 9 नवम्बर 2011 को को शुरू हुई थी और 28 फरवरी 2012 तक चली। उनकी मांग थी कि उनके वेतनों तथा रोजगार सुरक्षा की मांग के सम्बन्ध में सरकार द्वारा जारी किए गए आदेश को लागू किया जाए। सरकार ने पहले तो 900 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त करने का प्रयास किया किन्तु बाद में उसे इस प्रश्न पर यूनियन के साथ समझौता करना पड़ा। सरकार उन कर्मचारियों को वैकल्पिक रोजगार प्रदान करने पर सहमत हो गई जिनकी सेवाएं समाप्त कर दी गई थीं और इसके साथ ही सरकार के सम्बन्धित आदेश को लागू करने पर भी सहमत हो गई।

12000 कम्पयूटर शिक्षकों जो केन्द्रीय सरकार के एक कार्यक्रम के एक भाग के रूप में स्कूलों में बच्चों को कम्पयूटर शिक्षा प्रदान करते हैं, में से 5000 कम्पयूटर शिक्षकों द्वारा अपनी मांगों के लिए 16 सितम्बर 2011 से 28 दिसम्बर 2011 तक 105 दिन की हड़ताल की गई। उनकी ओर से 30 दिनों तक हैदराबाद में रैलियां की गई तथा अनिश्चितकालीन भूखहड़ताल की गई। इन शिक्षकों को अनुबंध के आधार पर नियुक्त किया जाता है। वे हड़ताली संघर्ष के फलस्वरूप अपने वेतनों में 600 – 800 रुपए की बढ़ोतरी कराने में सफल रहे। उनकी हड़ताल की पूरी अवधि में सीआइटीयू राज्य समिति द्वारा प्रतिदिन ट्रेड यूनियन कक्षाओं का आयोजन किया जाता रहा।

राजीव गांधी यूनिवर्सिटी ऑफ नोलेज टैक्नालोजीज़ (राजीव गांधी ज्ञान प्रौद्योगिकीय विश्वविद्यालय) के तीन केन्द्रों में काम करने वाले 1000 कर्मचारियों जिनमें शिक्षक व गैर शिक्षक दोनों शामिल हैं, ने दिसम्बर 2011 में अपनी मांगों के लिए हड़ताल की जो 28 दिन चली। यद्यपि हड़ताल में भाग लेने के कारण उनमें से 250 कर्मचारियों की सेवाएं समाप्त कर दी गई इस पर भी उन्होंने साहस से काम लेते हुए अपनी हड़ताल जारी रखी। आखिर होम रूम ट्यूटर्स (एचआरटीज़) के बहाल होने तथा कर्मचारियों के लिए क्वार्टरों के आबंटन, वेतन बढ़ोतरी, नियमित पदों के लिए स्वीकृति मिल जाने पर यह हड़ताल वापस ले ली गई।

शहरी स्वास्थ्य केन्द्रों जिनमें एनआरएचएम के अन्तर्गत स्थापित 76 केन्द्र भी शामिल हैं, में काम करने वाले लगभग 2000 कर्मचारी हाल ही में सीआइटीयू में शामिल हो गए हैं। उन्होंने पिछले अनेक वर्षो से अपनी स्वतंत्र यूनियन बनाई हुई थी और उसी यूनियन के झण्डे तले में संगठित हुए थे। राज्य के 19 जिलों में समितियों का गठन कर दिया गया है।

राज्य सरकार के विभिन्न विभागों में काम करने वाले संविदा श्रमिकों के राज्य स्तरीय सम्मेलन का आयोजन 10 जनवरी 2012 को हैदराबाद में किया गया। राज्य के 16 जिलों से 350 प्रतिनिधियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन ने नियमितीकरण तथा महंगाई भत्ते की मांगों पर संघर्ष करने का कार्यक्रम बनाया था।

संयुक्त संघर्ष के फलस्वरूप बीड़ी श्रमिकों को न्यूनतम वेतन मिलने लगा है और इस बारे में सरकार का आदेश जारी हो चुका है किन्तु इस पर भी सरकार के सम्बन्धित आदेश को उसके गज़ट में प्रकाशित नहीं किया गया। इसके विपरीत सरकार की ओर से बीड़ी मालिकों के कहने पर और श्रमिक संघों के साथ विचार विमर्श किए बिना ही त्रिपक्षीय समितियों का गठन किया जा रहा है। एटक, बीएमएस, इंटक, टीएनटीयूसी तथा तेलंगाना कार्मिका संध से सम्बद्ध यूनियनों सहित कुछ दूसरी यूनियनों ने प्रबंधनों के साथ समझौता करके सरकारी आदेश में सुझाए गए वेतनों से भी कम वेतनों को स्वीकार कर लिया था। हमारी यूनियन ने इसके खिलाफ स्वतंत्र रूप से अभियान चलाया और मांग की कि सरकार द्वारा प्रस्तावित वेतनों को गज़ट में शामिल किया जाए। बीड़ी मजदूरों की ओर से जबरदस्त प्रदर्शन किए गए तथा आठ जिलों में सरकार के पुतले जलाए गए। इस अवसर पर पचास हजार पैम्फलट बांटे गए। आइएफटीयू तथा एएफटीयूसी के साथ मिल कर एक राज्य सम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें 200 बीड़ी मजदूरों ने भाग लिया जो राज्य के आठ जिलों से आए थे। आखिरकार राज्य सरकार को मजबूर होकर सरकारी आदेश को गज़ट करना पड़ा।

सिविल सप्लाई हम्मालियों के राज्य सम्मेलन का आयोजन 13 नवम्बर 2011 को किया गया। सम्मेलन में राज्य के नौ जिलों से आए 70 हम्मालियों ने भाग लिया। आयुक्त के कार्यालय के आगे 7 दिसम्बर को धरना दिया गया जिसमें आठ जिलों से आए 700 हम्मालियों ने भाग लिया। वे अपने वेतनों में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे थे। इस अवसर पर 8000 लीफलैट बांटे गए और यूनियन ने सरकार को 6 मार्च से हड़ताल पर जाने का नोटिस दिया। राज्य सरकार को वेतन वृद्धि, बोनस, ईएसआइ, वर्दियों तथा पिछली बकाया राशियों के भुगतान के मुद्दे पर यूनियन के साथ समझौता करना पड़ा।

चित्तूर जिले में 10000 पावर लूम श्रमिकों द्वारा फरवरी – मार्च 2012 में एक सप्ताह तक हड़ताल की गई। वे अपनी उजरत दरों में बढ़ोतरी करने की मांग कर रहे थे। हड़ताल के फलस्वरूप उनकी उजरत दर में 1.75 रुपए प्रति मीटर की बढ़ोतरी हुई। बाद में सीआइटीयू के साथ सम्बद्ध एक जिला स्तरीय यूनियन का गठन किया गया। तमिलनाडु के साथियो ने 14 मार्च को आयोजित जन सभा में भाग लिया।

तिरुमाला तिरुपति देवस्थानम में काम करने वाले कुल 8000 संविदा श्रमिकों में से 1000 श्रमिकों ने वर्तमान में लागू सरकारी आदेश के अनुसार वेतन देने की अपनी मांग के लिए प्रशासकीय कार्यालय के आगे धरना दिया। सीआइटीयू के उप महासचिव के नेतृत्व मं उनकी ओर से अनिश्चितकालीन भूखहड़ताल की गई जो 13 – 16 मार्च तक चार दिन चली। प्रबंधन द्वारा मार्च के अंत तक पूरे मामले का निपटारा कर देने का आश्वासन दिए जाने पर भूखहड़ताल वापस ले ली गई।

हमारी अनेक राज्यव्यापी यूनियनों की ओर से मार्च 2012 में विधान सभा अधिवेशन के दिनों "चलो असेंबली" कार्यक्रमों का आयोजन किया गया।

मिड–डे–मील वर्कर्स यूनियन ने 5 मार्च को "चलो असेंबली" कार्यक्रम किया जिसमें लगभग 3000 मिड–डे–मील वर्कर्स ने भाग लिया। राज्य सरकार 1 – 5 कक्षाओं के छात्रों के खाने के खर्च को बढ़ा कर 4 रुपए प्रति बच्चा और 6 – 10 वीं कक्षा के छात्रों के लिए 4.65 रुपए करने पर सहमत हो गई; वह पहचान पत्र तथा रोजगार सुरक्षा जैसी उनकी मांगों पर सकारात्मक दृष्टि से विचार करने पर भी सहमत हो गई। यूनियन ने यह मांग भी की थी कि सरकार मिड–डे–मील कार्यक्रम को एनजीओ अथवा ठेकेदारों इत्यादि के हवाले करके उसका निजीकरण करना बंद करे।

"चलो असेंबली" कार्यक्रम में 15000 आंगनवाड़ी कर्मचारियो ने भाग लिया। एपी आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स यूनियन ने 6 मार्च को इस कार्यक्रम का आयोजन किया था। उसकी मांग थी कि आंगनवाड़ी कर्मचारियों को बढ़े हुए वेतन तथा उनकी पिछली बकाया राशियों का भुगतान किया जाए। सरकार ने इस प्रश्न पर कर्मचारियों में पनप रहे आक्रोश को अनुभव करते हुए 5 मार्च को प्रेस में सरकारी आदेश जारी कर दिया जिसमें कर्मचारियों को 5 मास की पिछली बकाया राशियों का भुगतान करने की घोषणा की गई थी। इसके पश्चात् एक और सरकारी आदेश जारी किया गया जिसमें पूरी बकाया राशियों का भुगतान कर देने की घोषणा की गई थी।

इससे पूर्व लगभग 3000 आशा कार्यकर्ताओं ने 12 मार्च को "चलो असेंबली" कार्यक्रम का आयोजन करके विधान सभा की ओर मार्च किया गया। सरकार ने दिसम्बर 2011 तक बकाया प्रोत्साहन राशियां जारी कर दीं।

राज्य के 12 जिलों में स्थित मण्डल मुख्यालयों में स्टडी सर्कल लगाए गए। नौ जिलों के पालिका शहरों में आवासीय क्षेत्रों की समस्याओं पर काम करने वाले सीआइटीयू कार्यकर्ताओं के लिए कक्षाओं का आयोजन किया गया।

सीआइटीयू के मण्डल स्तरीय सम्मेलनों के आयोजन का काम राज्य के दस जिलों में पूरा कर लिया गया है।

मारूति सुजुकी कर्मचारियों के संघर्ष के प्रति एकजुटता व्यक्त करने के लिए दसय जिलों में मारूति सुजुकी शो रूमस तथा सेल्स कार्यालयों के आगे धरने दिए गए।

सीआइटीयू की पूर्वी गोदावरी जिला समिति येनाम (पांडिचेरि) में रीजेंसी सेरामिक्स श्रमिकों के संघर्ष का शुरू से ही पूरा समर्थन किया था। पुलिस बर्बरता के खिलाफ राज्य भर में विरोध जुलूस निकाले गए। सीआइटीयू का एक राज्य पदाधिकारी

कुछ दिन येनाम में रहा और उसकी ओर से आंदोलनकारी श्रमिकों को हर जरूरी मदद दी गई। राज्य महासचिव ने मुरली मोहन की स्मृति में आयोजित शोक सभा में भाग लिया। राज्य भर से एकजुटता फण्ड एकत्रित किया गया।

असम

आल इण्डिया रोड ट्रांसपोर्ट वर्कर्स फैडरेशन की असम राज्य समिति ने मोटर व्हीकल कर के एक ही समय में भुगतान के मुद्दे पर राज्य स्तरीय धरने का आयोजन किया। उसने केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के आह्वान पर पहले 8 नवम्बर 2011 को जेल भरो फिर 28 फरवरी 2012 को अखिल भारतीय आम हड़ताल में भी भाग लिया।

छत्तीसगढ़

सीआइटीयू की छत्तीसगढ़ राज्य समिति द्वारा 1 सितम्बर 2011 से 22 सूत्रीय मांगों पर 21 दिवसीय राज्यव्यापी अभियान चलाया गया। इस अभियान की चरम परिणति 22 सितम्बर को रायपुर में एक अत्यंत प्रभावशाली जन सभा के रूप में हुई। इस जन सभा में मेहनतकश अवाम की विभिन्न श्रेणियों के पांच हजार से अधिक लोगों ने भाग लिया।

दिल्ली

सीआइटीयू की दिल्ली राज्य समिति की ओर से श्रम कानूनों को लागू करने, ठेकेदारी प्रथा समाप्त करने और नियमित प्रकृति के कार्यों में केवल नियमित कर्मचारियों की भर्ती करने जैसी मांगों के लिए 18 अक्टूबर 2011 को श्रमायुक्त कार्यालय के आगे विशाल प्रदर्शन का आयोजन किया। विभिन्न उद्योगों में काम करने वाले श्रमिकों ने इस प्रदर्शन में भाग लिया।

इंटरनेशनल इलेक्ट्रान डिवाइसिस के श्रमिकों द्वारा 7 अक्टूबर 2011 को नौएडा में उप श्रमायुक्त कार्यालय के समक्ष विशाल धरना दिया गया। वे प्रबंधन द्वारा पिछली 26 सितम्बर से एकपक्षीय तौर पर लागू की गई तालाबंदी के खिलाफ विरोध व्यक्त कर रहे थे। इस धरने में 500 से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया। जिला मजिस्ट्रेट को उनका ज्ञापन लेने के लिए मजबूर हो जाना पड़ा। ये श्रमिक मांग कर रहे थे कि प्रबंधन द्वारा सहमति प्रतिवेदन पर सख्ती से पालन किया जाए और गैर कानूनी तालाबंदी समाप्त की जाए और तालाबंदी की अवधि में श्रमिकों का जो नुकसान हुआ है, उसके लिए उन्हें मुआवजा दिया जाए।

गुजरात

गुजरात आंगनवाड़ी कर्मचारी संगठन की ओर से 26 मार्च 2012 को गांधी नगर में विधान सभा के समक्ष विशाल धरना दिया गया। राज्य के 19 जिलों से आए लगभग 5000 आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने धरने में भाग लिया। उनकी मांग थी कि उनके न्यूनतम वेतन 6000 – 7000 रुपए प्रति मास किए जाएं, साठ वर्ष की आयु होने पर सेवानिवृत्ति के समय उन्हें पेन्शन तथा ग्रेच्युटी सहित दूसरे सभी सेवा लाभ दिए जाएं। पहले ही सेवानिवृत्त हो चुके कर्मचारियों जिन्हें कोई लाभ नहीं दिया गया, को मुआवजा दिया जाए, वार्षिक बोनस के रूप में आंगनवाड़ी कर्मचारियों की 62 करोड़ रुपए की पिछली बकाया राशि का भुगतान तत्काल किया जाए।

राज्य सरकार ने पहले एकतरफा तौर पर काम करते हुए कर्मचारियों का ज्ञापन तक लेने से इन्कार कर दिया था किन्तु जब आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने सत्याग्रह पर बैठने की चेतावनी दी तो उसे मजबूर होकर उनकी मांगें स्वीकार करनी पड़ीं।

हरियाणा

निर्माण श्रमिकों की यूनियन की ओर से जुलाना में एक प्रभावशाली प्रदर्शन किया गया। यूनियन की मांग थी कि सभी निर्माण श्रमिकों के पंजीकरण का काम जल्द से जल्द समाप्त किया जाए; मृत्यु हो जाने पर मुआवजा दिया जाए; निर्माण

तथा भवन निर्माण श्रमिकों के लिए लागू होने वाले सभी लाभ दिए जाएं इत्यादि। एसडीओ को एक मांग पत्र भी भेंट किया गया।

आइएफबी ऑटोमोबाइल्स श्रमिकों की ओर से 12 जुलाई 2011 को सीआइटीयू के नेतृत्व में धरना दिया गया। उनकी मांग थी कि श्रम कानूनों का पालन किया जाए; आठ घण्टे का कामकाजी दिवस लागू किया जाए; न्यूनतम वेतन दिए जाएं; स्थायी तथा स्थायी प्रकृति का काम करने वाले नैमित्तिक श्रमिकों को नियमित किया जाए इत्यादि। समीपवर्ती गांवों के किसानों ने भारी संख्या में श्रमिकों की मांगों के समर्थन में धरने में भाग लिया।

हिमाचल प्रदेश

आंगनवाड़ी वर्कर्स एण्ड हैल्पर्स यूनियन, हिमाचल प्रदेश के नौवें राज्य सम्मेलन का आयोजन 9–10 जुलाई 2011 को मण्डी में किया गया। सम्मेलन में प्रदेश के कुल 14 में से 12 जिलों से आए 200 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। सम्मेलन का समारम्भ 9 जुलाई को एक रैली के साथ हुआ। सम्मेलन ने स्थानीय मांगों को लेकर दूसरे चरण के संघर्ष को तेज करने और सदस्यता अभियान चलाने का निर्णय लिया।

जम्मू एवं कश्मीर

आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा आशा वर्कर्स के एक संयुक्त सम्मेलन का आयोजन 2 अक्टूबर 2011 को जम्मू में किया गया। सम्मेलन में लगभग 100 आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा आशा वर्कर्स ने भाग लिया। वे जम्मू, कठुआ, राजौरी, रियासी तथा ऊधमपुर सहित जम्मू क्षेत्र के जिलों से सम्मेलन में भाग लेने के लिए आए थे। सम्मेलन में आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा आशा वर्कर्स की समस्याओं पर विस्तार में विचार किया गया और उनकी स्थानीय समस्याओं को लेकर अभियान तथा संघर्ष चलाने और दोनों संगठनों को मजबूत बनाने का निर्णय लिया गया।

कश्मीर घाटी में दस जिलों से लगभग 1000 आशा वर्कर्स ने सीआइटीयू से सम्बद्ध जम्मू एवं कश्मीर आशा कर्मचारी यूनियन के झण्डे तले 4 अक्टूबर 2011 को श्रीनगर में एक रैली में भाग लिया। उनके द्वारा उठाई गई मांगों में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन को जारी रखने, नियमित वेतनों का निर्धारण करने, उनके पारिश्रमिक का नियमित भुगतान करना इत्यादि शामिल थीं। इसके अतिरिक्त मोबाइल फोन के लिए सिम कार्ड, वर्दियां, अस्पतालों में विश्राम कक्ष जैसी सुविधाएं उपलब्ध कराए जाने सम्बन्धी पहले से दिए गए आश्वासनों को लागू करने की मांग भी की गई। सरकारी अस्पतालों में नियमित कर्मचारियों को हैरान–परेशान किए जाने पर तत्काल रोक लगाने की मांग की गई। नेशनल कान्फ्रेंस के एक कार्यकर्ता की मृत्यु के बाद शहर में तनाव की स्थिति बन जाने के कारण पहले से निश्चित विधान सभा मार्च का कार्यक्रम रद्द कर दिया गया।

झारखण्ड

कुल्लू कार्य समिति बैठक के बाद सीआइटीयू केन्द्र में देर से पहुंची सूचना के अनुसार सीआइटीयू से सम्बद्ध हटिया मजदूर यूनियन ने रांची में एचईसी आपूर्ति एवं ठेका मजदूरों के संघर्ष का नेतृत्व किया था। ठेका मजदूरों की मांगों को लेकर कई बार धरने दिए गए, रैलियां निकाली गई तथा हड़तालें की गईं जिसके फलस्वरूप प्रबंधन को यूनियन के साथ समझौता करने पर विवश होना पड़ा। यह समझौता 20 जून को किया गया। सीआइटीयू के नेतृत्व वाली यूनियन की ओर से निरंतर संघर्ष चलाए जाने के परिणामस्वरूप समझौते की अवधि को 10 वर्ष से कम करके साढ़े पांच वर्ष कराया जा सका। समझौते के अन्तर्गत ठेका मजदूरों को मौद्रिक लाभों के साथ–साथ दूसरे सेवा लाभ भी हासिल होंगे।

वेतनों में संशोधन किया गया। अकुशल श्रमिक के वेतन को 114 रुपए से बढ़ा कर 268 रुपए, अर्ध कुशल श्रमिक के वेतन को 126 रुपए से बढ़ा कर 286 रुपए, कुशल श्रमिक के वेतन को 153 रुपए से बढ़ा कर 326 रुपए, अत्यंत कुशल श्रमिकों की श्रेणियों के श्रमिकों का वेतन 170 रुपए से बढ़ा कर 352 रुपए और सुपर कुशल श्रमिकों का वेतन 179 रुपए से बढ़ा कर 365 रुपए कर दिया गया। समझौते में यह भी निर्धारित किया गया है कि सात वर्ष तथा इससे अधिक समय का कामकाजी अनुभव रखने वाले अकुशल श्रमिक अर्ध कुशल श्रमिकों को मिलने वाला वेतन पाने का अधिकार होगा और इतना ही अनुभव रखने वाले अर्ध कुशल श्रमिक कुशल श्रमिकों को मिलने वाला वेतन पाने के अधिकारी होंगे।

जिन व्यक्तियों का अकुशल श्रमिक के रूप में आठ वर्ष अथवा अर्ध कुशल तथा कुशल श्रमिक के रूप में 15 वर्ष, का कामकाजी अनुभव होगा उन्हें उससे ऊपर की श्रेणी के श्रमिकों का वेतन मिलेगा। अत्यंत कुशल श्रमिक के रूप में 7 वर्ष अथवा कुशल श्रमिक के रूप में 15 वर्ष का कामकाजी अनुभव रखने वाले व्यक्तियों को एक साथ सुपर कुशल श्रमिक के वेतन दिए जाएंगे।

कर्नाटक

सीआइटीयू की कर्नाटक राज्य समिति वर्ष 2008 से संगठित तथा असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की विशेष मांगों को लेकर संघर्ष के कार्यक्रम चलाती रही है। इन्हीं संघर्षों को जारी रखते हुए 26 नवम्बर 2011 को बंगलौर में एक विशाल राज्य स्तरीय प्रदर्शन किया गया जिसमें लगभग 20000 श्रमिकों ने भाग लिया। इसके कारण सरकार को एक बैठक बुलानी पड़ी जिसमें राज्य सरकार के अनेक मंत्रियों तथा प्रधान सचिवों ने भाग लिया और सीआइटीयू के राज्य पदाधिकारियों के साथ विचार विमर्श किया। राज्य सरकार न्यूनतम वेतनों के मुद्दे पर विशेषज्ञों की एक समिति का गठन करने के लिए सहमत हो गई जिसमें सीआइटीयू की राज्य समिति के अध्यक्ष तथा महासचिव को भी शामिल किया गया।

सामान्य संघर्षों को जारी रखते हुए 17 से 19 अप्रैल 2012 तक श्रमायुक्तों के कार्यालयों के आगे धरने दिए गए तथा प्रदर्शन किए गए। राज्य के 25 जिलों में जिलाधीशों के कार्यालयों के आगे 19 अप्रैल को प्रदर्शन किए गए। प्रमुख मांगों में 2008 को आधार वर्ष मान कर अकुशल श्रमिकों के लिए 10000 रुपए का न्यूनतम वेतन निर्धारित करने तथा उसे मूल्य सूचकांक से जोड़ने, ठेका मजदूरों तथा दैनिक वेतनों पर काम करने वाले सभी ठेका मजदूरों को औद्योगिक श्रमिकों वाले न्यूनतम वेतन देने, सरकारी विभागों/उपक्रमों में दस साल की सेवा पूरी कर लेने वाले अस्थायी श्रमिकों को नियमित करने, आंगनवाड़ी तथा मिड–डे–मील व आशा वर्कर्स जैसे श्रमिकों के लिए कल्याण योजनाएं बनाने व लागू करने, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों को पहचान पत्र देने, कल्याण कार्यक्रमों को प्रभावशाली ढंग से लागू करने, गांवों के पंचायत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन, राशन कार्ड, देने और दो रुपए प्रति किलो की दर से उन्हें चावल व गेहूं देने, आवासीय घरों के पट्टे देने, सभी श्रमिकों को पेन्शन तथा सामाजिक सुरक्षा के लाभ देने, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों के बच्चों को वजीफे देने, सभी कामकाजी महिलाओं को 180 दिन के वेतन के साथ प्रसूति अवकाश देने, पेट्रोल तथा डीज़ल इत्यादि के दाम घटाने जैसे मांगें शामिल हैं।

श्रमायुक्त ने श्रम विभाग के दूसरे अधिकारियों के साथ मिल कर सीआइटीयू के राज्य पदाधिकारियों के साथ श्रमिकों की मांगों पर विचार विमर्श किया। वह असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों की अनेक श्रेणियों को जनश्री बीमा योजना, आरएसबीवाई इत्यादि कुछ कल्याण योजनाओं के अन्तर्गत लाने पर सहमत हो गए। उन्होंने आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा एवं मिड–डे–मील वर्कर्स इत्यादि के लिए न्यूनतम वेतन की प्रस्तावित अधिसूचना लाने पर भी सहमति व्यक्त की। वह गांव पंचायत श्रमिकों को न्यूनतम वेतन तथा दूसरे लाभ प्रदान करने के लिए उन्हें किसी समुचित योजना के अन्तर्गत लाने पर भी सहमत हो गए।

केरल

सड़क परिवहन श्रमिकों का राज्य स्तरीय सम्मेलन 10 अगस्त 2011 को हुआ। उस सम्मेलन में सड़क परिवहन श्रमिकों के परिसंघ का गठन किया गया। राज्य में सड़क परिवहन श्रमिकों की यूनियन की सदस्य संख्या निश्चित समय सीमा में बढ़ा कर पांच लाख करने का निर्णय लिया गया।

केरल में आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं ने आंगनवाड़ी तर्कर्स एण्ड हैल्पर्स एसोसिएशन (सीटू) के नेतृत्व में अपने मानदेय और पेन्शन में बढ़ोतरी कराने में सफलता हासिल की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाली यूडीएफ सरकार की ओर से उनके द्वारा चलाए गए लम्बे संघर्ष जिसकी चरम परिणति धरने तथा 19 मार्च 2012 को थिरुवनंथपुरम में विधान सभा के समक्ष विशाल प्रदर्शन के रूप में हुई थी, के बाद की गई। अब आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं तथा सहायिकाओं दोनों को राज्य सरकार से 1000 रुपए का मानदेय मिलेगा। पेन्शन राशि को भी कार्यकर्ताओं के लिए 750 रुपए तथा सहायिकाओं के लिए 550 रुपए प्रति मास कर दिया गया है।

मध्य प्रदेश

गुना में नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड में काम करने वाले ठेका मजदूरों ने सीआइटीयू की पहलकदमी से संयुक्त संघर्ष चलाया जिसके परिणामस्वरूप 700 मजदूरों के वेतनों में 40 प्रतिशत बढ़ोतरी हुई, उन्हें 16 प्रतिशत बोनस, गम बूट तथा वर्दियां मिलीं। सीआइटीयू ने प्रबंधन द्वारा ठेकेदारों के गुण्डों से मिल कर दी जा रही धमकियों का मुंह तोड़ जवाब दिया जिसके चलते प्रबंधन को यूनियन के साथ बातचीत करने पर विवश होना पड़ा।

महाराष्ट्र

सीआइटीयू की महाराष्ट्र राज्य समिति की ओर से औरंगाबाद में सहकारी चीनी मिलों में काम करने वाले श्रमिकों, किसानों तथा गन्ना उत्पादक श्रमिकों के उल्लेखनीय संयुक्त सम्मेलन का आयोजन किया गया। सम्मेलन ने सर्वसम्मति से एक प्रस्ताव पारित करके सहकारी चीनी सेक्टर को बेतहाशा हो रहे निजीकरण तथा उदारीकरण से संरक्षण देने की मांग की। चीनी उद्योग संगठित तथा असंगठित दोनों में काम करने वाले श्रमिकों के एक मांग पत्र को भी सम्मेलन में पारित किया गया।

उड़ीसा

सीआइटीयू की उड़ीसा राज्य समिति द्वारा 22 सूत्रीय मांगों पर 28 दिसम्बर 2011 को भुबनेश्वर में एक राज्य स्तरीय रैली की गई। इन मांगों में न्यूनतम वेतन जो 200 रुपए प्रति दिन से कम नहीं होने चाहिएं, के निर्धारण; बंद पड़ी खदानों को फिर से चालू करने; सभी कोयला खनिकों को काम पर बहाल करने; तत्काल प्रभाव से महंगाई पर अंकुश लगाने; श्रम कानूनों का कठोरता से पालन करने; सार्वजनिक वितरण प्रणाली को सार्वभौमिक बनाने; सभी के लिए पेन्शन, असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करने; उड़ीसा भवन तथा दूसरे निर्माण कार्यों में लगे श्रमिकों के कल्याण बोर्डों के फैसलों को प्रभावी ढंग से लागू करने; आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा तथा मिड–डे–मील वर्कर्स के पारिश्रमिक में बढ़ोतरी करने और उन सबको सामाजिक सुरक्षा के दायरे में लाने जैसी मांगें शामिल थीं। राज्य के सभी 30 जिलों से आए 10,000 से अधिक श्रमिकों ने रैली में भाग लिया। इन श्रमिकों में इस्पात, एनटीपीसी, कोयला, नालको खदानें तथा दामनजोरी में तेल शोध कारखाने तथा (एस एण्ड आर) कम्पलैक्स, आंगुल जैसे सार्वजनिक उपक्रमों में काम करने वाले श्रमिकों के अलावा गोदी एवं बंदरगाह के स्थायी तथा ठेका श्रमिक; सुन्दरगढ़ तथा क्योंझार जिलों के खदान श्रमिक; परिवहन

तथा छोटी औद्योगिक इकाईयों में काम करने वाले श्रमिक; निर्माण श्रमिक; आंगनवाड़ी कर्मचारी; आशा तथा मिड–डे–मील वर्कर्स; कृषका साथी; शक्ति सहायक; यशोधा; बीड़ी श्रमिक; वन श्रमिक इत्यादि सभी शामिल थे। इन सभी श्रमिकों ने रेली में भाग लिया।

बाद में एक प्रतिनिधिमण्डल ने मुख्य मंत्री के नाम सम्बोधित 22 सूत्रीय मांग पत्र राज्य सरकार के मुख्य सचिव को भेंट किया तथा उनके साथ मांगों पर विचार विमर्श भी किया। इस अवसर पर विभिन्न विभागों के अधिकारी भी मौजूद थे।

सीआइटीयू राज्य समिति तथा जिला समितियों की ओर से राज्य भर में इस कार्यक्रम की सफलता के लिए जोरदार अभियान चलाया गया था। सुन्दर गढ़ तथा क्योंझार जिलों में जिला समितियों की ओर से जत्था मार्च निकाले गए जो सभी औद्योगिक इकाईयों के अतिरिक्त पंचायत स्तरों पर भी श्रमिकों के बीच गया। श्रमिकों के बीच 30000 लीफलैट बांटे गए और 15000 पोस्टर चिपकाए गए। विभिन्न उद्योगों में द्वार सभाओं तथा जनरल बाड़ी बैठकों का आयोजन किया गया।

सीआइटीयू के पिछले उड़ीसा राज्य सम्मेलन तथा अखिल भारतीय महाधिवेशन में लिए गए निर्णयों के कार्यान्वयन की मध्यावधि समीक्षा के लिए भुबनेश्वर में 25 – 26 मार्च 2012 को बैठक का आयोजन किया गया। इस बैठक में राज्य समिति के 73 सदस्यों के अतिरिक्त 11 जिलों से कुछ आमंत्रित प्रतिनिधियों ने भाग लियां

बैठक में न्यूनतम वेतनों, सभी के लिए पेन्शनों, संविदा श्रमिकों के लिए समान वेतनों तथा लाभों और सामाजिक सुरक्षा के लाभ असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों को मिलें इसे यकीनी बनाने के लिए पर्याप्त धन के आबंटन जैसी मांगों को लेकर दो महीने के लिए अभियान चलाने का फैसला किया गया था। इस कार्यक्रम की चरम परिणति जिला स्तरीय विशाल लामबंदियों के रूप में हुई। राज्य में औद्योगिक गलियारे में विकास करने की योजना बनाई गई और इस काम पर पूरा ध्यान देने का फैसला किया गया। राज्य सीआइटीयू के कामकाज में सुधार लाने के लिए कुछ विशेष सांगठनिक निर्णय लिए गए।

पंजाब

एनटीयूआइ की पंजाब तथा चण्डीगढ़ परिषद ने सर्वसम्मति से सीआइटीयू में विलीन होने का फैसला किया और अपने फैसले की घोषणा की।

हजारों मनरेगा वर्करों, जिनमे कामकाजी महिलाओं की भारी संख्या है, ने मनरेगा नियमों की अवहेलना तथा वेतनों के भुगतान में देरी किए जाने के खिलाफ राज्य भर में सीआइटीयू की पंजाब राज्य समिति के नेतृत्व में रैलियों तथा प्रदर्शनों में भाग लिया। एसडीएम कार्यालय के समक्ष 8 सितम्बर 2011 को प्रदर्शन किया गया।

पंजाब रोडवेज के 700 से अधिक ड्राईवरों, कण्डक्टरों तथा ऑटो वर्कशाप श्रमिकों की ओर से गैर कानूनी कंट्रैक्ट लेबर प्रणाली के खिलाफ धरने में भाग लिया। इसका आह्वान सीआइटीयू से सम्बद्ध पंजाब रोडवेज पनबस कंट्रैक्ट वर्कर्स यूनियन ने किया था।

आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा तथा मिड–डे–मील वर्कर्स की एक रैली 4 अक्टूबर 2011 को चण्डीगढ़ में की गई। पुलिस की ओर से शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन कर रहे कर्मचारियों पर लाठीचार्ज किया गया। पुलिस बर्बरता के खिलाफ पूरे राज्य में विरोध प्रदर्शन किए गए। हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा तथा मिड–डे–मील वर्कर्स ने 16 अक्टूबर, 2011 को संगरूर

में रास्ता रोको कार्यक्रम में भाग लिया। पुलिस ने यहां पर भी महिला कर्मचारियों पर पूरी बर्बरता से अमानवीय लाठीचार्ज किया।

राज्य के सभी जिलों से 1000 से अधिक आंगनवाड़ी कर्मचारियों जो राज्य में अधिकांश आइसीडीएस परियोजनाओं का प्रतिनिधित्व करती थीं, ने 30 अक्टूबर 2011 को मुक्तसर में विजय रैली में भाग लिया। इसका आयोजन आंगनवाड़ी मुलाजम यूनियन ने किया था। मुक्तसर में पहली बार सीआइटीयू अथवा दूसरे किसी ट्रेड यूनियन संगठन की ओर से इस प्रकार की रैली का आयोजन किया गया था।

राजस्थान

बिजली दरों में बढ़ोतरी के खिलाफ 1 अक्टूबर 2011 को जयपुर में एक विशाल रैली की गई जिसमें श्रमिकों तथा मेहनतकश अवाम की दूसरी श्रेणियों के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया।

एक राज्य स्तरीय संयुक्त ट्रेड यूनियन कन्वेंशन का आयोजन 11 अक्टूबर 2011 को किया गया जो 8 नवम्बर 2011 को जेल भरो कार्यक्रम सम्बन्धी ट्रेड यूनियनों के संयुक्त आह्वान के समर्थन में की गई थी। संगठित तथा असंगठित क्षेत्र के उद्योगों में काम करने वाले कर्मचारियों की विशाल संख्या ने इस कन्वेंशन में भाग लिया।

तमिलनाडु

चेन्नै स्थित एक अमरीका ऑटोमोबाइल इकाई कामस्तर के 750 श्रमिकों ने अपनी मांगों के लिए अगस्त 2011 में हड़ताल की। वे वेतन संशोधन, बातचीत के अधिकार देने इत्यादि की मांग कर रहे थे। चेंगलपुट के श्रमिकों ने सब–कलैक्टर के कार्यालय तथा कांचीपुरम में कलैक्टर कार्यालय के समक्ष प्रदर्शन किया। उनकी मांग थी कि राज्य के श्रम मंत्री उनकी मांगों का समाधान कराने के लिए हस्तक्षेप करें।

सीआइटीयू की राज्य समिति की ओर से 6 सितम्बर 2011 को विभिन्न जिलों में प्रदर्शनों का आयोजन किया गया। उसकी मांग थी कि राज्य में ट्रेड यूनियनों की मान्यता सम्बन्धी श्रम कानून का पालन कराया जाए, न्यूनतम वेतन बढ़ा कर 10000 रुपए प्रति मास किए जाएं और उनके साथ महंगाई भत्ता दिया जाए, संविदा श्रमिकों को नियमित किया जाए इत्यादि। विभिन्न सेक्टरों में काम करने वाले एक हजार से अधिक श्रमिकों ने चेन्नै, कांचीपुरम तथा थिरुवेल्लूर जिलों में आयोजित प्रदर्शनों में भाग लिया।

कोयम्बटूर तथा तिरुपुर जिलों में स्थापित छोटी पावर लूम इकाईयों के मालिकों ने 31 अगस्त 2011 को हड़ताल की। वे पावर लूट क्लाथ मैन्युफैक्चरर्स से 100 प्रतिशत वेतन वृद्धि की मांग कर रहे थे। उन्होंने सम्बन्धित मंत्री द्वारा 25 प्रतिशत वेतन वृद्धि के लिए की गई पेशकश को मानने से इन्कार कर दिया।

हैंड लूम श्रमिकों के राज्य सम्मेलन का आयोजन 11 –13 सितम्बर 2011 को जेयनकोंडाम में किया गया। सम्मेलन में राज्य के 20 जिलों से आए कुल 219 प्रतिनिधियों ने भाग लिया जिनमूं 41 कामकाजी महिलाएं थीं। सम्मेलन का समारम्भ एक जन सभा के साथ हुआ जिसमें लगभग 1000 हैंड लूम श्रमिकों ने भाग लिया।

राज्य की कुल 17 चीनी मिलों (सहकारी क्षेत्र में 15 तथा सार्वजनिक क्षेत्र में 2) में से 14 चीनी मिलों में काम करने वाले 5616 श्रमिकों द्वारा 4 अप्रैल से हड़ताल की गई। वे वेतन संशोधन की मांग कर रहे थे। हड़ताल में एआइएडीएमके

के ट्रेड यूनियन विंग एटीपी सहित दूसरे श्रमिक संगठनों से सम्बद्ध सभी ट्रेड यूनियनों ने भाग लिया। चेन्नै में 24 अप्रैल को आयोजित रैली में 4200 श्रमिकों ने भाग लिया। 2800 श्रमिकों ने 1 तथा 2 मई को 48 घण्टे की सामूहिक भूखहड़ताल में भाग लिया। 3765 श्रमिकों ने 4 मई को धरना कार्यक्रम में भाग लिया। आखिर 11 मई को 38 दिवसीय हड़ताल दा समय समाप्त कर दी गई जब प्रबंधन अकुशल श्रमिकों के वेतनों में 1595 रुपए तथा सुपरवाइजरों के वेतनों में 1907 रुपए की बढ़ोतरी करने पर सहमत हो गया।

एनएलसी (नायवेली लिग्नाईट कारपोरेशन) में काम करने वाले 13000 ठेका मजदूरों ने 21 अप्रैल से हड़ताल की। वे नियमित करने, समान काम के लिए समान वेतन देने, नायवेली में ईपीएफ कार्यालय खोलने जैसी मांगे कर रहे थे। हड़ताल का आह्वान एटक ने किया था जिसमें एटीपी को छोड़ कर दूसरी सभी ट्रेड यूनियनों ने भाग लिया। विभिन्न ट्रेड यूनियनों के साथ सम्बन्ध रखने वाले 400 श्रमिककों ने भूखड़ताल के कार्यक्रम में भाग लिया। ट्रेड यूनियनों की मांगों पर बातचीत चल रही है।

सीआइटीयू से सम्बद्ध यूनियन के नेतृत्व में कांचीपुरम मीनात्ची कालेज एवं अस्पताल की 550 नर्सें तथा दूसरे कर्मचारी 27 अप्रैल से हड़ताल पर हैं। वे वेतन संशोधन की मांग कर रहे हैं। बातचीत के कई दौर चलने पर भी अभी तक उनकी मांगों पर कोई समझौता नहीं हो सका है।

फोर्ड मोटर्स के 450 श्रमिकों ने मामूली दुर्व्यवहार करने के दोष में निलम्बित किए गए अपने 11 साथियों की बर्खास्तगी सम्बन्धी आदेश वापस लेने की मांग के लिए धरना दिया। प्रबंधन की ओर से 7 श्रमिकों निलम्बित कर दिया गया। श्रमिकों की ओर से 16 मई को प्रदर्शन किया गया।

राज्य सरकार ने अभी तक अक्टूबर 2010 में हस्ताक्षरित समझौते के अनुसार बीड़ी श्रमिकों के लिए वेतन संशोधन की अधिसूचना जारी नहीं की है। इसके कारण कन्या कुमारी, तिरुनवेली जिलों में सेवायोजक इसे लागू नहीं कर रहे हैं। सीआइटीयू यूनियन ने इसके खिलाफ 17 अप्रैल से अनिश्चितकालीन हड़ताल का आह्वान किया। उसकी ओर से अधिसूचना तत्काल जारी करने की मांग की गई। लाखों श्रमिकों ने हड़ताल की इस कार्रवाई में भाग लिया और दूसरे सभी श्रमिक संघों की ओर से भी इसका समर्थन किया गया। श्रम मंत्री द्वारा एक महीने के अंदर अधिसूचना जारी करने का आश्वासन दिए जाने पर दो दिन बाद हड़ताल वापस ले ली गई।

चेन्नै में 6000 परिवहन श्रमिकों द्वारा 18 अप्रैल को रैली की गई। वे आरक्षित कर्मचारियों को नियमित करने तथा वेतन समझौता पूरी तरह लागू करने की मांग कर रहे थे। मुख्य मंत्री ने 16661 रिक्त पदों को भरने, सहानुभूति के आधार पर 400 श्रमिकों के आश्रितों को भर्ती करने, ड्राईवरों के पेरुदुराई ट्रांसपोर्ट अस्पताल में 45 वर्ष से अधिक आयु के कर्मचारियों की पूरी डाक्टरी जांच करने की घोषणा की।

चेन्नै में स्थानीय निकायों के लगभग 3000 कर्मचारियों ने 17 अप्रैल को रैली की। वे नियमित करने तथा और श्रमिकों को भर्ती करने की मांग कर रहे थे।

तमिलनाडु मिनरलस् के लगभग 300 श्रमिकों ने 16 अप्रैल को अपने चेन्नै सिथत अपने मुख्यालय के आगे प्रदर्शन किया। वे पदोन्नति देने, निजी पार्टियों को खदानें पट्टे पर देने की कार्रवाईयां बंद करने, तमिन मशीनों के स्थान पर प्राईवेट जेपीसी मशीनें लाकर काम चलाना बंद करने जैसी मांगें कर रहे थे।

सैंकड़ों निर्माण श्रमिकों की ओर से 10 –16 अप्रैल को राज्य के सभी प्रमुख जिला मुख्यालयों में प्रदर्शन किए। उनकी मांग थी कि केन्द्रीय निर्माण अधिनियम को लागू किया जाए। सीडब्ल्यूएफआइ द्वारा राज्य के 60 से अधिक केन्द्रों में 15 अप्रैल को धरने देकर कल्याणकारी लाभों में बढ़ोतरी करने, कल्याण बोर्डो के कामकाज को कारगर बनाने की मांग की।

लोडिंग तथा अनलोडिंग श्रमिकों के राज्य सम्मेलन का आयोजन 22–23 अप्रैल को तिरुपुर में किया गया। सम्मेलन में 276 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। इस अवसर पर आयोजित खुली जन सभा में 5000 से अधिक श्रमिकों ने भाग लिया।

टीएएसएमएसी (सेल्स ऑफ इण्डियन मेड फारेन लिकर) कर्मचारियों के राज्य सम्मेलन का आयोजन 30 अप्रैल – 1 मई को तिरुनवेली में किया गया। सम्मेलन में 278 प्रतिनिधियों ने भाग लिया। लगभग 3000 श्रमिकों ने जन सभा में भाग लिया।

वी पी चिंतन की मृत्यु वार्षिकी पर उत्तरी चेन्नै में एक मौन प्रदर्शन का आयोजन किया गया। ''वीपीसी राजनीतिक तथा सांस्कृतिक मोर्चों पर'' विषय पर एक संगोष्ठी का आयोजन उसी दिन शाम के समय किया गया। दूसरे अनेक स्थानों पर पुस्तकों की बिक्री, रक्त दान शिविरों तथा सभाओं इत्यादि के आयोजन भी किए गए।

राज्य भर में एटक तथा दूसरे भ्रातृ ट्रेड यूनियन संगठनों के साथ मिल कर मई दिवस समारोहों का आयोजन किया गया। सैंकड़ों श्रमिकों ने मई दिवस रैलियों में भाग लिया। नायवेली में आयोजित रैली कामरेड डी मणि की स्मृति में मौन जुलूस में बदल गई। कामरेड मणि श्रमिक वर्ग के एक बरिष्ठ नेता थे और उनका निधन उसी दिन हुआ था।

उत्तर प्रदेश

पल्लेदार वर्कर्स यूनियन के पहले राज्य सम्मेलन का आयोजन जालौन में 3 जुलाई 2011 को किया गया।

सीआइटीयू से सम्बद्ध लोहा एण्ड मिल मजदूर यूनियन का पहला वार्षिक सम्मेलन कानपुर में हुआ। कानपुर मैटल प्राडक्टस्, बजाज कम्पनी, श्रीकृष्णा इंजीनियरिंग एण्ड मैटल एण्ड कम्पोनैंट में काम करने वाले श्रमिकों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। सम्मेलन ने 5 अगस्त को एक विशाल रैली का आयोजन करने का फैसला किया था।

सीआइटीयू की राज्य समिति की ओर से एफसीआइ श्रमिकों का अखिल भारतीय सम्मेलन कराया गया और इसके लिए एफसीआइ यूनियनों की अखिल भारतीय समन्वय समिति का गठन किया गया।

केन्द्रीय श्रमिक संगठनों के राज्य स्तरीय संयुक्त सम्मेलन का आयोजन 14 अगस्त 2011 को लखनऊ में किया गया। सम्मेलन ने सर्वसम्मति से 13 अक्टूबर 2011 को 15 सूत्रीय मांगों के पक्ष में राज्य विधान सभा के आगे विशाल रैली करने का फैसला किया था।

सीआइटीयू की राज्य समिति की ओर से 13 अक्टूबर 2011 को लखनऊ में उप श्रमायुक्त कार्यालय के आगे संयुक्त ट्रेड यूनियन धरना दिया गया। उनकी मांग थी कि मजदूरों का न्यूनतम वेतन 11000 रुपए प्रति मास किया जाए।

कागज एवं गत्ता श्रमिकों के पहले पहले सम्मेलन का आयोजन काल्पी (जालौन) में 3 अक्टूबर 2011 को किया गया।

सीआइटीयू के एक प्रतिनिधिमण्डल ने 9 नवम्बर 2011 को अपर श्रम आयुक्त से भेंट की और उन्हें होटल श्रमिकों की परिवर्तनीय महंगाई भत्ते सहित दूसरी मांगों पर आधारित एक मांग पत्र भेंट किया गया।

लखनऊ में 11 मई 2012 को विधान सभा के आगे आंगनवाड़ी कर्मचारियों, आशा तथा मिड–डे–मील वर्कर्स की एक विशाल रैली का आयोजन किया गया जिसमें लगभग 2500 आंगनवाड़ी कर्मचारियों तथा लगभग 1500 आशा एवं मिड–डे–मील वर्कर्स ने भाग लिया और अपनी मांगें रखीं। बाद में उनकी मांगों पर सरकार के साथ विस्तृत विचार विमर्श किया गया। प्रदर्शन के बाद सरकार की ओर से आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मानदेय की बकाया राशियों के भुगतान के लिए फण्ड ज़ारी किए जाने सम्बन्धी एक आदेश जारी किया गया। याद रहे, भारत सरकार द्वारा पिछले एक वर्ष से अधिक समय पूर्व आंगनवाड़ी कर्मचारियों के मानदेय में बढ़ोतरी करने की घोषणा की गई थी। सरकार द्वारा आंइसीडीएस के लिए नियुक्त विशेष सचिव ने यूनियन के प्रतिनिधियों के साथ और आगे बातचीत करने पर सहमति व्यक्त की।

उत्तराखण्ड

उत्तराखण्ड आशा स्वास्थ्य कार्यकत्री यूनियन अलमोड़ा जिला का सम्मेलन 9 जुलाई 2011 को अलमोड़ा में सम्पन्न हुआ। इस अवसर पर आशा वर्कर्स की ओर से एक रैली की गई और धरना भी दिया गया। सम्मेलन ने मानदेय में बढ़ोतरी के लिए 16 जुलाई को धरना देने का फैसला किया।

पश्चिम बंगाल

बैंक कन्ट्रैक्चुअल एण्ड कंट्रैक्ट वर्कमैन यूनियन, पश्चिम बंगाल के झण्डे तले असंगठित/बैंकों के संविदा श्रमिकों की एक विशाल रैली तथा प्रदर्शन 9 जून 2011 को एक्सिस बैंक के शैक्सपियर सारनी कार्यालय के समक्ष हुआ। ये श्रमिक एक्सिस बैंक के प्रबंधन की ओर से अनुबंध तथा ठेके पर रखे गए श्रमिकों की विशाल स्तर पर की जा रही छंटनियों के खिलाफ रोष व्यक्त कर रहे थे। बेफी, बीईएफ, डब्ल्यूबी तथा उनसे सम्बद्ध यूनियनों के नेताओं इस कार्यक्रम में भाग लेकर असंगठित श्रमिकों के हित में चल रहे संघर्ष के प्रति भ्रातृ सहयोग तथा समर्थन व्यक्त किया। एक्सिस बैंक के प्रबंधन को आखिर यह आश्वासन देने पर मजबूर होना पड़ा कि उसकी ओर से श्रमिकों की छंटनी नहीं की जाएगी।

हजारों आंगनवाड़ी कर्मचारियों ने 1 नवम्बर 2011 को राज्य भर में विशाल डेपुटेशन कार्यक्रमों में भाग लिया। कोलकाता में निदेशक, समाज कल्याण के कार्यालय के बाहर एक विशाल जन सभा का आयोजन किया गया।

* * * * * * * *

ACCOUNTS FOR THE YEAR 31st MARCH 2010
AUDITORS' REPORT

We have examined the Balance Sheet of Centre of Indian Trade Unions as at 31 st March, 2010 and the Income & Expenditure account and Receipt and Payment account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said institution.

We have obtained all the information and explanations and in our opinion, proper books of account have been maintained by the above named institution so far as appears from our examination of the books subject to the notes on accounts.

In our opinion and to the best of our knowledge, and according to information given to us, the said accounts read with the Notes on Accounts give a true and fair view:-

1. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the above named institution as at 31.03.2010 and
2. In the case of the income and expenditure account, of the excess of income over expenditure for the year ending 31-03-2010

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2010

LIABILITIES	RUPEES	RUPEES	ASSETS	RUPEES	RUPEES
GENERAL FUND			**FIXED ASSETS**		2,217,144.00
Opening Balance	22,969,913.00		(As per Schedule attached)		
Add: Surplus from Income &	5,038,547.00	28,008,460.00			
Expenditure account			**INVESTMENTS**		
			Fixed Deposits with Banks		22,661,596.00
CURRENT LIABILITIES &					
PROVISIONS			**CURRENT ASSETS,**		
a) Current Liabilities			**LOANS AND ADVANCES**		
Tsunami Victim Relief Fund	8,072,312.00		a) Current Assets		
Com. P. Ramamurthy Fund	3,743,519.00		Balance with Banks	10,344,810.00	
Bihar Flood Relief Fund	66,550.00		Cash in hand	122,088.00	
			Bank Gurantee	12,114.00	
Audit Fee Payable	27,872.00		b) Loans & advances	5,266,315.00	15,745,327.00
Payable Staff Welfare Fund	86,400.00		(Advances recoverable in		
Int.Coal Mines Workers	618,954.00	12615607	cash or kind for which value		
Fund			to be received.)		
		40,624,067.00			40,624,067.00

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

Sd/- (PRESIDENT

Sd/- (SECRETARY)

Sd/- (TREASURER)

Place : New Delhi

Dated : 7/21/2010

AUDITORS' REPORT

As per our report of even date attached.

For B.M. SHARMA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-

(B. M. SHARMA)

Partner

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 2010

EXPENDITURE	RUPEES	RUPEES	INCOME	RUPEES	RUPEES
Magazine Expenses		1,303,360.00	Sale of Magazines		938,743.00
Meeting, Rally & Seminar Exp.		186,107.00	Publication A/c		30,480.00
Travelling & Conveyance Exp.		169,069.00	Affiliation Fee		6,220,449.00
Publication Expenses		70,022.00	Bank Interest		117,251.00
Staff Welfare Expenses		54,650.00	Donation		72,312.00
Wages		913,650.00	Interest on F.D.R.		1,616,790.00
Vehicle Expenses		98,072.00	Miscellaneous Receipts		7,971.00
Building Maintainance Expenses		213,609.00	Outstanding Int.on FDR		276,236.00
Bank Charges		2,589.00			
Electricity Anad Water Expenses		46,361.00			
Medical Expenses		70,438.00			
Miscellaneous Expenses		27,454.00			
Communication Expenses		134,960.00			
Newspaper and Periodicals Expenses		37,214.00			
Relief and Subsidy		118,000.00			
Ghaziabad Flats Development Expenses		9,760.00			
Rent & Taxes		29,553.00			
Service and Maintainance		395,415.00			
Printing and Stationery		112,419.00			
Bad Debts		30,085.00			
Tea and Tiffin Expanses		44,717.00			
Audit Fees		5,515.00			
Com.P.Rammoorthy T.U.School Expenses		1,030.00			
Depreciation		167,637.00			
Excess of Income over Expenditure tfd. to Balance sheet		5,038,546.00			
		9,280,232.00			9,280,232.00

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

Sd/- (PRESIDENT

Sd/- (SECRETARY)

Sd/- (TREASURER)

Place : New Delhi
Dated : 7/21/2010

AUDITORS' REPORT
As per our report of even date attached.
For B.M. SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-
(B. M. SHARMA)
Partner

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 2010

RECEIPTS	RUPEES	RUPEES	PAYMENTS	RUPEES	RUPEES
OPENING BALANCE			Magazine Expenses		1,303,360.00
Cash in hand	100,531.00		Meeting, Rally & Seminar Exp.		186,107.00
Cash at Banks	10,129,841.00	10,230,372.00	Travelling & Conveyance Exp.		169,069.00
Sale of Magazines		938,743.00	Vehicle Expenses		98,072.00
Publication A/c		30,480.00	Publication Expenses		70,022.00
Affiliation Fee		6,220,449.00	Building Maintenance Expenses		213,609.00
Bank Interest		117,251.00	Electricity & Water Expenses		46,361.00
Donation		72,312.00	Medical Expenses		70,438.00
Miscellaneous Receipts		7,971.00	Miscellaneous Expenses		27,454.00
Com. P. Ramamurthy Fund		55,996.00	Communication Expenses		134,960.00
Tsunami Victim Relief Fund		275,284.00	Rent & Taxes		29,553.00
Payable to Staff Welfare		95,400.00	Service & Maintenance		395,415.00
			Printing & Stationery		112,419.00
			Tea & Tiffin Expenses		44,717.00
			Staff Welfare Fund		286,250.00
			Addition to FDR		3,000,000.00
			News Papers & Periodicals		37,214.00
			Wages		913,650.00
			Ghaziabad Development Expenses		9,760.00
			Loan & Advance		293,113.00
			Addition to Fixed Assets		14,200.00
			Bank Charges		2589
			Relief and Subsidy		118000
			Com.P.Rammoorthy T.U.School Expenses		1,030.00
			CLOSING BALANCE		
			Cash in hand	122,086.00	
			Cash at Banks	10,344,810.00	10,466,896.00
		18,044,258.00			18,044,258.00

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

AUDITORS' REPORT
As per our report of even date attached.
For B.M. SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/- (PRESIDENT

Sd/- (SECRETARY)

Sd/- (TREASURER)

Sd/-
(B. M. SHARMA)
Partner

Place : New Delhi
Dated : 7/21/2010

ACCOUNTS FOR THE YEAR 31st MARCH 2011
AUDITORS' REPORT

We have examined the Balance Sheet of Centre of Indian Trade Unions as at 31 st March, 2011 and the Income & Expenditure account and Receipt and Payment account for the year ended on that date which are in agreement with the books of account maintained by the said institution.

We have obtained all the information and explanations and in our opinion, proper books of account have been maintained by the above named institution so far as appears from our examination of the books subject to the notes on accounts.

In our opinion and to the best of our knowledge, and according to information given to us, the said accounts read with the Notes on Accounts give a true and fair view:-

1. In the case of the Balance Sheet, of the state of affairs of the above named institution as at 31.03.2011 and
2. In the case of the income and expenditure account, of the excess of income over expenditure for the year ending 31-03-2011

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

BALANCE SHEET AS AT 31st MARCH, 2011

LIABILITIES	RUPEES	RUPEES	ASSETS	RUPEES	RUPEES
GENERAL FUND			**FIXED ASSETS**		2,435,910
Opening Balance	28,008,460		(As per Schedule attached)		
Less: Excess of Expenditure	1,887,853	26,120,607			
over Income			**INVESTMENTS**		
			Fixed Deposits with Banks		26,437,077
CURRENT LIABILITIES &					
PROVISIONS			**CURRENT ASSETS,**		
a) Current Liabilities			**LOANS AND ADVANCES**		
Tsunami Victim Relief Fund	8,358,759		a) Current Assets		
Com. P. Ramamurthy Fund	12,772,169		Balance with Banks	13,357,505	
Bihar Flood Relief Fund	66,550		Cash in hand	45,728	
			Bank Gurantee	12,114	13,415,347
Audit Fee Payable	27,575		b) Loans & advances	5,834,780	5,834,780
Payable Staff Welfare Fund	158,500		(Advances recoverable in		
Int. Coal Mines Workers Fund	618,954	22,002,507	cash or kind for which value		
			to be received.)		
		48,123,114			48,123,114

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

Sd/- (PRESIDENT

Sd/- (SECRETARY)

Sd/- (TREASURER)

Place : New Delhi
Dated : 9/24/2011

AUDITORS' REPORT
As per our report of even date attached.
For B.M. SHARMA & ASSOCIATES
CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-
(B. M. SHARMA)
Partner

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

INCOME & EXPENDITURE ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 2011

EXPENDITURE	RUPEES	RUPEES	INCOME	RUPEES	RUPEES
Magazine Expenses		1,224,965	Sale of Magazines		669,849
Meeting, Rally & Seminar Exp.		3,328,174	Publication A/c		79,711
Travelling & Conveyance Exp.		316,092	Affiliation Fee		4,382,271
Publication Exp.		145,747	Bank Interest		333,289
Vehicle Expenses		110,697	Donation		200,000
Bank Charges		5,996	Interest on F.D.R.		539,599
Building Repair & Maintenance Expenses		89,909	Miscellaneous Receipts		12,207
Electricity & Water Expenses		84,600			
Medical Expenses		96,180			
Miscellaneous Expenses		32,612			
Communication Expenses		128,712			
News Papers & Periodicals		28,380			
Relief & Subsidy		221,500			
Wages		1,241,250			
Rent & Taxes		21,101			
Service & Maintenance		278,056			
Printing & Stationery		196,119			
Tea & Tiffin Expenses		57,716			
Audit fees		27,575			
Chain Flags Expenses		36,100			
Com.P.Rammoorthy T.U.School Exp.		11995			
Ground Rent for CITU's at Saket		27,399			
Staff Welfare Fund		57,000			
TDS A/C		1,577			
Two Wheeler Fuel Exp.		800			
Ghazhiabad Flats Development Expenses		27,282			
WFTU Affiliation Fees Expenses		125,766			
Depreciation		181,479			
			Excess of Expenditure over Income trfd.to Balance Sheet		1,887,853
		8,104,779			8,104,779

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

Sd/- (PRESIDENT

Sd/- (SECRETARY)

Sd/- (TREASURER)

Place : New Delhi

Dated : 9/24/2011

AUDITORS' REPORT

As per our report of even date attached.

For B.M. SHARMA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/-

(B. M. SHARMA)

Partner

CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

RECEIPTS AND PAYMENTS ACCOUNT FOR THE YEAR ENDING 31ST MARCH, 2011

RECEIPTS	RUPEES	RUPEES	PAYMENTS	RUPEES	RUPEES
OPENING BALANCE			Magazine Expenses		1,224,965
Cash in hand	122,087		Meeting, Rally & Seminar Exp.		3,328,174
Cash at Banks	10,344,810	10,466,897	Travelling & Conveyance Exp.		316,092
Sale of Magazines		669,849	Publication Exp.		145,747
Publication A/c		79,711	Vehicle Expenses		110,697
Affiliation Fee		4,382,271	Bank Charges		5,996
Bank Interest		333,289	Building Repair & Maintenance Expenses		89,909
Donation		200,000	Electricity & Water Expenses		84,600
Interest on F.D.R.		539,599	Medical Expenses		96,180
Miscellaneous Receipts		12,207	Miscellaneous Expenses		32,612
Com.P.Rammoorthy Fund		9,028,650	Communication Expenses		128,712
Staff Welfare Fund		72,100	News Papers & Periodicals		28,380
Tsunami Victims Relief Fund		286,447	Relief & Subsidy		221,500
			Wages		1,241,250
			Rent & Taxes		21,101
			Service & Maintenance		278,056
			Printing & Stationery		196,119
			Tea & Tiffin Expenses		57,716
			Payable Staff welfare Fund		57,000
			Addition to Fixed Assets		400,245
			Addition to FDR		3,775,481
			Loan & Advance		568,464
			Chain Flags Expenses		36100
			Com.P.Rammoorthy T.U.School Expenses		11,995
			Ground Rent of CITU's Land at Saket		27,399
			Audit Fees		27,872
			TDS A/c		1,577
			Twho Wheeler Fuel Expenses		800
			Affiliation Fees of WFTU Expenses		125,766
			Ghaziabad Flats Development Expenses		27,282
			CLOSING BALANCE		
			Cash in hand	45,728.00	
			Cash at Banks	13,357,505.00	13,403,233
		26,071,020			26,071,020

Note : Figures have been rounded off to the nearest of rupee.

For CENTRE OF INDIAN TRADE UNIONS

AUDITORS' REPORT

As per our report of even date attached.

For B.M. SHARMA & ASSOCIATES

CHARTERED ACCOUNTANTS

Sd/- (PRESIDENT

Sd/- (SECRETARY)

Sd/- (TREASURER)

Place : New Delhi

Dated : 9/24/2011

Sd/-

(B. M. SHARMA)

Partner

Annexure:1

STATEMENT SHOWING STATEWISE MEMBERSIP AS PER ANNUAL RETURNS RECEIVED TILL-17/05/2012

Name of the State	Unions Submitting Returns			Position of membership according to Annual Returns					
	2009	2010	2011	2009	Female	2010	Female	2011	Female
Andaman & Nicobar	8	8	0	2965		3073			
Andhra Pradesh	722	655	479	571321	164694	535249	179358	185599	19783
Assam	87	86	6	71442	33878	84355	39905	700	
Bihar	14	13	0	7521	875	13654	4108		
Delhi	85	76	55	35397	1762	31870	1558	44166	5835
Goa	7	6	0	1169	46	851	2		
Gujrat	23	24	0	14968	893	15525	3068		
Himachal Pradesh	56	52	0	40824	23069	41871	23635		
Haryana	48	47	33	79433	24243	87477	22888	104685	36269
Jammu & Kashmir	6	6	0	3100		5781	580		
Karnataka	144	136	0	171038	101230	187066	106556		
Kerala	866	843	515	1315516	404605	1439871	493191	979110	331056
Madhya Pradesh	89	92	14	33398	8654	21807	7366	80	20
Maharashtra	130	127	27	127767	64365	123249	62664	49928	3[illegible]67[illegible]
Orissa	58	56	0	67779	8953	82640	19173		
Punjab	77	77	58	77050	18379	102701	19274	125363	103344
Rajasthan	94	77	43	36581	373	32135	2211	14662	4270
Tamilnadu	595	568	0	527835	141116	520483	143805		
Tripura	40	37	0	162769	63165	183375	67840		
Uttar Pradesh	79	72	42	17562	143	9639	127	4573	142
West Bengal	1156	1024	0	1376078	226523	1386360	294133		
Uttaranchal	48	44	2	14110	4400	17395	4699		
Chhatishgarh	5	4	0	13585	454	13673	363		
Jharkhand	25	25	1	91167	22613	76878	21765	15092	
Manipur	4	4	0			331			
Mizoram	0	0	0						
Total	**4466**	**4159**	**1275**	**4860375**	**1314433**	**5017309**	**1518269**	**1523958**	**538393**

Year	No. of Unions		Membership
1983	1854		1890993
1984	2005		1575655
1985	1717		1716457(132536)
1986	2412		1844273(209348)
1987	2350		1680884(206482)
1988	2618		1919280(264507)
1989	3114		2425000(247388)
1990	2934		2095550(245060)
1991	2783		2088218(291228)
1992	3343		2381012(321620)
1993	3156		2371405(306344)
1994	3198		2470131(261980)
1995	3523		2784050(358188)
1996	3645		2805127(435285)
1997	3804		2917200(506097)
1998	3502		2881478(483373)
1999	3929		3296808(550583)
2000	3771		3126943(646678)
2001	3787		3150673(600407)
2002	4162		3163362(679694)
2003	3904		3331973(636651)
2004	3969		3541859(728820)
2005	4061		3986622 (898186)
2006	4764		4133893 (916292)
2007	4606		4781681(1150108)
2008	4462		5170038(1292665)

COM. P.RAMAMOORTI T.U. SCHOOL FUND as on 15.05.2012

CITU, Andaman & Nicobar	Rs.5,600.00
CITU, A.P. State Committee	Rs.2,346,399.00
CITU, Assam State Committee	Rs.15,000.00
CITU, Bihar State Committee	Rs.25,560.00
CITU, Chhattisgarh State Committee	Rs.46,321.00
CITU, Delhi State Committee	Rs.56,687.00
CITU, Goa State Committee	Rs.1,206.00
CITU, Gujarat State Committee	Rs.1,000.00
CITU, H.P. State Committee	Rs.20,000.00
CITU, Haryana State Committee	Rs.109,040.00
CITU, J & K State Committee	Rs.1,240.00
CITU, Jharkhand State Committee	Rs.6,500.00
CITU, Karnataka State Committee	Rs.415,070.00
CITU, Kerala State Committee	Rs.4,506,363.00
CITU, M.P. State Committee	Rs.74,274.00
CITU, Maharashtra State Committee	Rs.520,000.00
CITU, Orissa State Committee	Rs.54,251.00
CITU, Punjab State Committee	Rs.136,247.00
CITU, Rajasthan State Committee	Rs.27,000.00
CITU, Tamilnadu State committee	Rs.821,150.00
CITU, Tripura State Committee	Rs.310,000.00
CITU, U.P. State Committee	Rs.36,310.00
CITU, Uttarakhand State Committee	Rs.21,500.00
CITU, West Bengal State Committee	Rs.1,000,000.00
2nd World Conference of Oil, Gas, Refinary Trade Union	Rs.700,000.00
All India Co-ordination Committee of Sail Employees' Union, W.B.	Rs.20,000.00
All India Road Transport Workers Federation (towards space to be occupied)	Rs.844,000.00
All India State Government Employees Federation	Rs.1,000,000.00
Association of SAIL Employees, Kolkata, W.B.	Rs.40,000.00
Bank Employees Federation of India, Kolkata	Rs.500,000.00
Central Zone Insurance Employees Association, Chhatishgarh	Rs.50,000.00
Colliery Mazdoor Sabha of India, W.B.	Rs.100,000.00
Com. E.Balanandan	Rs.11,111.00
Com. R.Vaigai	Rs.50,000.00
Electricity Employees Federation of India(towards space to be occupied)	Rs.2,500,000.00
Hindustan Steel Employees Union, Kolkata	Rs.20,000.00
Jean Pierre Page (Foreign Delegate)	Rs.1,000.00
K.Vaidyanathan, Tamilnadu	Rs.500.00
R.Rajalakshmi, Chengalpattu, T.N.	Rs.5,000.00
Steel Workers Federation of India, W.B.	Rs.50,000.00
TOTAL	**Rs.16,448,329.00**

State-wise Circulation of CITU Journals

AS ON May, 2012

States	The Working Class			CITU Mazdoor			The Voice of the Working Woman		Patrika / Kamkaji Mahila	
	Affiliation	May-11	May-12	Affiliation	May-11	May-12	May-11	May-12	Jan-11	Jan-12
Andaman	10	10	8	10	10	0	1	1		
Andhra Pradesh	862	894	830				387	318		
Arunachal	1	1								2
Assam	142	118	165				23	37		5
Bihar	11	15	27	11	95	84	6	6	10	
Chhatisgarh	20	20	11	20	345	306	21	5	100	50
Delhi	85	21	22	85	79	224	178	176	1	5
Goa	7	7	7							
Gujarat				1	36	39	1	1		
Haryana	3	1	2	3	839	205	3	4	45	6
Himachal Pradesh				2	1116	581	1	2	762	
Jammu & Kashmir	2	4	1	2	12	30	1	1		
Jharkhand	14	13	13	14	127	112	1		5	
Kerala	939	919	913				6065	4573	5	
Karnataka	234	178	162				21	237		
Sikkim	1	1	0							
Maharashtra	156	139	47	156	40	153	34	27	200	450
Madhya Pradesh	9	9	12	9	498	386	9	1	50	26
Manipur	1	1	4				1			
Meghalaya										
Mizoram		1	1							
Nagaland	2	1		2	1	0				
Orissa	145	147	162	145	45	45	2	13		
Punjab	8	1		8	358	136	2	6	785	785
Puducherry										
Rajasthan	2	1	2	2	396	420	1	1	35	10
Tamilnadu	699	688	761				552	795		
Tripura	48	44	45				85	100		
Uttar Pradesh	12	10	18	12	455	440	6	6	305	30
Uttarakhand				2	251	358	3	0		
West Bengal	1678	1607	1547	1678	1274	659	352	304		
TOTAL		**4851**	**4760**		**5977**	**4178**	**7756**	**6614**	**2303**	**1369**

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)
जनरल कौंसिल की बैठक
कोयम्बटूर, तमिलनाडु

2–5 जून, 2012

शोक प्रस्ताव

कामरेड एम के पन्धे

सीआइटीयू ने श्रमिक आंदोलन ने अपने सबसे बड़े नेता डाक्टर एम के पन्धे को खो दिया है। वह अपने समय में भारत के श्रमिक आंदोलन के सर्वाधिक सम्मानित नेता थे। कामरेड पन्धे का देहान्त 20 अगस्त, 2011 को. दिल का जबरदस्त दौरा पड़ने से हुआ। वह 86 वर्ष के थे। कोयम्बटूर, तमिलनाडु में 2–5 जून 2012 को हो रही सीआइटीयू जनरल कौंसिल की यह बैठक अपने प्रिय नेता कामरेड एम के पन्धे को आदरपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट करती है।

कामरेड पन्धे सात दशक तक सार्वजनिक जीवन में सक्रिय रहे। उनके सार्वजनिक जीवन की शुरूआत छात्र आंदोलन के एक कार्यकर्ता के रूप में हुई थी। अपनी युवावस्था के प्रारम्भिक चरण से ही वह श्रमिक एवं वाम आंदोलन में पूरी तरह सक्रिय हो गए थे और उनकी यही सक्रियता पूरे समर्पण भाव एवं लग्न के साथ उनके घटनापूर्ण जीवन के अंतिम क्षणों तक बनी रही। अनेक समस्याएं आड़े आईं, उनका स्वास्थ्य भी खराब रहने लगा किन्तु इस पर भी उनकी सक्रियता में कोई विचलन नहीं आया और वह अडिग बने रहे। वह कैंसर जैसी बीमारी से पीड़ित थे, उस बीमारी की पीड़ा तथा उसका जोखिम भरा इलाज और इसके चलते पैदा होने वाली दूसरी शारीरिक समस्याएं भी उनके सक्रिय जीवन में बाधा उत्पन्न नहीं कर पाई। वह उस स्थिति में भी जहां कहीं श्रमिकों ने उनकी जरूरत को महसूस किया, देश के ओर–छोर में गए। देश के मेहनतकश अवाम ने अपनी मुक्ति के उद्देश्य को पाने के लिए संघर्ष करने वाले एक समर्पित योद्धा को खो दिया है।

वह 1943 में कम्युनिस्ट आंदोलन में शामिल हुए और उन्होंने सामाजिक रूपांतरण तथा सभी प्रकार के शोषण से लोगों की मुक्ति के लिए संघर्ष में श्रमिक वर्ग की भूमिका को बलपूर्वक आगे बढ़ाने में अग्रणी भूमिका निभाई। वह वर्ष 1998 में भारत की कम्युनिस्ट पार्टी (मार्क्सवादी) की पोलित ब्यूरो के सदस्य चुने गए और अपने जीवन के अंतिम क्षणों तक इस पद पर बने रहे।

श्रमिक आंदोलन के लिए उनका एकनिष्ठ अवदान और उद्योगों के सामारिक क्षेत्र श्रमिकों को संगठित करने और उनका नेतष्त्व करने के मामले में उनके द्वारा निभाई गई भूमिका की कोई दूसरी उदाहरण देखने को नहीं मिलती। असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को संगठित करने और श्रमिक आंदोलन में कामकाजी महिलाओं की भूमिका पर बल देने के मामले में उनका अवदान निर्णायक महत्व का रहा था।

वह साठ के दशक के शुरू में अखिल भारतीय ट्रेड यूनियन कांग्रेस (एटक) के राष्ट्रीय सचिव रहे और भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू) के संस्थापक नेताओं में से एक थे। इस संगठन (सीआइटीयू) को उन्होंने श्रमिक आंदोलन के सबसे अग्रणी केन्द्रों में से एक बनाया। वह 1991 से 2003 तक सीआइटीयू के महासचिव तथा 2003 से 2010 तक इसके अध्यक्ष रहे।

सत्तर के दशक के अंतिम भाग के उस चरण में जब सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर विभिन्न श्रमिक संघ संघर्ष के संयुक्त मंच पर एकजुट होने लगे थे अथवा राष्ट्रव्यापी स्तर पर श्रमिक संघों के संयुक्त संघर्ष शुरू होने के उस दौर में कामरेड पन्धे की भूमिका बेहद निर्णायक रही थी। कामरेड पन्धे सामान्य मुद्दों पर सदा मजदूर वर्ग की व्यापक एकता के पुरोधा रहे। कामरेड पन्धे को सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन में भारी सम्मान की दृष्टि से देखा जाता था। वह सांगठनिक सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर सम्पूर्ण श्रमिक आंदोलन के शिखर पुरुष थे।

कामरेड पन्धे अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर भी वह श्रमिक आंदोलन के एक ख्याति प्राप्त नेता थे और उनका भारी सम्मान था। उन्होंने विशाल स्तर पर सीआइटीयू के अन्तर्राष्ट्रीय सम्बन्धों को व्यापक बनाने के लिए पहलकदमियां की थीं। वह इंटरनेशनल एनर्जी एण्ड माइनर्स ऑर्गेनाइजेशन (ईएमओ) जो सभी सम्बद्धताओं से ऊपर उठ कर ऊर्जा एवं खनिकों का एक संयुक्त अन्तर्राष्ट्रीय मंच रहा था, के सह–अध्यक्ष रहे थे।

श्रमिक वर्ग की विचारधारा और साम्राज्यवाद विरोधी रुख के प्रति उनकी प्रतिबद्धता अत्यंत गहरी थी। उन्होंने पूंजीवादी व्यवस्था को बेनकाब करते हुए उसके खिलाफ संयुक्त संघर्षों का निर्माण करने के मामले में उनकी भूमिका सदा नेतष्त्वकारी रही। उन्होंने इस दिशा में जो अथक प्रयास किए और जिस प्रकार अपना सुयोग्य नेतष्त्व प्रदान किया उसके फलस्वरूप वर्ष 1991 से लेकर आज तक नव–उदारीकरण की आर्थिक नीतियों के खिलाफ संघर्षो के संयुक्त मंच का विकास करने और उसे बनाए रखने में बहुत भारी योगदान मिला है। श्रमिक आंदोलन की एकता 2009 के बाद संयुक्त संघर्षों के रूप में और अधिक व्यापक हुई।

श्रमिक आंदोलन के लिए कामरेड पन्धे के अवदान का सदा स्मरण किया जाता रहेगा और वह सीआइटीयू की गतिविधियों के लिए सदा मार्ग दर्शक शक्ति बने रहेंगे।

जनरल कौंसिल उनके सम्मान में अपने लाल झण्डे को झुकाती है और उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करती है।

सीआइटीयू जनरल कौंसिल सीआइटीयू की उत्तर प्रदेश राज्य समिति के महासचिव कामरेड कमलापति त्रिपाठी की स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करती है। उनका निधन 21 जनवरी 2012 को हुआ था।

जनरल कौंसिल सीआइटीयू कार्य समिति के पूर्व सदस्य तथा उसकी आंध्र प्रदेश राज्य समिति के बरिष्ठ पदाधिकारी कामरेड वी श्रीहरि जो हमें 14 फरवरी 2012 को सदा सर्वदा के लिए विच्छोह दे गए थे, को श्रद्धांजलि भेंट करती है।

सीआइटीयू जनरल कौंसिल ऑल इण्डिया फिशर्स एण्ड फिशरीज़ वर्कर्स फैंडरेशन के उपाध्यक्ष कामरेड सुकुमार बर्मन को श्रद्धांजलि भेंट करती है। उनका देहांत 14 फरवरी 2012 को हुआ था। वह त्रिपुरा के पूर्व मंत्री भी थे।

सीआइटीयू जनरल कौंसिल पश्चिम बंगाल आइसीडीएस वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष तथा सीआइटीयू की बरिष्ठ नेत्री कामरेड निरुपमा चैटर्जी को हार्दिक श्रद्धांजलि भेंट करती है। वह पश्चिम बंगाल में वाम मोर्चा सरकार में मंत्री भी रही थीं।

सीआइटीयू जनरल कौंसिल कामरेड निर्मल मजुमदार जो जनरल कौंसिल के पूर्व सदस्य थे, कार्य समिति के पूर्व सदस्य कामरेड जगदीश दास, कोलार गोल्ड फील्ड श्रमिकों के प्रमुख नेता कामरेड सावन दास, असम राज्य आंगनवाड़ी वर्कर्स यूनियन की अध्यक्ष कामरेड भारती डाका की स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करती है।

सीआइटीयू जनरल कौंसिल तमिलनाडु में सीपीआइ (एम) के बरिष्ठ नेता कामरेड एन वरदराजन जिनका 10 अप्रैल को देहांत हो गया था, की स्मृति में उन्हें श्रद्धांजलि भेंट करती है। कामरेड वरदराजन ने राज्य में श्रमिक आंदोलन का निर्माण करने में अग्रणी भूमिका निभाई थी।

सीआइटीयू जनरल कौंसिल तमिलनाडु में श्रमिक आंदोलन के बरिष्ठ नेता कामरेड डी मणि को हार्दिक श्रद्धांजलि भेंट करती है।

सीआइटीयू जनरल कौंसिल एटक के अध्यक्ष तथा डब्ल्यूएफटीयू के उपाध्यक्ष कामरेड प्रमोद गोगोई को हार्दिक श्रद्धांजलि भेंट करती है।

भाहीदों को श्रद्धांजलि

सीआइटीयू जनरल कौंसिल पश्चिम बंगाल से हमारी जनरल कौंसिल के सदस्य तथा पश्चिम बंगाल में जनवादी आंदोलन के बरिष्ठ नेता कामरेड कमल ग्यान की स्मृति में अपना लाल झण्डा झुकाती है और उन्हें लाल सलाम कहती है। दोनों साथी सीपीआइ (एम) की बर्दवान जिला समिति के सदस्य भी थे। तृणमूल कांग्रेस के गुण्डों ने 22 फरवरी 2012 को उस समय उनकी बर्बर हत्या कर दी जब वे 28 फरवरी की देशव्यापी आम हड़ताल के सिलसिले में निकाले जा रहे एक जुलूस का नेतृत्व कर रहे थे।

कोयम्बटूर में हो रही सीआइटीयू जनरल कौंसिल की यह बैठक पश्चिम बंगाल के उन शहीदों को भी अपनी आदरपूर्ण श्रद्धांजलि भेंट करती है जिनकी बर्बर हत्या तृणमूल कांग्रेस तथा अन्यों के नेतृत्व में काम करने वाले समाज विरोधी तत्वों ने की है।

सीआइटीयू जनरल कौंसिल उन शहीदों की स्मृति को सलाम कहती है और उन्हें अपनी श्रद्धांजलि भेंट करती है जिन्होंने मेहनतकश अवाम के हित में तथा जनवादी आंदोलनों को आगे बढ़ाने के लिए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए हैं।

****

भारतीय ट्रेड यूनियन केन्द्र (सीटू)

जनरल कौंसिल की बैठक

कोयम्बटूर, तमिलनाडु

2–5 जून, 2012

सूचना दस्तावेज

भारतीय श्रम सम्मेलन के 44वें सत्र की सिफारिशें

14–15 फरवरी 2012

न्यूनतम वेतन पर सम्मेलन समिति की सिफारिशें

1. भारतीय श्रम सम्मेलन के 15वें सत्र की सिफारिशों और रेपटाकोस एण्ड कम्पनी के मामले में उच्चतम न्यायालय द्वारा दिए गए निदेशों पर भी विचार करते हुए न्यूनतम वेतनों का निर्धारण किया जाए;

2. एक व्यापक समझ थी कि न्यनतम वेतन कानून के तहत सभी रोजगारों को कवर किया जाना चाहिए और शेड्यूल रोजगारों में इसकी पात्रता के लिए वर्तमान निषेधों को समाप्त किया जाना चाहिए। इससे आईएलओ की कन्वेंशन न0 131 की पुष्टि में भारत को मदद मिलेगी।

3. व्यापक तौर पर यह माना गया कि देशभर में सभी रोजगारों के लिए राष्ट्रीय न्यूनतम वेतन लागू होना चाहिए।

4. पैरा 5 (4, 5 और 10) में रेखांकित किए गए प्रस्तावों पर पेश संशोधन पर व्यापक तौर पर समझौता हुआ।

5. पैरा 5 (4) के आधार पर यह रेखांकित किया गया कि सहायकों को किए जाने वाले भुगतान को अन्य कैटिगिरी से पथ्थक समझा जाना चाहिए।

6. कमेटी ने नोट किया कि वर्तमान समय में 12 राज्य / केंद्र शासित राज्यों ने वीडीए को लागू नहीं किया है, यह सहमति बनी कि ये राज्य / केंद्र शासित राज्य इसे लागू करें।

7. यह भी सुझाव दिया गया कि न्यूनतम वेतन का भुगतान बैंक या डाक घर के माध्यम से होना चाहिए

8. पैरा 5 (4) के अनुसार यह महसूस किया गया कि एनफोर्सिंग ऐजेंसियों को एडज्यूडिकेशन का अधिकार नहीं दिया जाना चाहिए और इसके लिए इस प्रस्ताव पर पुनर्निरीक्षण होना चाहिए।

9. एक जैसे रोजगारों में विभिन्न न्यूनतम वेतन भुगतान के प्रस्ताव को केंद्र या राज्य सरकारों द्वारा ठुकरा दिया जाना चाहिए।

सामाजिक सुरक्षा पर सम्मेलन समिति की सिफारिशें

1) इस बात पर व्यापक सहमति थी कि ईपीएफ अधिनियम लागू करने के लिए वेतन सीमा को उसके वर्तमान स्तर 6,500 रुपए से 10,000 रुपए अथवा 15,000 रुपए जो ईएसआइ निगम के लिए पहले ही लागू है, तक बढ़ा दिया जाए। इसी प्रकार ईएसआइ के अन्तर्गत आने के लिए श्रमिकों की सीमा 20 से कम करके 10 कर दी जाए। लघु उद्योग भारती श्रमिकों की संख्या की सीमा में कमी लाने के सुझाव पर सहमत नहीं थी।

2) ईपीएस 95 के अन्तर्गत न्यूनतम पेन्शन को कुछ हद तक फ्लोर सीमा तक बढ़ा दिया जाए जो 1,000 रुपए से कम नहीं होनी चाहिए क्योंकि श्रमिकों की बड़ी संख्या जो पेन्शन पाती है वह राज्य सरकार द्वारा वृद्धों को प्रदान की जाने वाली पेन्शन जो सामान्य तौर पर 400 से 1000 रुपए के बीच होती है, से भी कम है।

3) पीएफ एकाऊंट का तत्काल कम्पयूटरीकरण किया जाए ताकि श्रमिकों को पीएफ खाते के तबादले तथा निपटारे की सुविधा तत्काल प्राप्त हो सके। आरएसबीवाई जैसे स्मार्ट कार्ड पीएफ खाता धारकों के लिए भी जारी किए जाएं।

4) ग्रेच्युटी के मामले में निरंतर सेवा की पांच वर्ष की सीमा को कम किया जाए और कर्मचारी के रोजगार परिवर्तन की स्थिति में ग्रेच्युटी खाते का भी तबादला कर दिया जाए।

5) प्रसूति लाभ अधिनियम के अन्तर्गत दिए जाने वाले प्रसूति अवकाश को उसकी वर्तमान सीमा 12 सप्ताह से बढ़ा कर 24 सप्ताह कर दिया जाए। प्रसूति लाभ केवल दो बच्चों के जन्म तक दिया जाता है, इसकी वर्तमान न्यूनतम सीमा को दो से अधिक बच्चों के मामले में भी बढ़ा दिया जाए।

6) सामाजिक सुरक्षा योजनाओं को लागू करने के मामले में जवाबदेही निश्चित की जाए ताकि इसके लाभार्थियों को समय पर यह सुविधा मिल सके। इन संगठनों के लिए नागरिक चार्टर को शीघ्र अंतिम रूप दिया जाए।

7) ईपीएफ अधिनियम में वेतनों की परिभाषा बदल दी जानी चाहिए ताकि अंशदान के उद्देश्य से न्यूनतम वेतनों की विभक्ति की त्रुटियों को दूर किया जा सके।

8) यह अनुभव किया गया कि राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा कोष (एनएसएसएफ) में प्रदत्त 1000 करोड़ रुपए का धन बहुत कम है ओर इस बात पर व्यापक सहमति थी कि इस धन में पर्याप्त वृद्धि की जानी चाहिए। यह वृद्धि सैस लगा कर अथवा संचित धन को बढ़ा कर भी की जा सकती है।

9) राष्ट्रीय सामाजिक सुरक्षा बोर्ड की तरज पर इस वर्ष के अंत तक राज्य सामाजिक सुरक्षा बोर्डों का गठन किया जाना चाहिए। कर्नाटक, पश्चिम बंगाल और छत्तीसगढ़ जैसे कुछ राज्यों ने अपने–अपने क्षेत्रों में कल्याणकारी योजनाओं अथवा कार्यक्रमों की मानिटरिंग के लिए इन बोर्डों का गठन पहले ही कर रखा हैं

10) असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले श्रमिकों को स्वास्थ्य, बीमा, शिक्षा, पेन्शन इत्यादि सामाजिक सुरक्षा की विभिन्न योजनाओं के अन्तर्गत लाया जाए।

11) आंगनवाड़ी, आशा, मिड–डे–मील वर्कर्स तथा इसी प्रकार के दूसरे काम करने वाले श्रमिकों को भी सामाजिक सुरक्षा के लाभ दिए जाएं।

12) असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले सभी श्रमिकों के लिए आरएसबीवाई को लागू करने पर सहमति पाई गई ताकि वे यथाशीघ्र स्वास्थ्य बीमा के लाभ हासिल कर सकें।

13) आरएसबीवाई के अन्तर्गत लाभार्थियों को ओपीडी की सुविधा प्रदान करने के लिए कदम उठाने पर सहमति पाई गई।

14) केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा बनाए गए विभिन्न सामाजिक सुरक्षा कोषों के ब्याज की आय को कर मुक्त किया जाए।

रोजगारकारिता और रोजगार पर सम्मेलन समिति की सिफारिशें

1) रोजगार सृजन तथा रोजगारकारिता सरकार की कार्यसूची में सबसे ऊपर होना चाहिए।

2) यद्यपि वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षण देने पर ध्यान दिया जा रहा है तथापि समुचित रोजगार प्रदान करने के लिए रोजगार के अवसर पैदा करने के लिए उपयुक्त कदम उठाए जाने की जरूरत है।

3) रोजगार सृजन तथा सभी के लिए गरिमापूर्ण काम सुलभ कराने के समुचित ढांचा प्रदान करने के लिए राष्ट्रीय रोजगार नीति घोषित करने की जरूरत है।

4) श्रमिकों की सघनता वाले उद्योगों के लिए निवेश बढ़ाया जाना चाहिए और इसके लिए प्रोत्साहन दिए जाएं।

5) श्रम बाजार सम्बन्धी सूचना प्रणाली स्थापित की जाए जिससे उद्योगों में कुशल श्रमशक्ति की जरूरत और संस्थानों से उपलब्ध होने वाली मेधाओं की जानकारी मिल सके। इस सम्बन्ध में रोजगार केन्द्रों का आधुनिकीकरण किया जाना चाहिए।

6) मेधाओं का पता स्थानीय स्तरों पर लगाया जाए।

7) आइटीआइ को मैन्युफैक्चरिंग के बाहर के क्षेत्रों पर भी ध्यान केन्द्रित करना चाहिए और सेवा सेक्टर पर पूरा ध्यान केन्द्रित करना चाहिए। आइटीआइ संस्थानों तथा इंस्ट्रक्टरों के प्रशिक्षण में गुणवत्ता के आश्वासन के लिए कदम उठाए जाएं।

8) ग्रामीण क्षेत्रों तथा कृषि आधारित उद्योगों में भण्डारण, प्रोसैसिंग तथा मार्किटिंग सहित अदंरूनी ढांचे के विकास पर जोर दिया जाना चाहिए।

9) आइटीआइ संस्थानों को स्थानीय उद्योगों की मांग को देखते हुए अधिक प्रचलित कार्यो के प्रशिक्षण पर जोर देना चाहिए।

10) परम्परागत मेधाओं अथवा काम धंधों में प्रशिक्षण सुविधा उपलब्ध कराने के लिए संस्थागत व्यवस्था को प्रोत्साहित किया जाना चाहिए और इसे प्रमाणन प्रणाली के अन्तर्गत लाया जाना चाहिए।

11) जन जागृति कार्यक्रम विशेष तौर पर ग्रामीण क्षेत्रों में चलाए जाने चाहिएं और इन कार्यक्रमों के माध्यम से परम्परागत काम धंधों में मेधा विकास तथा प्रमाणन का महत्व समझाया जाना चाहिए।

12) केन्द्र तथा राज्य के अंदरूनी ढांचे और दूसरे उपलब्ध संसाधनों का आपस में जोड़ा जाना चाहिए ताकि संसाधनों का आशातीत उपयोग हो सके।

13) मेधा विकास के प्रयासों में भाग लेने के लिए एमएसएमई को प्रोत्साहित किया जाए और उसका समर्थन किया जाए।

14) प्रशिक्षु अधिनियम के अन्तर्गत प्रशिक्षुओं को मिलने वाले वजीफे की राशि बढ़ाई जाएं

15) परम्परागत काम धंधों के वर्तमान तथा नए केन्द्रों को मजबूत बनाया जाए और मार्किटिंग, क्रेडिट, नयी प्रौद्योगिकी इत्यादि के मामले में सहायता प्रदान की जाए।

16) मेधा विकास की रुकावटों को दूर किया जाए और अशिक्षित तथा अनपढ़ श्रमिकों को भी प्रमाण पत्र दिए जाएं।

17) उद्यमशीलता तथा स्वः रोजगार को उत्साहित करने के लिए आवश्यक सहायता दी जाए।

18) असंगठित क्षेत्र में उपलब्ध मौजूदा रोजगार की सुरक्षा की जाए और जो सेक्टर प्राकृतिक संसाधनों पर आश्रित हैं, उन्हें उनकी सुलभता प्रदान की जाए ताकि उनकी उत्पादकता में बढ़ोतरी हो और परम्परागत उत्पादकों के लिए प्रौद्योगिकी तथा उन्नत उपकरण विकसित किए जा सकें।

19) महिलाओं तथा दूसरे योग्य लोगों के लिए मेधा विकास को बढ़ावा दिया जाए। मेधा विकास में महिलाओं की भागीदारी बढ़ाई जाए और इसके लिए विशेष कदम उठाए जाएं।

20) राष्ट्रीय तथा राज्य स्तरों पर उत्कृष्टता केन्द्र स्थापित किए जाए जो विश्व स्तरीय तकनीकी माहिरों को पैदा करेंगे।

21) मेधा विकास की योजना को अंतिम रूप देने के लिए तत्काल पणधारकों (stakeholders) के साथ राष्ट्रीय स्तर पर विचार विमर्श किया जाए।

22) रोजगार सृजन और सुरक्षा का वातावरण बनाने के लिए ठोस कदम उठाए जाएं।

23) बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए अधिक संख्या में प्रशिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जाए।

****